Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ५०वां दिवस [संख्या ३१

सोमवार, ६ अप्रेल, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ११ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ९००

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

ग्राम कोटड़ा तहसील बड़ौद में अग्निकांड

९०१. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा सु०) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या ग्राम कोटड़ा दीपसिंह, तहसील बड़ौद में कुछ वर्ष पूर्व अग्निकांड हुआ था ?

(२) यदि हां, तो उक्त घटना कब घटी तथा उससे ग्रामवासियों का कितना नुकसान हुआ ?

(३) क्या अग्नि से हुई हानि के कारण कुछ कृषकों को लगान माफ हुआ था ? यदि हां, तो कितना ?

(४) क्या यह भी सही है कि उस समय जितना लगान छोड़ दिया गया था, उसे सरकार इस वर्ष वसूल कर रही है ?

(५) यदि हां, तो क्यों ?

मन्त्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां, हुआ था।

(२) उक्त घटना ता० १७-३-५३ को घटी थी जिसमें ग्रामवासियों के मकान एवं खलिहान जले थे। जिसका अनुमान ५०,०००) रु० है।

(३) जी नहीं। अग्नि से हुई हानि के के कारण लगान माफ किये जाने का कोई नियम नहीं है।

(४) यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

(५) यह प्रश्न नहीं उठता है।

Page No.2

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : अग्नि से जिनको इस तरह से हानि पहुँचती है उनको किस प्रकार से सहायता देते हैं आप ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सहायता के नियम बने हुए हैं । उन नियमों के तहत सहायता दी जाती है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या इन लोगों को किसी प्रकार की सहायता दी गई थी इन नियमों के अन्तर्गत ।

श्री दामोदरलाल व्यास : सहायता जरूर दी गई होगी, क्योंकि नियम हैं । लगान के लिए सवाल पूछा था उसकी जानकारी दे दी गई है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : किसी प्रकार की सहायता उस समय दी थी या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि आपका सवाल केवल लगान के लिए था लगान के लिए मैंने अर्ज किया है । सहायता के लिए पूछेंगे तो उसका नोटिस चाहिए ।

श्री रामनारायण वर्मा : लगान स्थगित किया गया था या माफ किया गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : न स्थगित किया गया है और न माफ किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल ।

जसवन्त कॉलेज जोधपुर के वर्तमान प्रिन्सिपल

६०२. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जसवन्त कॉलेज, जोधपुर के वर्तमान प्रिन्सिपल ने कभी कोई पेपर आउट किया था ? अगर हां, तो युनिवर्सिटी ने क्या कोई जांच की थी, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

(२) क्या उक्त प्रिन्सिपल का अवकाश काल नज़दीक है ? यदि हां, तो क्या उनके कार्यकाल में वृद्धि की जाने का सरकार का विचार है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) उनकी अवकाश ग्रहण करने की तारीख १–२–५६ थी किन्तु सरकार ने उनको इस सत्र के अन्त तक कार्य करने की अनुमति दे दी है ।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : क्या उन्होंने स्टूडेन्ट्स के लिए अपनी तरफ से कोई गेस क्वेश्चन पेपर दिया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूँ कि प्रश्न स्पष्ट था और उत्तर भी स्पष्ट है । गेस पेपर दिये थे या दूसरे पेपर दिये थे उसकी मुझे जानकारी नहीं है, और आम तौर से संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं ? यह हर स्कूल और कॉलेज के अन्दर पहले से कहते हैं ! प्रश्न यह है कि लीकेज किया गया है, that is wrong.

Page No.3

श्री श्रीभानसिंह : क्या भावी प्रश्न जो उन्होंने बताये थे तो भावी प्रश्न भी वही थे जो कि क्वेश्चन पेपर के अन्दर थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं।

प्रश्न संख्या ६०३

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

गवर्नमेन्ट इन्टर कॉलेज, दौसा

६०४. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि दौसा इन्टर कॉलेज को हायर सेकन्डरी स्कूल में परिवर्तित किया जा रहा है ? अगर हां, तो क्यों ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

गांव कतरियासर तहसील बीकानेर का नक्शा।

६०५. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकॉर्ड्स) रूल्स, १९५७ के पैरा ५९ व ६० के अनुसार विलेज मेप को मौके के कब्जे के मुताबिक मुकम्मिल (Corrected uptodate showing latest changes in field boundaries) रखा जाना चाहिये ?

(ख) अगर हां, तो क्या गांव कतरियासर, तहसील बीकानेर का उपरोक्त नक्शा मुकम्मिल है ?

(ग) अगर नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या व कब तक कार्यवाही सम्पूर्ण की जा सकेगी ?

मन्त्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जल्दी ही यह नक्शा दुबारा पैमायश होने से सम्पूर्ण हो सकेगा। उस कार्य को शीघ्र किया जायगा।

श्री भीमसेन : लैण्ड रेवेन्यू में ऐसा प्रावधान है कि पटवारी नक्शा को मौके के मुताबिक ठीक रखे तो क्या कारण है कि अप टू डेट नक्शा नहीं रखने का ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह जागीर का गांव था और उसकी पैमायश सम्वत् २००४ में हुई थी और २०११ में उसका रिजम्पशन हुआ। पैमायश होने और रिजम्पशन होने के बीच के पीरियड में नक्शे को तरतीब से ठीक रखने या न रखने की जिम्मेदारी जागीरदार की थी।

श्री भीमसेन : सरकार को लैण्ड रेकॉर्ड रूल्स में उन्हें अधिकार दिया गया है कि सरकार अगर चाहे तो ठीक कर सकती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि सर्वे दुबारा करवा रहे हैं, तो वह

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ठीक हो जायगा । सारे नक्शे में तब्दीली होगी । वह पटवारी के बस का रोग नहीं है ।

श्री भीमसेन : कब दुबारा करवा रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यथासम्भव जल्दी ही करायेंगे ।

श्री भीमसेन : क्या मतलब है यथा-सम्भव जल्दी का ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सेटिलमेंट का जो तरीका है उसी तरीके से करायेंगे ।

प्रश्न संख्या १०६

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल ।

(अनुपस्थित)

जागीरदारों, मुआफीदारों इत्यादि से हकदारी सर्टिफिकेट

१०७. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि जिन जागीर-दारों, मुआफिदारों व छुटभाईयों के नाम रेकॉर्ड ऑफ़ राइट में दर्ज है, उनके नाम से ही जागीर रिज्यूम की गई है ?

(ख) क्या यह भी सत्य है कि जागीर उनके नाम दर्ज होते हुए व रिजम्पशन भी उनके नाम से ही होते हुए भी डिप्टी कलेक्टर, जागीर जालौर द्वारा उनसे मुआवज़ा देते वक्त हकदारी के प्रमाणपत्र मांगे जाते हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मन्त्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । जागीर तो रेवेन्यू रिकॉर्डस से अंकित व्यक्ति के नाम से खालसा कर ली जाती है, किन्तु मुआवज़ा पाने का वही अधिकार है या नहीं इसके लिये हकदारी का प्रमाणपत्र मांगा जाता है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : जब आपने रिज़म्पशन उनके नाम कर दिया तो रिज़म्पशन के कारण से यह नहीं माना जाता है कि उनकी जागीर थी इसलिए उनके नाम से रिज़म्पशन किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रिज़म्पशन रेवेन्यू रेकॉर्ड में जिनके नाम से दर्ज होता है उससे किया जाता है, मगर यह जांच की जाती है कि मुआवज़ा पाने का हकदार कौन है जागीरदार भी हो सकता है या और कोई भी हो सकता है । ऐसा हो सकता है कि रिज़म्पशन रेवेन्यू रेकॉर्ड के अनुसार कर लिया गया, लेकिन रिज़म्पशन के वक्त जागीरदार दूसरा हो सकता है, और मुआवज़ा देने के वक्त किसी को आपत्ति हो सकती है, या दूसरी बातें होती है, जिनके अन्दर इस बात के जानने की आवश्यकता होती है कि वास्तव में मुआवज़ा पाने का हकदार कौन है । इसलिए यह जांच जरूरी है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : रिज़म्पशन की दरख्वास्त देने के वक्त अगर दूसरा है तो हकदारी पत्र मांग सकते हैं लेकिन रिज़म्पशन भी उनके

Page No.5

(श्री लक्ष्मीचन्द)

नाम से होता है और लैण्ड रेकॉर्ड्स में भी उनका नाम है तो फिर हकदारी का प्रमाणपत्र मांगने का क्या कारण है।

श्री दामोदरलाल व्यास : I have given so many reasons for that.

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या रीजन्स दिये हैं। जब लैण्ड रेकॉर्ड में वही नाम है जिस नाम से रिजम्पशन किया है तो क्या माना जायगा कि रेकॉर्ड ठीक नहीं बना।

श्री अध्यक्ष : कोई एतराज़ करे तो प्रूफ मांगना ही पड़ेगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : एतराज़ हो तो हकदारी का प्रमाणपत्र मांगा जा सकता है लेकिन एतराज़ नहीं हो तो लैण्ड रेकॉर्ड्स को सही माना जाना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : जागीर रिज़म्पशन एक्ट के तहत जितनी भी प्रोसीडिंग होती है वह जुडीशियल प्रोसीडिंग होती हैं। उसमें तरीका लिखा हुआ है वह प्रोसीजर उसको मानना पड़ेगा और मुआवज़ा देने वाला अधिकार जो है उसको यह जानने के लिए कि कौन आदमी अधिकारी है मुआवज़ा पाने का उसकी उसको जांच करनी पड़ेगी। डिप्टी कलेक्टर जागीर या कोई ऑफिसर जो है उसको वह जांच करनी पड़ेगी। उसके बगैर यह तय नहीं किया जा सकता है कि किस का कितना कम्पन्सेशन है और किसको दिया जाय।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अगर ऐसी बात है तो जांच पहले करके रिजम्पशन उनके नाम से क्यों नहीं होता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य को मालूम नहीं है जागीर रिज़म्पशन इन्कम ग्रुप्स पर होती है कि फलां इन्कम की जागीर को फलां तारीख से रिज़्यूम किया गया। कौन कम्पन्सेशन पाने के मुस्तहक हैं वह सब जांच होती है।

श्री मदनसिंह : जागीरदार के नाम से नोटिस मिलता है और जागीरदार के नाम से रिज़म्पशन होता है कि तुम्हारी जागीर खत्म होती है। ठिकाने के नाम से अगर वह होता हो तो सही मान सकते हैं कि अमुक जागीरदार के पास नोटिस आया है। उसके उसको कॉन्सीक्वेन्सेज भुगतने पड़ते है और दूसरा पैसों का खर्चा करना पड़ता है, तो अध्यक्ष महोदय, जैसे चुरू डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जागीरदार बना बना कर काम किया गया है इसी प्रकार लेने के सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

हनुमानगढ़ स्टेशन के पास जागीरदारों को आबाद करने हेतु ज़मीन

१०८. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ स्टेशन के पास जागीरदारों को आबाद करने के लिये कीमती ज़मीन निश्चित दर पर रिजर्व करने की तजवीज़ कोलोनाइजेशन विभाग, हनुमानगढ़ द्वारा की जा रही है?

Page No.6

मंत्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास) : हनुमानगढ़ जंकशन स्टेशन के करीब जहां कि फर्स्ट क्लास मंडी बन रही है और जिसकी ज़मीन कीमती है कोई रकबा जागीरदारों को आबादी के लिए मन्जूर नहीं किया है। अलबत्ता हनुमानगढ़ स्टेशन के पास जहां २० साल बाद मंडी बनाने की जो ८ एच. एम. एच., २ एच. एम. एच. के राइट में जागीरदारों को आबादी के लिए चक १७ एच. एम. एच. की ज़मीन मन्जूर की गई है। यह जमीन डवेलपमेंट एरिया के बाहर हैं और ज्यादा कीमत की नहीं है। इसके पास में कलेक्टर गंगानगर और तहसील हनुमानगढ़ द्वारा आबादी के लिए एक आना गज़ के हिसाब से ज़मीन दी गई है।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि ज़मीन अलॉट की जा रही है वह वहां के ऑफिसर्स हैं उनको भी ज़मीन दी जा रही है जैसे डाइरेक्टर है या डिप्टी डाइरेक्टर है।

श्री दामोदरलाल व्यास : उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

लैण्ड रेवेन्यू की बकाया रकम पर ब्याज

६०६. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या राजस्थान में लैण्ड रेवेन्यू की बकाया रकम पर ब्याज लेना वाजिब होता है ? अगर हां, तो किस कानून के अन्तर्गत ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): जी हां। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट १६५५ की धारा १५२ के अन्तर्गत।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, उसमें १५२ की धारा है उसमें है कि अगर कोर्ट डिग्री दे और कोर्ट इन्स्टॉलमेंट फिक्स करे तो उस समय लैन्ड रेवेन्यू के लिए जिम्मेदार होना पड़ता है, वह दे सकते हैं न कि गवर्नमेंट इन्ट्रेस्ट।

श्री दामोदरलाल व्यास : गवर्नमेन्ट की लैन्ड रेवेन्यू जमा कराने की तारीख मुकर्रर है उस तारीख को नहीं दिया जाता है तो उनको इन्ट्रेस्ट देना पड़ेगा, सीधी सी बात है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि ब्याज लेने की पद्धति समाप्त हो रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : फिर आप में और जागीरदारों में क्या फर्क है ? जागीरदार भी ब्याज लेते थे और आप भी लेते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : बहुत फर्क है वे ब्याज दर ब्याज लेते थे।

प्रश्न संख्या ६१०

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

तहसील जसवन्तपुरा में ज़मीन का अलॉटमेन्ट

६११. **श्री मंगलसिंह** (रानी वाड़ा श्री लक्ष्मीचन्द द्वारा पूछा गया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील जसवन्तपुरा ज़िला जालौर में कितनी ज़मीन तहसीलदार ने बिना एडवाइज़री बोर्ड की मंज़ूरी के सन् ५७ व ५८ में अलॉट की ?

(ख) उपरोक्त ज़मीन किन किन व्यक्तियों को किस २ तारीख को दी गई है ?

मंत्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) स्थाई ऑक्शन कोई नहीं किया गया ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : ये ऑर्डर्स कब दिये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस सवाल की जानकारी होने पर ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार जयपुर) : सवाल के पार्ट (२) का प्रश्न क्यों नहीं उठता ।

श्री दामोदरलाल व्यास : टेम्प्रेरी अलॉटमेन्ट सिर्फ एक साल के लिये था ।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : जसवन्तपुरा में क्या कमी थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलॉटमेन्ट कमेटी को बिना कंसल्ट किये एलॉट कर दिया जिसके लिये अधिकार नहीं था ।

श्री अनोपसिंह : क्या ऐसा भी था कि जो लैंड लैस लेबर्स थे उनको अलॉटमेन्ट किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किसी को भी एलॉट किया हो लेकिन अलॉटमेन्ट कमेटी को कंसल्ट करना जरूरी था ।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : भीलवाड़ा में भी क्या यह लागू है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दांता रामगढ़ में और भीलवाड़ा में एक ही तरह से लागू है ।

श्री मदनसिंह : वहां पर कमेटी को कन्सल्ट किये बिना ही दे दी, गई है ।

प्रश्न संख्या ६१२

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

तहसील कोटपुतली में सड़क से दबी भूमि के लगान की वसूली

६१३. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील कोटपुतली में किस २ सड़क से किन २ गांवों की भूमि दबी है ?

Page No.8

(श्री रामकरणसिंह)

(ख) क्या सड़क में काम आई हुई भूमि का लगान लिया गया ?

(ग) यदि हां, तो किस २ गांव से व कितना ?

(घ) इस भूमि का मुआवज़ा कब तक दे दिया जावेगा, और वसूल किया लगान कब तक लौटा दिया जावेगा ?

मंत्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) तहसील कोटपुतली में निम्नलिखित दो सड़कें जहां तक निकाली गई हैं :

(१) कोटपुतली से पावटा ।

(२) कोटपुतली से दानपुर । जिन में जिन गावों की भूमि सड़क में आई है उसकी सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(ख) जी हां ।

(ग) तहसील से पूछा गया है ।

(घ) कोटपुतली से पावटा सड़क का मुआवज़ा तो तीन माह में चुका दिया जायेगा कोटपुतली से दानपुर सड़क की कार्यवाही चालू है इसलिये मुआवज़ा अभी शीघ्र नहीं दिया जा सकेगा ।

वसूल किया हुआ लगान लौटाने बाबत आदेश प्रचलित किये जा रहे हैं जो सम्वत् २०१६ की किश्त में कम कर दिये जायेंगे ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रामकरणसिंह : कम्पन्सेशन शीघ्र नहीं दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लैन्ड एक्वीज़िशन एक्ट की धारा ४ का नोटिफिकेशन निकला है, बाद में धारा ५ के अंतर्गत निकलेगा । कब्जा नहीं लिया गया है । इस कार्यवाही में देरी लगेगी ।

कोटा डिविज़न में खनिज सर्वेक्षण

६१४. **श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया** (बारां सु०) : क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या खनिज़ विभाग द्वारा द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कोटा, डिविज़न में खनिज सर्वेक्षण किया गया है ?

(२) यदि हां, तो क्या उक्त खनिज़ सर्वेक्षण की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है ?

(३) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के अधीन किन किन स्थानों में किन किन धातुओं (पदार्थों) के उपलब्ध होने की संभावना पाई गई है ? सरकार द्वारा अब इस सम्बन्ध में क्या क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उपमंत्री उद्योग विभाग, (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जी हां, निम्नलिखित स्थानों का सर्वेक्षण किया है ।

(क) रामगंज मंडी क्षेत्र के समीप चूने के पत्थर का ।

(ख) कुंडी क्षेत्र में कांच बनाने की रेत का ।

(ग) बदरा सिरोल, माणकचौक आदि में मिट्टी का ।

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(२) जी नहीं, सर्वेक्षण अभी चल रहा है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या यह सही है कि तहसील शाहबाद में लोहा बनाने का कुछ मेटीरियल निकलता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो कुछ वहां निकलता है वह पर्सेन्टज में बहुत कम होने से आजकल इकोनॉमिकल नहीं कहा जा सकता।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से इस क्षेत्र का सर्वेक्षण दुबारा फिर किया गया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पहले कुछ लोग वहां गये थे लेकिन मालूम हुआ कि इतना बड़ा डिपोजिट नहीं है जो इकोनोमिकल हो।

श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या इन्द्रगढ़ में आयर्न ओर के डिपोजिट्स हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वहां भी माइनिंग इंजीनियर, कोटा को भेजा गया था, उनके दफ्तर के कुछ लोग भी गये थे, वहां देखा तो वहां भी पर्सेन्टेज कम है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : पर्सेन्टज़ कितनी है शाहबाद में ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : शाहबाद में ५.४ पर्सेन्ट के करीब है ६८ से कम नहीं होना चाहिये।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : सर्वेक्षण की रिपोर्ट कब तक आयेगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो मैंने बताया उनकी तो चालू है, बाकी के बारे में बताया उनकी रिपोर्ट आई है।

तहसील कोलायत के तहसीलदार

९१४. **श्री रूपराम** (नोखा मु०) - क्या माल मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील कोलायत में १.४. ५० से ३१.१२. ५८ तक कितने तहसीलदार कब से कब तक ज़िला बीकानेर के बाशिन्दे रहे और इस समय जो तहसीलदार हैं वह कौनसे ज़िले के बाशिन्दा हैं ?

(२) इनमें से कितनों को मैकिंड क्लॉस के पॉवर्स कब कब दिये गये ?

राजस्व मन्त्री (दामोदरलाल व्यास) : केवल ५ तहसीलदार ऐसे रहे। वे कब से कब तक रहे इसका विवरण सदन की मेज़ पर रखी हुई सूची में है। इस समय जो तहसीलदार हैं वे बिकानेर ज़िले के बाशिन्दे हैं।

(२) केवल एक तहसीलदार को कोलायत में आने के बाद पॉवर्स दिये गये।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री गिरधारी लाल (नोखा) : क्या यह सही है कि सन् ५० के बाद जितने तहसीलदार आये वे सब बीकानेर के बाशिन्दा थे ?

Page No.10

श्री पी० के० चौधरी : (फुलेरा) : बाशिन्दा से क्या मतलब है ? Why this qusstion was allowed ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं। यह बात सही है। कोटा, बीकानेर और चूरू के रहने वाले तैनात हुए।

प्रश्न संख्या ६१६

श्री अध्यक्ष : श्री जयचन्द्र मोहिल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६१७

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

जागीर कर्मचारियों का बकाया वेतन

६१८. श्री **सूरजमल** (फलौदी सु.) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि कलेक्टर, जयपुर ने १० जागीर कर्मचारियों को जो कोर्ट ऑफ वार्डस विभाग में थे अपने दफ्तर में १५.१०. ५४ से लगाया ?

(ख) क्या यह सही कि उन व्यक्तियों ने १५.१०.५४ से ७.१. ५५ तक जयपुर कलेक्टर के दफ्तर में काम किया तथा वहां उनकी उपस्थिति भी दर्ज है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त कर्मचारियों को ७.१.५५ को विभिन्न स्थानों पर कलेक्टर, जयपुर ने लगा दिया ?

(घ) क्या उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी को ता० १५.१०. ५४ से ७.१.५५ तक का वेतन दे दिया गया है ? यदि हां तो किस किस को और नहीं, तो क्यों नहीं।

मन्त्री राजस्व विभाग (दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां, ८ कर्मचारियों को उस अवधि का वेतन दिया जा चुका है जिनके नाम ये हैं: श्री उमरावसिंह, श्री दौलतमल, श्री शंकरलाल, श्री हरिमोहन, श्री राधामोहन, श्री श्योप्रसाद, श्री अब्दुलाबेग और श्री नारायन। केवल दो व्यक्तियों को अर्थात श्री जोरावरसिंह व श्री मानसिंह को वेतन भी नहीं मिल सका क्योंकि उनके वेतन बिल में जागीर आयुक्त द्वारा कुछ आक्षेप कर दिये गये थे, जिनकी पूर्ति के बाद बिल उन्हें ३.४. ५६ को वापिस दिये जा चुके हैं। बिल पास होते ही भुगतान कर दिया जावेंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या ऑब्जेक्शन्स थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पे वगैरा के थे।

जय : क्या थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डिटेल्स मुझे मालूम नहीं।

श्री पी. के. चौधरी(फुलेरा): उनके ऑब्जे-

Page No.11

(श्री पी० के० चौधरी)

कशन्स में चार साल कैसे लग गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Try to understand. They were the employees of the Court of wards Deptt. उनको कलेक्टर जयपुर के यहां लगाया उसके बाद में किन्हीं पोस्टों के अगेन्स्ट में लगाकर पे ड्रा करने का सवाल था। उनमें से ८ को पे मिल चुकी है। दो के ओब्जेक्शन्स की कार्यवाही कमिश्नर की तरफ से हो रही है।

श्री मदनसिंह (दाताराम गढ़) : इन दो को नहीं मिलने कारण कहीं यह तो नहीं था कि इनके पीछे "सिंह" लगा हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : "सिंह" तो आपके पीछे भी लगा हुआ है।

प्रश्न संख्या ६१६

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलचन्द जाटव।

(अनुपस्थित)

प्राईमरी स्कूल जोबनेर में अपर्याप्त भवन

६२०. **रावल श्री नरेन्द्रसिंह:** (दूदू) क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या सरकार को विदित है कि प्राईमरी स्कूल जोबनेर में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई है और इस कारण स्कूल भवन अपर्याप्त है तथा जनता की ओर से आधा धन व्यय करके भवन का कुछ भाग निर्माण भी कराया गया है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार आधा खर्च करके उक्त भवन को पूर्ण कराने की शीघ्र व्यवस्था करेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) (१) जी हां।

(२) यदि जोबनेर की जनता आधा धन व्यय करने को तैयार हो तो यह प्रश्न जिला विकास समिति से समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह: मेरा निवेदन यह है कि खुद शिक्षा मंत्री महोदय वहां पधार कर देख गये हैं, बिल्डिंग तैयार होकर सिर्फ छत पड़ना बाकी है ऐसी स्थिति में जल्दी जल्दी हो जाय तो विद्यार्थियों को सर्दी, गर्मी और बरसात में दिक्कत मिट जाय, और वहां छत डालना, मंत्री महोदय ने खुद ने देखकर कहा था, अत्यन्त आवश्यक है। दूसरी जगह लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं तो यह काम भी होना चाहिये।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन कर रहे हैं या स्पीच दे रहे हैं ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह: मैंने स्थिति स्पष्ट करदी।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : भाग (क) का उत्तर आपने दिया "जी हां" इसका मतलब क्या है ?

श्री अध्यक्ष: यह विकास समिति के अधिकार की बात है वहां से मिल जाय तो काम हो सकता है।

डॉ चन्द्रकला: आधा धन तो जमा हो गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: आधा कब जमा हुआ है? जिला विकास समिति दे सकती है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह: इस साल हो चुका है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: जिला विकास समिति निर्णय कर सकती है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या इस वर्ष से ज़िला विकास समिति को जो पैसा मिलने वाला था वह नहीं मिलने वाला है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: जी नहीं।

ग्राम गजनीपुरा तहसील देसूरी के किसानों का म्यूटेशन

६२१. **श्री मनरूपरामपरिहार**(खारची सु०): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि देसूरी तहसील का गांव गजनीपुरा से अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के भूमिहीन किसानों की समस्या हल करने हेतु अधिक ज़मीन वाले सवर्ण का काश्तकारान में अपनी सावण साख की खेती की बारानी भूमि खसरा नं० ३०, २३, १७, १८, १६, ३३, ६४, ६५, की खातेदारी का इस्तिफा देकर के उन भूमिहीनों के नाम म्यूटेशन कराने की सन् ५७ में अर्ज़ी पेश की थी? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई?

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त सवर्ण का काश्तकारान ने उक्त खसरों पर सिर्फ इसी वर्ष खेती की है? यदि हां, तो कितने वर्ष तक भूमि पड़ी रही और क्यों?

मंत्री राजस्व विभाग (श्रीदामोदर लाल व्यास): जी नहीं।

(ख) उक्त काश्तकारान का खसरा नम्बर ३०, २३, १७, १८, १६, ३३. ६४ व ६५ पर सम्वत् २०११ से ही कब्जा है।

श्री अध्यक्ष: श्री रामधन।

भांडारेज मिडिल स्कूल का हायरसेकन्डरी स्कूल में परिवर्तन

६२२. **श्री रामधन** (दौसा): क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे।

(क) क्या सरकार को विदित है कि कस्बा भांडारेज, तहसील दौसा में जनता की ओर से २०,००० रु० की लागत की हायर सेकेन्डरी स्कूल का भवन दो साल पूर्व बनवाया गया था?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वहां के मिडिल स्कूल को हायर सेकेन्डरी स्कूल में परिणत करने का विचार रखती है?

(ग) यदि हां तो कब तक?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) जी हां।

(ख) जी हां दूसरे स्कूलों के साथ इस पर भी विचार किया जा सकता है यदि जिला

Page No.13

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

विकास समिति इसकी सिफ़ारिश करे और सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति होती हों।

(ग) यह बताना अभी सम्भव नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला, (किशनपोल बाजार जयपुर): दो साल पहले भवन बनवा दिया गया है और स्कूल को हायर सेकेन्डरी स्कूल में परिणत करने का विचार चल रहा है। भवन के बनने से पहले विचार क्यों नहीं हो जाता ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मैं समझता हूँ कि भवन किसी ने बनवा नहीं दिया है। पब्लिक की ओर से २० हजार रुपये की लागत का भवन बना है, उसमें मिडिल स्कूल चल रहा है। २० हजार रुपये का भवन बनने से ही तो हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं खुल सकता।

श्री दयाकृष्ण विजय (छाबड़ा): यह भवन बनवाया गया था, उसकी नॉलेज जिला विकास समिति को थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: हर मकान बनता है उसकी नॉलेज होती है। लेकिन भवन बनने से ही हायर सेकेन्डरी स्कूल बन जायगा, यह आवश्यक नहीं है। जहां जहां किसी ने रुपया लगा कर भवन बनवाया वहां ऑटोमेटिकली 'हायर सेकेन्डरी स्कूल खुल जाता है, यह नहीं समझें।

श्री दयाकृष्ण विजय: क्या ज़िला विकास समिति के समक्ष यह प्रश्न चला है कि दो साल पहले रकम उलझा दी जाय और हायर सेकेन्डरी स्कूल न खोला जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: रकम उलझी नहीं है, भवन में जो रुपया लगा है, उसमें मिडिल स्कूल चलता है। पिछली साल ४० हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले गये हैं। उसके बाद जितनी आवश्यकता हो सकती है, जितनी सीमा हो सकती है और दूसरी आवश्यकतायें हो सकती हैं, सारे प्रश्नों को इसके साथ सोचना पड़ता है। भांडारेज के पास ही, मुझे ठीक से पता नहीं, दौसा उसके बहुत निकट है। कई जगह हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने का प्रश्न है। कई जगह १५ मील, २० मील तक स्कूल नहीं होते हैं।

डा॰ चन्द्रकला: पिछली साल विकास समिति ने सिफारिश की थी ?

श्री रामधन: दौसा पांच मील दूर है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मैंने अर्ज किया है कि १५ मील, २० मील तक कई जगह स्कूल नहीं हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय: क्या सरकार उचित समझती है कि जहां भवन बन जायं वहां प्राथमिकता हायर सेकेन्डरी स्कूल के लिए न देकर दूसरे स्थानों पर प्राथमिकता दी जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: क्या ?

श्री दयाकृष्ण विजय: क्या यह उचित है कि जहां भवन मौजूद हैं वहां प्राथमिकता न देकर दूसरी जगह दी जाय ?

Page No.14

श्री मोहनलाल सुखाडिया: कई प्रश्नों को सामने रख कर विचार किया जाता है। अगर तीन तीन मील पर भवन बन जाय और हर जगह हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने का प्रश्न आये जब कि दूसरी तरफ पूरी तहसील में स्कूल न हो तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मानेंगे कि पहले तहसील को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): अगर जोशी जी वहां से जीत जाते तो जरूर खुल जाता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: जी नहीं, इस तरह का अन्तर नहीं करते हैं। सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है।

डॉ० चन्द्रकला: पिछले साल ज़िला विकास समिति ने सिफारिश की थी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: इस सब-डिविज़न के अन्दर एक स्कूल खोला गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री रामनारायण वर्मा।

श्री दयाकृष्ण विजय: हायर सेकेन्डरी स्कूल तहसील दौसा में कितने हैं?

मंत्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास): Now another question has been called.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मैंने अर्ज किया कि ४० तहसील ऐसी हैं जहां एक भी स्कूल नहीं है।

ग्राम पटेलों तथा ग्राम बलाइयों की रसूम

१२३. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा सु०): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सत्य है कि ग्राम पटेलों की रसूम ३ रु० प्रति सैकड़ा से ५ रु० प्रति सैकड़ा बढ़ा दी है?

(ख) यदि हां, तो कब से?

(ग) क्या ग्राम बलाइयों की रसूम में भी सरकार ने वृद्धि की है!

मंत्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) ग्राम पटेलों की रसूम राजस्थान के भिन्न भिन्न स्थानों के अन्दर ५ प्रतिशत कर दी गई है।

(ख) २५ जनवरी १९५८ से।

(ग) जी नहीं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर): ग्राम बलाइयों की रसूम क्यों नहीं बढ़ाई गई, इनको आठ आना प्रतिशत दिये जाते हैं?

श्री दामोदर लाल व्यास: किनको दिये जाते हैं?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: ग्राम बलाईयों को।

श्री दामोदरलाल व्यास: नम्बरदारों को अबॉलिश करने का निर्णय कर दिया है और जल्दी ही इस सदन में बिल पेश करने वाले हैं।

Page No.15

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: अब तक जिन्होंने काम किया है, उन्हें कई तहसील में कुछ नहीं दिया जाता है, कुछ में ज्यादा दिया जाता है, कुछ में कम दिया जाता है।

श्री दामोदर लाल व्यास: विलेज सर्वेन्ट्स को जो मिल रहा था, वही मिल रहा है। उसमें कमी बेशी नहीं की गई है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: इनके लिए क्यों नहीं बढ़ाया गया जब कि पटेलों के लिए बढ़ाया गया है?

श्री दामोदरलाल व्यास: अभी तक रूल्स बन कर तैयार नहीं हुए थे। और आवश्यकता महसूस नहीं की गई बढ़ाने की।

श्री शिवचरण दास (मांडल): किस कारण से नहीं की?

श्री दामोदर लाल व्यास: इसलिए कि जो मिल रहा था वह ठीक था।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): इसलिए कि वे बलाई हैं, गरीब हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: क्या सरकार आठ आना पर्याप्त समझती है?

श्री दामोदर लाल व्यास: कई जगह कम मिलता होगा, उस पर विचार किया जा सकता है। माननीय सदस्य बतावें कि कहां कम मिलता है।

श्री शिवचरणदास: किसी भी जिले में।

श्री दामोदर लाल व्यास: कोई जगह नहीं है। कहां की बात कर रहे हैं आप।

श्री मदनसिंह: दांता रामगढ़ को ही बता दीजिये। बलाई वहां काम कर रहे हैं।

श्री दामोदर लाल व्यास: दांता रामगढ़ में तो जागीरदार के समय में जो बेगार ली जाती थी, अब पैसा मिलता है।

श्री मदनसिंह: जागीरदार के समय में अन्याय हुआ है, उसे आप रिपीट कर रहे हैं तो बहुत ठीक है।

श्री दामोदर लाल व्यास: मैं न्याय की बात कह रहा हूं। अब पैसा दिया जाता है।

प्रश्न संख्या ६२४

श्री अध्यक्ष: श्री सोहनलाल भटनागर!

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष: श्री अनोपसिंह।

पान पापड़ी का नीलाम

६२५. **श्री अनोपसिंह** (बालोतरा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जोधपुर रियासत के समय तहसील देसूरी में पान, पापड़ी नीलाम करने का कोई रिवाज़ नहीं था?

(ख) यदि हां, तो, क्या सरकार ने अब इनकी नीलाम कर सदा चराई करने वाले लोगों (राइकों) के हकों का अपहरण नहीं किया है?

(ग) क्या सरकार उन्हें उक्त भूमि का खातेदारी हक देने व पान पापड़ी का नीलाम रोकने का आदेश देगी?

Page No.16

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनोपसिंह : आप फर्मा रहे हैं, जी नहीं. मैं कह रहा हूं कि वहां नीलाम की जा रही है, ऐसी जगह नीलाम की जा रही है जहां गोचर भूमि नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : केवल वह ज़मीन नीलाम की जाती है-जो सरकारी ज़मीन है, जिसके अन्दर गोचर भूमि न हो।

श्री अनोपसिंह : इसमें यह सवाल नहीं उठता कि ज़मीन गोचर भूमि के लिए रखी है। जो राइकों के लिए ज़मीन रखी गई हो, जहां वे जानवरों को चराते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का कई दफा जवाब दे दिया है। यह प्रश्न पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कई दफा उठाया है, मैंने कहा था कि राइकों की ज़मीन का हल नहीं हो सकता। जहां तक नीलाम करने का सवाल है, नेचुरल प्रड्यूज़ की ज़मीन को नीलाम किया जाता है, जो सरकार की ज़मीन है, अन्आकुपाइड ज़मीन है, जहां चारागाह नहीं है।

श्री अनोपसिंह : जो पान पापड़ी की ज़मीन है उसको नीलाम करें और उसे चराई के लिए दे सकते हैं। इस तरह हल निकल रहा है, उसको आप रोक रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : उनको चराने के लिए मना किसने किया है। वे ले लेवें, जब नेचुरल प्रोड्यूज़ का नीलाम किया जाता है, उन्हें लेने का अधिकार है।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : नीलाम करने के बाद घासमारी टैक्स लगाया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्री अनोपसिंह : जिस वक्त आप इसे छोड़ देते हैं तो उसे नीलाम करने का, उन्हें नीलाम बोली लगाकर खरीदने पर क्यों बाध्य किया जाता है ?

श्री दामोदर लाल व्यास: नियम के मुताबिक जो चारागाह होने चाहिये, उन चरागाहों को छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री अनोपसिंह : क्या देसूरी में सब जगह चरागाह खोले गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां चरागाह नहीं हैं, वहां पंचायत को अधिकार हैं, एस. डी. ओ. को अधिकार है, उनसे डिमार्केशन करा लेना चाहिए।

श्री अनोपसिंह: जहां चरागाह नहीं हैं, वहां नीलाम करने का प्रोविज़न क्यों रखा गया है।

श्री दामोदर लाल व्यास: आप किसी खास जगह की बात कहें, तो मैं कह सकता हूं।

Page No.17

श्री अनोपसिंह: जोधपुर डिवीजन में सब जगह चराई दर वसूल की जा रही है लेकिन चराने के लिए जमीन नहीं है, गोचर भूमि डिक्लेअर नहीं की गई है। उसके बाद पान पापड़ी को नीलाम किया जा रहा हैं, उनको खातेदारी हक नहीं दिये हैं। जब जमीन नहीं है तो कहां चरायेंगे।

श्री दामोदर लाल व्यास: रायकों के लिए अर्ज किया है कि स्टाक फीडिंग के लिए आदत डालनी चाहिए। वे कॉमर्शियल पर्पजेज़ के लिए मवेशी रखते हैं।

श्री अनोपसिंह: आप आस्ट्रेलिया की बात कह रहे हैं, वह यहां करना मुश्किल होगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न सं० ६२६.

श्री मनरूप राम परिहार।

मंत्री विकास विभाग : (श्रीमोहनलाल सुखाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर अगली टर्न पर दे दिया जायगा।

श्री मनरूपराम परिहार: (खारची सु.) यह तो हम जानते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं।

श्री मनरूप राम परिहार: जब हरिजनों को सवाल आते है, यही उत्तर होता है। इस कारण मुझे पहले ही से जानकारी थी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ६२७ श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६२८

श्री नाथूराम

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री मोती बाबा।

बाली सब डिवीजन में कुंवे खुदवाने व बैल इत्यादि खरीद के लिये तकावी

६२६. **श्री मोतीबाबा** (बाली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बाली सब डिविज़न में सन् १६५७-५८ में कुंए खुदवाने तथा बैल व ग्राम खरीदने के लिये तकावी के लिये कितने प्रार्थना पत्र पेश हुए ?

(ख) कुल कितने रुपयों की मांग की गई और कितनी सहायता तकावी के रूप में दी गई तथा कितने प्रार्थना पत्र पेंन्डिग रहे और क्यों ?

(ग) किस किस काश्तकार की कितनी कितनी स्वीकृत रकम वापिस जमा हुई और क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): ६३ प्रार्थना पत्र पेश हुए।

कुल २३५०० रु० की मांग की गई तथा २०१०० रु० की सहायता तकावी के रूप में दी गई। कोई प्रार्थना पत्र पेन्डिग नहीं रहा।

Page No.18

(श्री दामोदरलाल व्यास)

निम्न काश्तकारों की स्वीकृत रकम वापिस जमा कराई गई क्योंकि इन्हें धन राशि की एक किश्त दे दी गई थी और कहा गया था कि अपना कार्य दी गई धन राशि के अनुसार पूरा करें तथा ग्राम मुखिया से तसदीक शुदा सर्टिफिकेट पेश करें ताकि दूसरी किश्त की धनराशि दी जावे। परन्तु इन काश्तकारों ने नोटिस देने के पश्चात भी सर्टिफिकेट पेश नहीं किये अतः बची हुई धनराशि जमा कराई गई।

१. अनोपसिंह वल्द सरदार सिंह बिरमपुरा	४००) रु.
२. चांद खां वल्द उनि खां नोपल	४००) रु.
	८००) रु.

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित, आगे देखिये)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

इमिटेशन गोटे पर बिक्री कर

६०३. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कुटीर उद्योगों में निर्मित इमिटेशन गोटा, राजस्थान बिक्री-कर के एक्ट के अन्तर्गत मुक्ति प्रमाण पत्र लेने के पश्चात् कर से मुक्त है ?

(२) क्या यह सही है कि सीकर ज़िले का बिक्री कर विभाग मुक्ति प्रमाण पत्र लिए हुए व्यापारियों पर भी कर लगा रहा है ?

(३) यदि हां, तो क्यों ?

उपमंत्री वित्त विभाग (श्री रिखब-चन्द धारीवाल) : (१) नोटिफिकेशन नं० एफ. २१ (७) अस. आर.।५५ दिनांक १४.४.५५ की आइटम २० के अनुसार सब प्रकार का स्थानीय निर्मित सोना तथा चांदी का। लोकेली मेन्युफैक्चर्ड गोल्ड एन्ड सिल्वर। गोटा विक्रेता व्यापारी द्वारा मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने पर कर से मुक्त है।

(२) व (३) सीकर जिले के बिक्री कर अधिकारी उक्त नोटिफिकेशन की यह व्याख्या (इन्टरप्रिटेशन) करते हैं कि इसमें कच्चा अथवा इमीटेशन गोटा सम्मिलित नहीं है और इस आधार पर कच्चे गोटे को टैक्स करते हैं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार जयपुर) : सरकार अब इस पर टैक्स हटाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह सरकार के विचाराधीन है।

डा० चन्द्रकला : यह कब से विचारा-धीन है और कब तक निर्णय ले लिया जायगा ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपने परिभाषा बताई, सीकर ज़िले के अधिकारी दूसरी इन्टरप्रिटेशन करते हैं; लॉ डिपार्टमेंट की परिभाषा को वहां क्यों नहीं माना जाता ?

Page No.19

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि ऑफिसर इन्टरप्रिटेशन लगाते हैं। इस नोटिफिकेशन में दर्ज नहीं है इसलिए इन्टरप्रिटेशन है कि कच्चा गोटा भी इस एक्जेम्पसन में नहीं आता है। इस तरह से यह मामला सरकार के सामने आया, सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या सरकार यह समझती है कि सरकार के द्वारा जो नियम बनाये जाते हैं, उनका इन्टरप्रिटेशन हर ज़िले में एक सा होना चाहिए।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि अलग अलग अधिकारियों को अधिकार है कि वे इन्टरप्रिटेशन करें। अगर एक अधिकारी एक्ट के तहत एक इन्टरप्रिटेशन लेता है, जो इन्टरप्रिटेशन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगर गलत इन्टरप्रिटेशन लिया है तो अपील का रास्ता खुला हुआ है, वह अपील कर सकता है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : इस सम्बन्ध में सरकार कब तक निर्णय लेकर अधिकारियों को सूचित कर देगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: मैंने निवेदन किया है कि शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायगा, सरकार के पास ऐसी बात आई है और सरकार विचार कर रही है।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ): सीकर के अधिकारियों के इन्टरप्रिटेशन के सम्बन्ध में सरकार की क्या राय है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : राय अभी नहीं बता सकता।

श्री मदनसिंह : आपकी व्यक्तिगत राय क्या है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : व्यक्तिगत राय कोई वकत नहीं रखती।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या सरकार इस रकम को वापस देगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : This is a very hypothetical question Sir.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : One thing is not hypothetical. If your Act is so ambiguous, does the Government not feel to give special interpreration of the Act or to get the Act amended ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : This is not the issue. They have made certain representation and that has come to the Government and the Government is considering over the matter.

श्री पी० के चौधरी : The Hon'ble Minister has said that the Act can be interpreted in various ways and all the officers are doing it according to their own....

श्री रिखबचन्द धारीवाल : No. I have never said like this. A particular officer has given certain interptetation that he was of the view that

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

imitation Gota is not specially exempted and there for sale tax in leviable on such Gota and his view has come before the Government and the Govt. is taking decision over it.

श्री पी० के० चौधरी : What is the interpretation of the Advocate General.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The whole matter is under consideration of the Government and if it will be necessary, we shall see it. Advocate General's opinion in this matter will not be of any use.

श्री मदनसिंह : इसके सम्बन्ध में सीकर से कोई डेपुटेशन आया था क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह मामला कब से विचाराधीन है ?

श्री पी० के० चौधरी : When there is a difference of opinion regarding the interpretation of law, is it the executive that decide for the interpretation or you refer the matter to the Advocate General ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल :There is already a notification given and that notification is given under certain Act. Now if any person is aggrieved there is an appeal provied for it and he can get it set aside that order of a particular officer. Representation has been given to the Government and it is being considerd.

श्री पी० के० चौधरी: If the Government comes to know that two or three officers get different interpretation for that, they will refer it to the...

श्री अध्यक्ष : This not a question of interpretation. They say that the matter is under consideration.

श्री मदनसिंह : माननीय अध्यक्ष, एक प्रश्न है, आप कह रहे थे कि विचाराधीन है, तो हम यह जानना चाहते हैं कि कब से विचाराधीन है, कैसे विचाराधीन है, सरकार के पास कोई डेपुटेशन आया था या दर्खास्त आई थी, न तारीख बता रहे हैं, न डेपुटेशन का पूछते हैं तो डेपुटेशन का बता रहे हैं और न दर्खास्त आई तो फिर यह विचाराधीन किस आधार पर है, क्या वैसे ही सरकार के दिमाग में यह बात आ गई ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि चाहे डेपुटेशन आया हो या किसी तरह सरकार को मालूम हुआ हो, इसका कोई असर नहीं पड़ता है, पर यह मामला सरकार के विचाराधीन है कि कच्चे माल पर बिक्री कर लेने का जो इन्टरप्रिटेशन वहां के अधिकारियों ने लिया है वह सही है या नहीं। चाहे यह सरकार को वैसे ही मालूम हुआ हो पर यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री मदनसिंह : यह कब से विचाराधीन है, एक साल से, दो साल से, या ६ साल से ?

श्री अध्यक्ष . श्री ब्रजेन्द्रपाल ।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

भीलवाड़ा में अभ्रक

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार जयपुर) : Will the Minister for Mines be pleased to state :-

1. Is there any mica block holder in Bhilwara named m/s Ram Lal and Sons ?

2. If so, since how long is this firm working there ?

3. Is it true that certain area out of his original block was granted to some other concerned ?

उप मन्त्री खनिज विभाग (श्री रिखब-चन्द धारीवाल) : 1. Yes Sir.

2. Since March 1951.

3. No Sir.

4. Question doos not arise.

5. No Sir, question does not arise,

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : There are only three parts of my question. you are replying it in 5 parts. Is it my question or some other ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It is your question.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: My question did not have five parts. There are only three parts.

श्री अध्यक्ष: He has given reply for the first thee parts and the rest were not allowed.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: He has replied Sir.

श्री अध्यक्ष: और भी अच्छा है, और ज्यादा जानकारी आपको मिल गई।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I am certain that the question had five parts when it was sent but later on 4 and 5 may not havn been allowed.

श्री अध्यक्ष: श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

श्री जयचन्द मोहिल ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल काला बादल ।

श्री पा० के० चौधरी: Let this be replied.

श्री अध्यक्ष: He is there.

(हंसी)

कोटा रबर फैक्टरी को कर्जा

६७१. श्री भैरवलाल 'कालाबादल',

Page No.22

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

(अकलेरा मु०): क्या उद्योगमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) कोटा स्टेशन की रबर फैक्ट्री को कितना ऋण किस किस तारीख को दिया गया?

(ख) क्या यह सही है कि रबर फैक्ट्री के नाम पर लिया हुआ ऋण फैक्ट्री के काम में नहीं आया?

उपमन्त्री उद्योग विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल): कोटा रबर फैक्ट्री को २५,००० रु० का ऋण दिया गया जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार हैं:

रकम	दिनांक ऋण दिये जाने की
५०००	१.५.५५.
५०००	१०.१.५६
१५,०००	२८.३.५८
कुल २५,०००	

(ख) जी नहीं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': अलग अलग तीन बार कर के देने का क्या मतलब है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: यही मतलब कि अच्छा काम रेंक।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': अब तक क्या अच्छा काम किया?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: काफी अच्छा काम किया है, कार्य में प्रगति की है, काफी अच्छी मशीनें ली हैं, ८ तरह की मशीनें उन्होंने खरीद ली हैं, कलेंडर मशीन उन्होंने ५,००० रु० में खरीदी है, कुछ 'रॉ' मेटिरियल भी खरीदा है, और जांच कराई है तो मालूम हुआ है कि काफी अच्छी प्रगति की है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : यह ऋण लिया है, वह कब तक अदा होगा?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: यह तो अलग अलग ऋण की किश्तें हैं नियमानुसार दो साल बाद में अदा होती है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): क्या तीन हिस्सों में बांटने से अच्छा काम होता है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने तो यह कहा है कि अलग अलग सालों में दी है ५५ में पांच हजार, फिर पांच हजार और फिर १५ हजार।

श्री पी०के० चौधरी: रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट क्या चार्ज किया गया है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: नियम के माफिक व्यक्तिगत आदमियों से ३ पर्सेन्ट है और कोऑपोरेटिव सोसायटी से ढाई रुपया पर्सेन्ट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :(जोहरी बाजार जयपुर): क्या नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि नियमों के माफिक जितना रुपया लोन लिया जाता है लोन लेने वाले को उतना रुपया अपने पास से इन्वेस्ट करना चाहिये।

Page No.23

श्री रिखबचन्द धारीवाल : फैक्टरी में लोन की रकम से कहीं अधिक रुपया लगा हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा प्रश्न है कि रूल्स के माफिक लोन दिया जाता है, तो रूल्स में यह लिखा हुआ है कि जितना रुपया लोन दिया जाता है उतना ही रुपया लोन लेने वाला अपने पास से भी इन्वेस्ट करे। तो क्या इस प्रकार इस पर्टिक्युलर पार्टी ने इन्वेस्टमेंट किया है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : दुगुना तिगुना इन्वेस्टमेंट इसमें मौजूद है।

(श्री पी. के. चौधरी और कुछ अन्य सदस्यों के अनुपूरक पूछने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष: श्री भैरवलाल कालाबादल

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': यह मशीनीकरण करने के अलावा यह फैक्ट्री लगी भी है या नहीं और काम भी चला है क्या?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूँ कि यह कितने ही अर्से से लगी हुई है।

श्री भैरवलाल कालाबादल: यह लोन लेने के पहले लगी थी?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां।

श्री भैरवलाल कालाबादल: जब पहले ही लगी थी, तो फिर इसको लोन क्यों दिया गया?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: और ज्यादा मशीनें लगाने के लिए दिया गया था।

श्री भैरवलाल काला बादल: वह चल भी रही है या बन्द पड़ी हुई है।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) आप प्रश्न कर्ता ज्यादा जानते होंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: क्या राज्य सरकार ने इसकी जांच कराई है।

श्री भैरवलाल काला बादल: क्या यह सरकार की जानकारी में था।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: क्या राज्य सरकार ने इसकी जांच कराई कि मशीनरी खरीदने के लिए रुपये दिये उसके बाद उन्होंने कुछ खरीदा या नहीं?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कहा कि ८ हजार की मशीनरी खरीदी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: क्या लोन देने के बाद लोन के रुपयों से?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : लोन के रुपयों से। ड्राइविंग मशीन, Vallanising machine, Sylender machine.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आपने फरमाया कि पहले से मशीनें थी। तो क्या लोन ग्रान्ट किया तो लोन की रकम से खरीदी गई या पहले से ही थी?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: अगर आप मेरे उत्तर को न समझ सकें तो मैं क्या करूं मैं कहता हूं कि लोन से खरीदी गई। वही मशीनें जो अभी बताई गई थीं।

श्री भैरवलाल कालाबादल: क्या सरकार की जानकारी में यह भी है कि कुछ मशीनों को दूसरी जगह लगाने के लिए जा रही हैं और बेची गई हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: अध्यक्ष महोदय, जिस चीज के बारे में स्पेसेफ़िक बात नहीं हो, तो उसको कहने से कोई लाभ नहीं है।

श्री भैरवलाल कालाबादल: मैं कह रहा हूं बेची जा रही हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल: मैं यह कह रहा हूं कि नहीं बेची जा रही है। पांच हजार की रोलर और सिलेन्डर मशीन खरीदी। ५ हजार की पहले खरीदी और आज ज्यादा मशीनें हैं। और लोन रॉ मेटीरियल के लिये भी लिया है। इसलिए माननीय सदस्य जो जानकारी दे रहे हैं वह गलत है।

श्री भैरवलाल कालाबादल: जो मशीनरी काम नहीं कर रही है उसके लिये मैंने कहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: माननीय सदस्य इसके लिए जानकारी वहां ले जाकर करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री मनरूपराम परिहार।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): प्रश्न संख्या ६२६ का उत्तर देता हूं। I have now received that reply.

विकास खण्ड वाली द्वारा बनवाये गये होज व नलों से हरिजनों को पानी भरने में कठिनाई।

६२६. **श्री मनरूपराम परिहार** (खारची सु०) क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या गांव बोया तहसील वाली में विकास खंड वाली द्वारा सन् १६५४ में बावड़ी पर जनता की सुविधा हेतु होज व नल बनवाये गये?

(ख) क्या यह सही है कि सात नल अलग अलग सवर्ण जाति के लोगों के लिये व छः नल अलग अलग अछूत जाति के लोगों के लिये क्रमशः होज के पूर्व व पश्चिम में बनाये गये हैं?

(ग) क्या यह सही है कि भाट, खटीक, गुरडा व भंगी जाति के लोगों के लिए कोई नल नहीं लगाया गया है, और न उनको लगे हुए नलों पर पानी भरने दिया जाता है?

(घ) क्या सरकार विकास खंड के रुपयों का इस प्रकार व्यय किया जाना उचित समझती है? यदि नहीं, तो सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है?

(ङ) क्या यह सही है कि बोया गांव के श्री नरसिंहराय गुरडा को पानी नहीं भरने

Page No.25

(श्री मनरूपराम परिहार)

दिया, और इसकी शिकायत विकास अधिकारी एस. डी. ओ. व पुलिस में की परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) :

(क) जी हां।

(ख) हौज चौकोर बना हुआ है और दोनों ओर नल लगे हुए हैं। यह जातिवार बंटे हुए नहीं हैं।

(ग) नल जातिवार लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यह सार्वजनिक कुंआ है। अलावा इसके नल खुले में रहते हैं। ताला नहीं लगाया जाता। कोई भी जाति का आदमी किसी भी समय पानी भर सकता है।

(घ) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

(ङ) श्री नरसिंहराय ने पुलिस व दूसरी जगह शिकायत की उसकी जांच पर यह मालूम हुआ कि यह शख्स अपनी जाति के लिये अलग नल चाहता है। जो वह पंचायत भी देना वाजिब नहीं समझती है। अलावा इसके सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस पाली ने मौके पर जाकर डोंडी पिटवा कर पानी भरवाया और वहां पर किसी तरह की शिकायत नहीं हुई।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार जयपुर) : क्या सरकार ने यह जानकारी करने की कोशिश की है कि हरिज़नों और दूसरी जातियों को इससे अड़चन नहीं होती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका उत्तर (ख) और (ग) में आ चुका है।

डॉ० चन्द्रकला : हम देखते हैं कि कानून बनते हैं मगर जिस समय व्यवहार में देखते हैं तो उनमें बहुत दिक्कत आती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका (ख) और (ग) में दे दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

एस. डी. ओ. जयपुर का रिक्त स्थान

६२७. श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर सु) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

गत कितने माह से जयपुर कलेक्ट्री के अन्तर्गत एस. डी. ओ. जयपुर के पद पर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): गत तीन माह से।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : अब कब तक इसका प्रबन्ध हो जाएगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : जल्दी ही। १५ अप्रैल के बाद।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : अभी आपका क्या एरेंजमेंट।

Page No.26

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी जो काम कर रहे हैं वह एस. डी. ओ, का काम भी कर रहे हैं और मेजिस्ट्रेट का काम भी कर रहे हैं।

अध्यापकों का फिक्सेशन

८२८. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा, डॉ० चन्द्रकला द्वारा पूछा गया) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा जिन अध्यापकों का त्रुटिपूर्ण फिक्सेशन उच्च वेतन श्रृंखला में हुआ था और एकाउन्टेन्ट जनरल द्वारा निरस्त कर दिया था, उन्हें विभागीय फिक्सेशन की तारीख से प्रमोशन दिये जाने हेतु आदेश निकले हैं ?

(२) अब तक कितने अध्यापकों को उक्त आदेशान्तर्गत लाभान्वित किया गया है ?

(३) शेष अध्यापकों के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है, और उनके मामले कब तक तय हो सकेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हां।

(२) इस फहरिस्त में अभी कए किसी अध्यापक को लाभान्वित नहीं किया गया है। सब की फहरिस्तें साथ ही बन रही है और कार्यवाही शीघ्र ही पूरी की जावेगी।

(३) इसका भी उत्तर ऊपर दिया जा चुका है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार जयपुर) : क्या यह सच है कि जयपुर ज़िले के अध्यापकों के फिक्सेशन का प्रश्न एक न एक कारण से उलझन हुआ है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जैसा मैंने पहले उत्तर दिया था कि जिनके केसेज़ ए. जी. के कारण से रूके हुए हैं। उसी के लिये कुछ केसेज़ रूके हुए हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार उनकी इस समस्या को जल्दी हल करना चाहती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हम स्वयं ही उसको जल्दी हल करना चाहते हैं क्योंकि इससे हमको दिक्कत पैदा होती है।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) क्या जून तक इसको हल कर दिया जावेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हम निश्चय तो नहीं कह सकते क्योंकि कई मुश्किलें हमारे सामने हैं लेकिन जितना जल्दी हो सकेगा हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है।

टैक्सटाइल मर्चेन्ट्स कमेटी बीकानेर के सभापति का स्मृति पत्र

६००. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या वित्त मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(श्री मुरलीधर व्यास)

(१) क्या यह सत्य है कि बीकानेर टैक्सटाइल मर्चेन्ट्स कमेटी के सभापति श्री सुखदेव ने अपनी रकम का हिसाब करने के सम्बन्ध में १४-१०-५७ को कोई स्मृति पत्र मुख्य मन्त्री को पेश किया था ?

(२) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया ?

उपमन्त्री वित्त विभाग (श्री रिखबचंद धारीवाल) :

(१) जी हां।

(२) कमेटी क्लेम की विभागीय जांच कराई गई। अब मामला अन्तिम निर्णय के लिये सरकार के विचाराधीन है ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह कब से विचाराधीन है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : विचाराधीन तो कुछ अर्से से है। इसमें ए. जी. से कई ऑब्जेक्शन आये, और उसके सिलसिले में जांच ही रही है और यह बहुत जल्दी तय कर दिया जावेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : जो रुपया टी. एम. सी. का है वह उसको सन् १६४५ से आज तक नहीं मिला है। सन् ४५ से लेकर आज करीब १५ साल हो गये हैं । इसके सम्बन्ध में कितना रुपया है, क्या विचार किया जा रहा है और क्या अड़चम है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: यह दरअसल सही है कि एक अर्से से रुपया बाकी है। एक एसोशियेशन बनी थी बीकानेर स्टेट के समय में। कपड़े के होल सेल के सम्बन्ध में बनी थी। उसमें कुछ शर्तें थी और उसमें २ प्रतिशत स्टाफ खादी के खर्च के लिए रकम काट ली जाती थी। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि उसके अधिकारी कौन है क्या एसोशियेशन उस रकम की अधिकारी है या कौन है। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। यह प्रश्न ए. जी. के पास भी गया था। सरकार इस पर विचार कर रही है ।

श्री मुरलीधर व्यास : २ प्रतिशत रकम कटने के बाद भी कितनी रकम रहती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं निश्चित तौर से तो नहीं कह सकता लेकिन ८०,००० के करीब होगी।

श्री मुरलीधर व्यास : २ प्रतिशत का क्या एग्रीमेंट हुआ है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : एग्रीमेंट है कि २ प्रतिशत काट कर अलग रख लिया जावेगा। इसके लिये बैंक में खाता खुला है और रकम मौजूद है। अब प्रश्न यह रहता है कि उसमें यह दर्ज नहीं है कि यह रकम किसको दी जाए।

श्री मुरलीधर व्यास : २ प्रतिशत काटी हुई मौजूद है वह कितनी है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कहा कि कुछ हिसाब हुआ था। ८० हज़ार के बारे करीब हैं । मगर इसके बार में फैसला करना है।

Page No.28

श्री मुरलीधर व्यास : ८० हज़ार तो टी. एम. सी. के बैंक में है। २ प्रतिशत के हिसाब से रकम कितनी होती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं दो प्रतिशत के बारे में कहता हूँ। दो प्रतिशत के रकम का हिसाब होने पर ८० हज़ार के करीब रहती है। इसका अभी तक निर्णय लेने है कि इसका अधिकारी कौन है ?

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि बीकानेर के पी. एम. ने समझौता किया था उसमें यह दर्ज था कि यह दो प्रतिशत की रकम है उसको काट कर टी. एम. सी के खर्चे को काट कर सरकारी अधिकारी हैं काम चलावेंगे उसके बाद टी. एम. सी. को जो रकम होगी वह दे दी जावेगी।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह शर्त नहीं है कि खर्च की रकम काट कर जो रकम बकाया रहेगी उसका अधिकारी कौन होगा। यह भी स्पष्ट दर्ज नहीं है कि टी. एम. सी. का उसको लेने का अधिकार होगा। यह बात है नहीं। इसका ही तो झगड़ा पड़ा हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा कहने का मतलब यह है कि २ पर्सेन्ट रकम डी. एम. सी के खर्चे के लिए रखी गई और उसमें से यह था कि जितना खर्चा होगा वह काट लिया जावेगा और बाकी की रकम लौटा दी जावेगी।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह नहीं है। यह स्पष्टतया एग्रीमेन्ट में दर्ज नहीं है कि खर्चा काट लेने के बाद एसोशियेशन को बाकी की रकम मिल जावेगी। यदि यह दर्ज होता तो कोई दिक्कत नहीं होती।

श्री मुरलीधर व्यास : यदि इस प्रकार का एग्रीमेन्ट में दर्ज हो तो क्या रकम देने में में तो कोई हर्ज नहीं होगा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं स्पष्टतया कहता हूं कि एग्रीमेन्ट में ऐसा नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : ऐसी परिस्थिति में निर्णय कब तक हो जावेगा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जल्दी ही करने की कोशिश हो रही है। उनके रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ भी आये थे।

श्री मुरलीधर व्यास : जल्दी से क्या एक महीने में, दो, तीन, चार महीने में तय किया जा सकेगा, क्योंकि यह सवाल १५ साल से चल रहा है। छोटे मोटे सब ही व्यापारियों का सवाल है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : निश्चित समय तो नहीं बता सकता हूं लेकिन जल्दी ही इसको करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष प्रश्न समाप्त हुए।

१२. १ म० प०

स्थगन प्रस्ताव

परसों श्री भैरोंसिंहजी (श्री माधोपुर) ने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी थी जो उन्हें नहीं दी गई। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि

(श्री अध्यक्ष)

शीघ्र ही जांच कर लेगे। उस विषय में एक स्टेटमेन्ट सरकार की ओर से कल दिया जावेगा।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : I have moved an adjournment motion.

श्री अध्यक्ष : दो स्थगत प्रस्ताव एक श्री पी. के. चौधरी का और दूसरा श्री मोहर सिंह की ओर से थे। राजस्थान औद्योगिक न्यायाधिकरण (Rajasthan Industrial Tribunal) को हाईकोर्ट से अल्ट्रावायर्स घोषित किये जाने के सम्बन्ध में। उनको प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दी जाती है। सरकार द्वारा जो नीति अपनाई जावेगी उसका विवरण दिया जावेगा।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार जयपुर) : एक मेरा भी है।

श्री पी. के. चौधरी : When that statement will be given.

श्री अध्यक्ष : अभी इन्फोर्मेशन नहीं आयी है आने पर देंगे।

दो स्थगन प्रस्ताव हैं एक डॉ० चन्द्रकला का और दूसरा श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल का। उस पर विचार किया जा रहा है।

डॉ० चन्द्रकला : यह भंगियों की हड़-ताल का प्रश्न है। शहर सड़ रहा है, सफ़ाई नहीं हो रही है। कम से कम सफ़ाई का तो इन्तज़ाम कर दें

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर शहर) : शहर सड़ रहा है। कम से कम सफाई का तो इन्तज़ाम होना चाहिये। मंत्रियों को झाडू और टोकरा लेकर जाना चाहिये। यदि दो तीन दिन बाद उत्तर दिया जावेगा तो फिर स्थगन प्रस्ताव का पर्पज़ ही खत्म हो जाता है। यह एक बहुत ही जरूरी बात है और इस ओर ध्यान देना चाहिये। शहर में गंदगी फैल रही है, कूड़ा करकट सड़कों और मौहल्लों में पड़ा हुआ है और सड़ रहा है। कुत्ते बिल्लियां मरी हुई पड़ी है और सड़ रहे हैं, उनको उठाने वाला कोई नहीं है।

Either the Minister should give a statement in the House just now that he will make proper arrangements, he should himself go personally with a 'Jharu' and 'Tokra' or with some other persons and get the town clean.

He should give some assurance to the House that he will make proper arrangements for sanitation.

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह भी एक अज़ीब घटना हो गई है कि जब तक यह बिल पास नहीं होगा एडमिनिस्ट्रेटर साहब ध्यान नहीं देंगे, यह बिल जल्दी ही पास कर दिया जाय क्यों कि सारा शहर सड़ रहा है, कोई गंदगी को साफ़ करने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सरकार के सामने यह समस्या है और सरकार शीघ्र ही कदम उठायेगी।

डॉ० चन्द्रकला : भंगियों की जो हड़-

(डॉ० चन्द्रकला)

ताल वह एक झगड़े का प्रश्न है। तीन दिन से शहर की सफाई नहीं हो रही है, शहर सड़ रहा है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : 'भंगी' शब्द का प्रयोग वर्जित है, अध्यक्ष महोदय।

डॉ० चन्द्रकला : कोई आश्वासन तो दे दें।

श्री अध्यक्ष : ये दोनों ही समस्यायें आपस में सम्बन्धित हैं। सरकार शीघ्र ही कदम उठायेगी।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम): Sir, why not requisition the services of Hon'ble Shri Jwala Prasad? I think he will be much more suitable.

१२.६ म० प०

विधायी कार्य

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १६५७

(अग्रेतर विचार विमर्श)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान म्युनिसिपल बिल की धारा ६७ से १०६ पर विचार हो रहा था। अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो संशोधन प्रस्ताव उन्होंने विभिन्न धाराओं पर प्रस्तुत किये हैं उन पर ज्यादा समय न लें। जो कुछ कहना है वे संक्षेप में कहें। पांच दस मिनिट में ही कह कर समाप्त कर दें क्योंकि जो समय बिल को विचार करने का निर्धारित किया है वह थोड़ा है और उसको देखते हुए लम्बी बहस की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यदि उनका एक संशोधन हो तो उसके लिए पांच मिनिट और एक से अधिक हों तो कुल मिला कर १० मिनिट ही बोलें, उससे अधिक नहीं जिससे कि सारे माननीय सदस्यों को जिन्होंने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं बोलने का मौका मिल सके।

जो संशोधन देर से आये हैं उनको प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दी गई है। अब धारा ६६ से १०६ तक जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत नहीं किये थे वे अब ऐसा करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : They shall not be allowed to be moved in the House.

अमेन्डमेन्ट्स सर्कुलेट हुए हैं?

श्री अध्यक्ष : Not all of them.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन से?

श्री अध्यक्ष : कुछ ऐसे जो समय पर आ गये थे और कुछ बाद में आये। सर्कु-लेट होने का मतलब यह नहीं है कि उनकी आज्ञा दी जावेगी। क्लॉजेज़ का कन्सीडरेशन शुरू कर दिया और उसके बाद संशोधन आये तो उनको नहीं लिया जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्लॉजेज़ ६७ से १०६ पर विचार किया था। जो संशोधन आये वे ओटोमेटिकली मान लिये जांय ऐसी व्यवस्था दी गई थी। उस सम्बन्ध

Page No.31

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में माननीय सदस्यों ने बोलना शुरू कर दिया था, और कुछ माननीय सदस्य बोल भी चुके थे। अब एक लिस्ट सर्कुलेट की गई है। ६७ में माननीय श्री सोहनलाल भटनागर ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं, इसी तरह और भी हैं, इसलिए यह ओब्जेक्शन रेज़ करते हुए निवेदन करूंगा कि बाकी के भी रूल्स के अनुसार इजाज़त न दी जाय।

श्री अध्यक्ष : मेरी यह व्यवस्था थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लेकिन कुछ को होगी और कुछ को नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : कुछ को सरकार मंजूर करती है। इसके लिए एक्सेप्शन करते आये हैं कि इस तरह के अमेन्डमेन्ट हों तो उनको ले सकते हैं। बाकी के जो संशोधन हैं उनके सर्कुलेट हो जाने का मतलब यह नहीं है कि उनकी आज्ञा दी जावेगी।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६७ से १०६ पर मेरे अमेन्ड-मेन्ट्स हैं उन संशोधनों पर विचार प्रस्तुत करने से पहले टैक्स नगरपालिका को लगाने..

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : जो अमे-न्डमेन्ट्स मूव कर रहे है I think no 'Hon'-ble Member can move any amendme-nt at this stage. Amendments have already been moved.

श्री अध्यक्ष : सारे अमेन्डमेन्टस अभी तक मूव नहीं किये गये थे।

श्री श्री भानसिंह : कर दिये गये।

श्री अध्यक्ष : कुछ ऐसे हैं जो अभी तक मूव नहीं हो पाये हैं।

श्री श्री भानसिंह : अमेन्डमेन्ट मूव किये थे। रेफेरेन्स दे सकते हैं। यह व्यवस्था थी। ओटोमेटिकली ६७ से १०६ तक कह सकते हैं। जहां तक मूविंग का ताल्लुक है बिटवीन ६७ एन्ड १०६ मूव हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : क्लॉजेज़ मूव किये हुए माने जाय ऐसा था। लेकिन जहां तक अमे-न्डमेंट के मूव करने का ताल्लुक है वह तो तभी होगा जब कि सम्बन्धित माननीय सदस्य उसको मूव करेंगे।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है कि जो अमेन्डमेंटस सर्कुलेट होगये हैं उनके लिये यह न मान लिया जाय कि उन सब को मूव करने की इजाज़त दे दी गई है। जो भी अमे-न्डमेंटस आपके यहां से सर्कुलेट होते हैं वे मेरा ख्याल है कि आपके यहां से छानबीन होनेके बाद सर्कुलेट होते हैं न कि केवल सदस्यों द्वारा भेजने मात्र से ही ऐसी स्थिति में जब कि पहले छानबीन होजाती है और उसके बाद में दफ्तर स्वीकृति दे देता है तो ऐसी हालत में बिना विशेष कारण के मैं समझता हूँ आपकी तरफ से बन्धन न होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सरसरी तौर पर जांच तो होती है किन्तु कई दफ़ा ऐसे प्रश्न आजाते हैं समय के बाहर भी, माननीय सदस्यों के कहने पर या सरकार द्वारा स्वीकार करने की हालत में इजाज़त दे दी जाती है। मेरी व्यव-स्था यह थी कि सर्कुलेट होजाने से यह न

(श्री अध्यक्ष)

मान लिया जाय कि उनको मूव करने का अधिकार मिल गया। अमेन्डमेंटस के सर्कु-लेट होजाने के बाद भी कई दफ़ा होता है माननीय सदस्य एतराज़ उपस्थित कर सकते हैं जैसा कि आज श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने किया।

श्री तनसिंह : जो अमेन्डमेंटस सर्कु-लेट होगये हैं उन अमेन्डमेंटस के सिलसिले में कोई एतराज़ उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। मेरा निवेदन यही है कि आपकी ओर से जब सर्कुलेट हो चुके तो आपकी ओर से रोकने का प्रयास न करेंगे।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में आपत्ति आपने बाद में की है। अमेन्डमेंटस के बारे में कन्फ्यूजन न हो वापिस डिबेट को रिओ-पन न करेंगे इस आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए मैंने व्यवस्था दी है।

श्री दयाकृष्ण विजय।

क्लॉजेज़ ६७ से १०६ तक

श्री दयाकृष्ण विजय : माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा ६७ से लेकर १०६ धारा तक मेरे भी संशोधन हैं। जहां पर नगरपालिकाओं को कर लगाने का अधि-कार देते हैं उस सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा विवेचन करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कर लगाने के दो आधार होते हैं वह इसलिए कि नगरपालिकायें या इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं को चलाने के लिये कुछ जनता से धन संग्रह करें। दूसारा आधार यह कि समाज में ऐसा वर्ग है जो धनी मानी कहलाता है उस वर्ग पर टैक्सेशन करके उस वर्ग को इस लेवल पर लायें जिससे समाज में समता आ सके और जो असमानता व्याप्त है वह दूर हो और समान करने में योगदान दे सकें। मैं समझता हूं नगरपालिकाओं के सामने यह पहला प्रश्न है कि नगरपालिकाओं को अपना खर्च चलाने के लिये धन लाना चाहियें। जब हम चाहते हैं कि वह धन अप्रत्यक्ष कर से आये तो यह भार ऐसे लोगों पर पड़ना चाहिये जिनके पास पूंजी है और जो आसानी से इस तरह का कर दे सकते हों। जहां हम समता के सिद्धान्त को मानते हैं वहां इसप्रकार के कर उस समानता लाने में योग दे सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि दो तरह के टैक्सेज़ लगते हैं एक तो वे टैक्सेज़ जिनका असर साधारण जनता पर होता है, और दूसरा वह जो कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता पर लगाया जाता है। जहां तक हम देखते हैं इस प्रकार के इन डायरेक्ट टैक्सेज़ जो होते हैं उसका असर उन गरीबों पर पहुंचता है, उस गरीब वर्ग पर पहुँचता है जिसके पास ज़मीन आजी-विका के पूरे साधन नहीं हैं, इस प्रकार का जो गरीब तबका है उससे इन्डाइरेक्ट टैक्स लगाकर जहां पर कुछ लेने का प्रश्न है मैं इस इन्डाइरेक्ट टैक्स का विरोध करता हूं। इन धाराओं के बीच में जहां भी इन्डाइरेक्ट टैक्सेज़ का विधान है मैं उसका विरोध करता हूं। और मेरा ऐसा कहना है कि जो डाइ-रेक्ट टैक्सेज़ भी आप लगाते हैं उनका असर भी सामान्य जनता पर नहीं पड़े ऐसा होना चाहिये। जिसके पास अपना पेट भरने के लिये साधन नहीं, अच्छे कपड़े पहनने के लिये पैसा नहीं, अपने बच्चों की दवा दारू के लिए पैसा नहीं, उनसे टैक्स लिया जाता है यह उचित नहीं है। आज जो टैक्स लगाये गये हैं वे दो आधार लेकर नागरिकों पर लगाये गये है। एक तो इसमें ऑब्लीगेटरी

(श्री दयाकृष्ण विजय)

टैक्सेज़ रखे हैं और कुछ टैक्स ऐसे हैं जो आप्शनल हैं जिनको नगरपालिका की इच्छा पर रखा गया है। इन ऑब्लीगेटरी टैक्सेज़ पर विचार करने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि राजस्थान सरकार चाहती है कि नगरपालिकाओं को अपना खर्चा चलाने के लिए राज्य सरकार से सब्सिडी नहीं लेनी चाहिये और राज्य सरकार सब्सिडी दे नहीं सकती उसको चाहिये कि अपने खर्चे के लिये अपने आप ही व्यवस्था करें। नगर पालिकाओं द्वारा जहां तक टैक्स लगाने का सवाल है वहां उन नगरपालिकाओं का काम है कि वह शहर की सफाई रखे और भी दूसरे प्रकार के मनोरन्जन के साधन जुटायें। नगर निवासियों के लिये तो ये साधन बगैर आमदनी के जुटाये नहीं जा सकते और उसके लिये आवश्यक है कि वे टैक्स लगायें। जहां सब्सिडी नहीं दे सकते वहां ऑब्लीगेटरी टैक्सेज़ लगाने चाहिए। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया ऑब्लीगेटरी टैक्सेज़ के लगाने के लिये आप नगरपालिका को बाधित करते हैं वहां मेरा यह निवेदन है कि कम से कम नगरपालिकाओं को आप यह सुविधा दें कि वे अपनी इच्छा से ही इस प्रकार के टैक्स लगाये। इसी लिये धारा ६७ के अन्दर पहली लाइन के अन्दर सेल शब्द की जगह मैंने अपने अमेन्डमेंट द्वारा रखने का सुझाव दिया है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं को खुद को इस बात का फिक्र होता है कि टैक्स नहीं लगाये जायेंगे तो शहर के लिये जो अच्छाई के काम हैं उनको नहीं कर पायेंगे। नगरपालिकायें खुद टैक्स लगाना चाहती हैं। जो नगरपालिकायें होती हैं वे चुने हुए लोगों की होती हैं, इसलिये चुने हुए लोग हमेशा यह देखते हैं कि कहीं जनता उनसे नाराज़ न हो जाय और आयन्दा चुनाव में न आ सके इसलिये वे इस प्रकार के टैक्स लगाना नहीं चाहते इसी लिये ऑब्लीगेटरी रखना चाहते हैं। कुछ नगरपालिकायें जो इस प्रकार का टैक्स लगाना नहीं चाहती मेरा निवेदन यह है कि उनको कम से कम इस प्रकार के टैक्सेज़ लगाने के लिये बाधित न किया जाय। इसके लिये सरकार कह सकती है कि प्रोविज़ो इसीलिये तो रखा गया है गवर्नमेंट से उसको इजाज़त लेनी होगी। गवर्नमेंट आवश्यक समझेगी तो इजाज़त देगी नहीं तो उससे मुक्त कर सकती है। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई जगह इस प्रकार देखने को मिलता है जहां नगरपालिकाओं में बहुमत किसी दूसरे दल का आजाता है। मैं इस प्रकार का कोई आक्षेप सरकार पर लगाना नहीं चाहता लेकिन आज के राजनैतिक दांव पेंच के अन्दर यह स्वाभाविक रूप से देखने को मिलता है कि जहां अल्पमत लोग बहुमत में घुलना नहीं चाहते वैसी हालत में सरकार उसमें योगदान देती है! विरोधीदल को बदनाम किया जाय, उनको लोगों की नजरों से गिराया जाय, वैसी हालत में सरकार उनको बाध्य कर सकती हैं कि आपको हाउस टैक्स लगाना पड़ेगा वे नहीं चाहते कि हाउस टैक्स लगे। सरकार यह इसलिये कि विरोधी दल की म्युनिसिपेलिटी है जनता की नजर से यह गिर जाय इसलिये उसको हाउस टैक्स या अन्य किसी भी प्रकार के टैक्स हों उनके लिये बाध्य कर सकती है। ताकि जनता इस प्रकार के कर से दब जाय। मैं इसी आशंका से निवेदन करूंगा कि यह जो 'सेल' शब्द रखा है उसको 'मे' में बदल दिया जाय फिर इस प्रकार के प्रोविज़ो की

(श्री दयाकृष्ण विजय)

भी आवश्यकता नहीं होगी। जहां तक नगर-पालिकाओं का संबन्ध है नगर के हित का संबन्ध है वह आवश्यक समझेगी तो उस प्रकार का टैक्स लगा सकेगी सेल शब्द के प्रयोग करनेसे इसका कहीं दुरूपयोग न होजाय। मानलीजिये किसी नगरपालिका में विरोधी दल आगया और उसको गिराना हुआ तो इस प्रकार का टैक्स लगाने के लिये बाध्य किया जायगा इसलिये मैं समझता हूं 'सेल' की जगह 'मे' शब्द कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

धारा ६७ के तहत क्लॉज़ सेकन्ड में एक संशोधन है

Delete the words 'consumption, use or' occuring in part (2).

इसमें मेरा यह सुझाव है कि इसमें कन्ज़म्पशन यूज इस शब्दों को हटा दिया जाय। हम टैक्सेज़ जो लगाते हैं। उसका एक कारण यह भी है कि नगर की सुविधा के लिये हम लगाते हैं। टैक्सेज़ का भार उन लोगों पर न पड़ना चाहिये जो साधारण जनता है जहां तक कन्जम्पशन और यूज का प्रश्न आता है उसकी उपयोगिता साधारण समाज के लिये होती है। साधारण समाज पर इस प्रकार का टैक्स लगाते हैं। वैसे ही साधारण जनता कमज़ोर है उस बेचारे की कमर इस प्रकार के टैक्सेज से टूट जाती है। उदाहरण के लिये मैं आपसे निवेदन करूं कि कोई ऐसी चीज़ लायी जाती है जिससे नगरपालिका की सड़क खराब होती है, उस पर टैक्स लगता है वह तो ठीक है लेकिन मान लीजिये एक व्यक्ति जो रेडियो सेट खरीदकर लाता है उससे म्युनिसिपेलिटी की सड़क खराब नहीं होती उसको खरीदते वक्त भी उसके सेल्स टैक्स दे दिया और जिस जगह लेजाना होता है वहां ले जाकर वह चुंगी देता है। वैसे रेडियो मकान में समाचार सुनने के लिये होता है उससे कोई सड़क खराब नहीं होती। हर चीज के लिये आपने कुछ एक्सेम्पशन्स गिनाये हैं उसमें कन्जम्पशन और यूज को किसी प्रकार भेद नहीं है।

हम समझते हैं कि आज शहर में अच्छा दूध नहीं मिलता और इसलिये यदि गाय को खरीद कर लाते हैं अपने यूज के लिये तो उसके ऊपर भी ऑक्ट्राय देनी पड़ेगी। तो इस तरह की सारी सार्वजनिक स्वास्थ्य की और सार्वजनिक हित की चीजें जो देखने को मिलती हैं उन सब पर आज ऑक्ट्राय ली जाती है। आज कह सकते हैं कि इन चीजों पर ऑक्ट्राय से काफी आमदनी आती है और अगर इन चीजों पर से इसे हटा लिया जाय तो निश्चित रूप से काफी हानि होगी। पर मैं कहूंगा आप यह ऑक्ट्राय लगाते वक्त इस प्रकार के तबके का भी ख्याल रखिये कि जो निर्धन हैं और जो समाज में काफ़ी तादाद में हैं। धनी वर्ग भी है तो उसकी भी काफ़ी आवश्यकताएं हैं। तो वे अगर इस तरह की चीजें अपने कन्जम्पशन के लिये लाते हैं तो उन पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये।

इसमें मेरा सुझाव यह है कि आप मादक द्रव्यों पर काफी ऑक्ट्राय लीजिये। पर जो सार्वजनिक और जनस्वास्थ्य के लिये अत्यन्त उपयोगी चीजें हैं उन पर चुंगी लगाना जनता पर कुठाराघात करना होगा। आप कम से कम इस दृष्टिकोण को लेकर एक्स-

(श्री दयाकृष्ण विजय)

प्लेन करिये कि किन चीजों पर चुंगी ली जाय और किन पर नहीं । इस पर आप अपनी ओर से संशोधन रखेंगे तो अच्छा होगा ।

इसके बाद, मेरा एक संशोधन इसके अन्दर है । प्रोफेशन टैक्स डाइरेक्ट टैक्स है । मैं इस मत का हूं कि यह निश्चित रूप से लगना चाहिये । जो प्रोफेशन करते हैं, कर्म करते हैं, और जिससे कुछ आय पैदा करते हैं अगर इस प्रकार की आय पर टैक्स लगाकर उनको उसमें से कुछ नगरपालिका को उसके कार्य चलाने के लिये देना पड़े तो यह अखरने वाली बात नहीं है । पचीस रुपया कमाता है तो दो आना टैक्स वह आसानी से दे सकता है । तो इस तरह के डाइरेक्ट टैक्स आप अवश्य लगावें ।

इसमें थर्ड पार्ट में संशोधन है । इसमें एग्ज़म्प्शन की लिमिट रक्खी है । १२० प्रति वर्ष जिसकी लैटिंग वेल्यू है उस पर हाउस टैक्स नहीं लिया जावेगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ इस प्रकार के मकान मालिक भी हैं जो दस रुपया मासिक से ज़्यादा अर्न करते हैं पर जिनकी सारी आजीविका मकान पर ही आधारित है । जैसे विधवाएं हैं या उनके नाबालिग बच्चे आदि हैं जो कुछ कमा नहीं रहे हैं, पर जिनकी शिक्षा आदि के लिये इस किराये के अलावा और कोई जरिया नहीं है । तो इन लोगों को एग्ज़म्प्शन अवश्य दिया जाना चाहिये । पर इसका प्रॉविज़न आपने नहीं रक्खा । तो इस १०) मासिक आय की लिमिट को बढ़ा कर कम से कम ३०) कर दिया जावे तो उन लोगों को कुछ सहारा और राहत मिल सकेगी । इतनी कम आमदनी से आज कल देहातों में भी बहुत मुश्किल से गुज़र बसर हो सकती है । अगर इस प्रकार का प्रोविज़न रखते हैं तो हम किसी के प्रति अन्जस्टिस नहीं करते हैं । जिनके और किसी प्रकार का सहारा नहीं है उन विधवाओं और छोटे छोटे बच्चों को उदर पोषण और शिक्षण हो सकेगा । हम कहते हैं यह ऑब्लीगेटरी टैक्स है पर ऐसी स्थितियों में जो व्यक्ति हैं उनकी स्थिति देखते हुए वहां पर उदारता बरतनी चाहिये और जैसा मैंने सुझाव रक्खा है ३६०) रुपया तक की छूट उनको दी जानी चाहिये । हालांकि यह बहुत कम है । कई जगह विरोध होता है इस टैक्स का, पर मैं इस टैक्स का विरोध नहीं करता । जो बड़े बड़े मकान लोगों के हैं और जिनसे अनाप शनाप किराया भी आता है और जो उनसे नाजायज़ लाभ भी उठाते हैं उन पर डाइरेक्ट हाउस टैक्स का मैं पूरा समर्थन करता हूं । पर इस प्रकार के लोगों के साथ जो विधवा हैं, गरीब हैं उदारता से काम लेना चाहिये । इससे दस बीस रुपया जिनको किराया से आमदनी मिल जाती है उससे उनकी आजीविका चल सकती है तो इसका साधारण निर्धन लोगों को एक अच्छा सहारा मिल सकेगा ।

कच्चे मकानों को अलग कर दिया है उसे कहेंगे आप । पर शहर में किसी आदमी ने एक छोटा सा पक्का मकान भी किसी तरह कर लिया है और उसकी बीस पच्चीस रुपया की आमदनी से किसी तरह अपनी आजीविका चलाता है तो ऐसी स्थिति में मैं अपनी बुद्धि से समझता हूं कि उसको तीस रुपया मासिक आमदनी तक मुक्त कर

(श्री दयाकृष्ण विजय)

देना चाहिये । और ३६०) लैटिंग वेल्यू रखनी चाहिये ।

इसके बाद मेरा सैक्शन ६८ में प्रोविज़ो (ए) है उसमें एक संशोधन है और वह यह है कि आपने जो मैकेनिकल प्रोपल्ड विहिकल हैं उनको मुक्त किया है । आप कहते हैं कि वे मोटर कानून के अन्तर्गत आ जाते हैं । पर मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर मोटरें जो चलती हैं साइकलें चलती हैं वे तो पटान खरन्जा पर चलती हैं । पी० डब्लू० डी० की रोड पर मोटरें चलती हैं पर जितनी मैकेनाइज्ड विहिकल्स हैं वे तो छोटी साईकिलों पर भी लग गई हैं जो पटान खरन्जा सब पर घूम रही हैं तो उनसे टीयर वीयर जरूर वसूल करना चाहिये ।

इसके अलावा नगरपालिका से मोटर टैक्स भी छीनना नहीं चाहिये । यदि हम नगरपालिकाओं की आर्थिक अवस्था को मजबूत करना चाहते हैं तो ये साधन उसको देने चाहिये । मैकेनाइज्ड़ विहिकल्स को एग्ज़म्पट नहीं करना चाहिये क्योंकि ये मैकेनाइज्ड़ विहिकल्स वे ही रखते हैं जिनके पास पैसा है । निर्धन तो साईकिल भी नहीं रख सकता । तो इस पर टैक्स लगाने का अधिकार देना चाहिये । बल्कि जो ओल्ड मैकेनाइज्ड विहिकल्स हैं उन पर भी टैक्स लगाया जावे तो अनुचित नहीं होगा और इस तरह से नगरपालिका के टैक्स से एग्ज़म्पशन नहीं किया जाना चाहिये ।

इसी तरह से रूलर्स वगैरह को एग्जम्पट किया है । इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नगरपालिका एक स्वायत्त शासन संस्था है और इसका नगर के सारे लोग मिलकर शासन चलाते हैं । अब इनको छोड़ते हैं तो इसमें तो सभी राजा और रंक भी आते हैं, पूंजीपति और निर्धन भी आते हैं और इसमें हम सब लोगों को देखते हैं जो सभी मिलकर शासन चलाते हैं । जब चुनाव में अवसर आता है तो वोट देते हैं चैयरमैन बनने की भी कोशिश करते हैं, तो जब यह सब करते हैं तो नगरपालिका का टैक्स भी भुगतना चाहिये ।

हो सकता है सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने ऐसा कोई एग्रीमेन्ट कर रक्खा हो । तो भी यह एग्जम्प्शन सेन्ट्रल टैक्सेज़ तक ही समिति रहना चाहिये । लोकल स्थानीय नगरपालिकाओं के छोटे छोटे टैक्सों से इनको मुक्त नहीं किया जाना चाहिये । इससे उन पर कोई अधिक भार पड़ेगा नहीं, और नगरपालिका का काम आसानी से चल जावेगा । इसमें उनका बराबर का योगदान होना चाहिये । वे अगर इन छोटे मोटे टैक्सों से घबराते रहेंगे तो मेरी समझ में यह एक अनुचित परम्परा भी होगी । जो अर्थ सम्बन्धी टैक्स हैं, डैथ ड्यूटीज हैं उनमें आप उनको रियायत दीजिये, पर इस नगरपालिका में तो अमीर गरीब सब का बराबर का योगदान रहना चाहिये । जो अपने नगर की अच्छाई के लिये काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में राजाओं को इन करों से मुक्त करना हास्यास्पद सा लगता है और समाज में एक अनजस्टिस सा लगता है । बड़े बड़े राजाओं के अपने प्राइवेट डिपार्टमेंट चलते हैं । सौ सौ पचास मकान और हजार डैढ़ डैढ़ दो दो हजार मासिक की आमदनी उनकी है और वह नगरपालिका की सीमाओं में हैं । कोटा

Page No.37

(श्री दयाकृष्ण विजय)

की मुझे याद है। हमारे हिज हाईनेस के करीब सौ से ऊपर मकान हैं, ज्यादा ही होंगे, कोटा से आने वाले अन्य सदस्यों को अधिक ज्ञान होगा पर इतने तो हैं ही तो वहां उनके काफी ज्यादा मकान हैं और उनसे उन्हें काफी ज्यादा किराया मिलता है। इतने पर भी कहें कि हाउस टैक्स नहीं देंगे तो यह अनुचित है। वे नगरपालिका की सीमा में से काफ़ी रुपया लेते रहें, एक तरह से लूटते रहेंगे और टैक्स नहीं देंगे यह अनुचित बात है। यह लूट आगे नहीं चलने देनी चाहिए, और चलेगी तो यह लोक कल्याणकारी राज्य या समाजवादी समाज रचना का नारा व्यर्थ होगा, इस तरह हम इस दिशा में नहीं बढ़ सकेंगे।

लेकिन जहां तक नगरपालिका का स्वायत्त-शासन चलाने का अपना ज़िम्मा है वहां तो इनको मुक्त नहीं किया जाना चाहिए। और मेरा इसमें इसी प्रकार का संशोधन है कि इनको यहां से डिलीट किया जाना चाहिए।

इसके बाद में क्लॉज़ ६९ का जो सब-क्लॉज़ (२) है उसके अन्दर आप ने रखा है कि इतने सारे एग्ज़म्पशन देने के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर्स रहेंगी कि वह जिस टैक्स को चाहे और जिस व्यक्ति को चाहे रीज़नेबल ग्राउन्डस पर माफ़ कर सकती है। यह जो इन्जस्टिस है कि किसी भी कर से किसी भी व्यक्ति को रीज़नेबल ग्राउन्ड्स पर मुक्त कर दे तो यह मेरी समझ में नहीं आता। हां यदि आप पब्लिक इन्टरेस्ट की बात कहते तो समझ में आ सकती थी। लेकिन रीज़नेबल ग्राउन्ड्स के अन्दर तो करप्शन आयेगा और इससे स्टेट गवर्नमेन्ट के पास इतनी वाइड पावर्स आयेंगी कि आप मन चाहे जो कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर से रीज़नेबल ग्राउन्ड्स बनाकर किसी भी कर से उसको मुक्ति दिला सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कहेगा कि जो कुछ भी आंकड़े मेरे मकान के लिए तैयार किये हैं वह ज्यादा हैं तो स्टेट गवर्नमेन्ट पॉवरफुल होगी और उनको हाउस टैक्स से मुक्ति मिल सकती है। पर जिस नगरपालिका ने उसके ऊपर यह टैक्स लगाया है तो आपको म्युनिसिपेलिटी की ईमानदारी के ऊपर शंका होगी। इस प्रकार की शंका की जा सकती है कि आपने जो कुछ निर्णय दिया है वह प्रिज्युडिस मन से दिया है। कांग्रेस होने के नाते, या पार्टी रिलेशन होने के नाते फेवरेटिज्म किया है तो उस नगर-पालिका के लिए यह अन्याय होगा। इस प्रकार के एग्ज़म्पशन की पॉवर्स यदि स्टेट गवर्नमेन्ट अपने हाथ में लेती है, तो सारा कानून बनाने का मकसद ही नहीं रहता है। सारे कानून बनाने का जो नियम है और जो आर्थिक आय आप चाहते हैं वह सारी की सारी खत्म हो जायगी। आप जिसको चाहेंगे मुक्त कर देंगे। तो इस प्रकार का जो अन्याय होने वाला है उसको मुक्त करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह इसके अन्दर से निकाल देना चाहिये। आपने इसके अन्दर हर क्लॉज़ के साथ प्रोवाइजो दिये हैं और फिर इसके लिए आप एक अलग से प्रोविज़ो लगाकर सब को मुक्त कराना चाहें तो यह नहीं होना चाहिये। आप हर जगह एग्ज़म्प-शन रख देते हैं फिर भी इसके लिए सैपरेट क्लॉज़ रखा है वह नहीं होना चाहिए और इस प्रकार की पॉवर्स स्टेट गवर्नमेन्ट के पास नहीं रहनी चाहिए। हां, पब्लिक इन्टरेस्ट

(श्री दयाकृष्ण विजय)

को बात रखते तो ठीक हो सकता था, परन्तु रीज़नेबल ग्राउन्ड्स तो समझ में नहीं आया कि क्या हो सकते हैं। कानूनों में इस प्रकार बातें रख कर आप जनता के लिए कानून नहीं बनाते। मैं तो समझता हूं कि स्टेट गवर्नमेन्ट ऐसा कानून बना रही है जिससे उसी को फायदा हो और जनता को लाभ न हो। ऐसी बातें मुझे इसमें नज़र आती हैं, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और जो सेक्शन १०० का सेकिण्ड पार्ट है यह इसमें से हटाया जाना चाहिए।

अब मैंने सेक्शन १०० का जो पार्ट (सी) है उसमें संशोधन रखा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस टैक्स लगाया जाता है उसको आपने आब्लीगेटरी टैक्स बना कर के और हाउस टैक्ट के सारे नियम रख दिये हैं। सारी सत्ता आपने अपने हाथ में रख ली है कि नगरपालिका एक कमेटी बनावेगी और वह कमेटी असेस्मेन्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेन्ट का एक व्यक्ति होगा वह व्यक्ति उस पर विचार करेगा और उस विचार को 'विथ रूल' आपके पास भेजा जायेगा और यदि गवर्नमेन्ट समझेगी कि यह उचित है तो उसको मानेगी नहीं तो फिर कैन्सिल कर देगी। तो नगरपालिका इतनी सिन्सेरिटी के काम करती है और उसमें चुने हुए आदमियों ने कुछ परिश्रम किया है और आपके रिप्रेजेन्टेटिव ने भी देख लिया है और फिर गवर्नमेंट सेंक्शन दे तो इस तरह गवर्नट सारी सत्ता अपने हाथ में रखेगी तो स्वायत्त शासन नहीं चलेगा। स्वायत्त शासन का मतलब केवल यह नहीं है कि लोग अपने ही हाथों सारा काम कर लें लेकिन गवर्नमेन्ट सारी चीजें अपने अन्दर ही केन्द्रित करले तो यह स्वायत्त शासन के नाम का धोखा है। मैं कहता हूँ कि आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का विश्वास कीजिए और फिर यह उसमें कहें कि स्टेट गवर्नमेन्ट के पास सारे सुझाव भेजें। हां, आप नियम बना सकते हैं। आप ऐसा समझते हैं कि नगरपालिका कहीं ऐसे नियम न बनाये कि जो एक्ट से को-रिलेटेड नहीं हो, लेकिन फिर भी आप नियमों को अपने आप बना दीजिए लेकिन जिस प्रकार का एक्ट और जिस प्रकार की बात रखी और उसमें रखते हैं तो ज़्यादा उपयोगी रहेगी। मैंने इसी दृष्टि से संशोधन रखा है कि नगरपालिका अपनी एक कमेटी बैठाये और वह कमेटी सारा असेस्मेन्ट करे और जनता से आब्जेक्शन मांगे और फिर कमेटी उन आँब्जेक्शन्स पर विचार करेगी और फिर नगरपालिका विचार कर लेगी और वह फाइनल समझा जायेगा। नगर-पालिका अपने ड्राफ्ट को गवर्नमेंट के पास भेजे और गवर्नमेन्ट अपने नियम बनाकर वापिस नगरपालिका को भेज दे। इसके बाद में अध्यक्ष महोदय, एक शंका और आती है कि आप पब्लिकेशन में बहुत देरी कर देते हैं। जब नगपालिका किसी टैक्स को लगाना चाहती है तो वह किसी कारण से देर हो जाती है। इसीलिए मैंने संशोधन रखा है कि जो टैक्स उन्होंने रखे हैं दो महीने के अन्दर भी आप उसे नहीं छपवा सकते तो नगरपालिका को अधिकार होना चाहिए कि लोकल पेपर्स में उसे छपवा दे और टैक्स को लागू कर दे। इससे-आपकी सारी एम्बीगुएटी खत्म हो जाती है। इससे आप नगरपालिका को ही अधिकार दे देते हैं कि आप अपने अनुसार ही टैक्स लगा दें। इन सारे संशोधनों को मैंने इसमें रखा है। मैं समझूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

Page No.39

श्री अध्यक्ष: श्री मोहरसिंह

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल ।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय अध्यक्ष, क्लाज़ ६७ के अन्दर मेरा एक संशोधन है। अध्यक्ष महोदय यह ऑब्लीगेटरी टैक्सेज़ के बारे में है। मैं समझता हूँ कि एक तरफ सरकार जब यह प्रचार करती है कि ज्यादा स्वायत्त संस्थायें हों.....

श्री अध्यक्ष : ६७ में आपका कोई संशोधन नहीं है।

श्री गिरधारी लाल : है, सहाब।

श्री अध्यक्ष : आप बताइये कौनसा नम्बर है कौनसी लिस्ट है ? डिलीट पार्ट वन एण्ड टू, आपका और मोहरसिंह दोनों का है ?

श्री गिरधारीलाल : जी हां। एक तरफ़ सरकार इस प्रकार का प्रचार करती है कि जितनी भी स्वायत्त संस्थायें हैं उनको ज़्यादा पॉवर्स दी जायें और एक तरफ हम जब इनके काम में दखलन्दाजी करते हैं तो ताज्जुब होना स्वाभाविक है। अध्यक्ष महोदय, इसमें ऑब्लीगेटरी टैक्सेज़ के बारे में है। सरकार ने यह कहा है म्युनिसिपैलिटियों को इस प्रकार के टैक्सेज़ लगाने ही पड़ेगें। मैं इस नीति के खिलाफ़ हूँ कि सरकार किसी भी म्युनिसिपैलिटी को या नगरपालिका को इस प्रकार की हिदायत दे कि इस प्रकार के टैक्स नगरपालिका को लगाने ही पड़ेगें, इस नीति के मैं खिलाफ़ हूँ। अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका अपने आप में स्वतन्त्र होती है और वहां की जनता नगरपालिका के मेम्बरों का चुनाव करती है, और वह इस प्रकार से अपने नगर के प्रति खुद ज़िम्मेदार होते हैं। नगरपालिका में घाटा होता है तो खुद जिम्मेदार होते हैं, और उसमें मुनाफ़ा होता है तो वह खुद जिम्मेदार होते हैं। इसमें कोई दूसरा हिस्सा बंटाने वाला नहीं है। सरकार उसे कर्ज देती है तो कर्ज की अदायगी उसे ही करनी पड़ती हैं और अगर नगरपालिका कोई टैक्स लगाती है तो भी वह जनता के प्रति खुद जिम्मेदार होती है, और अगर टैक्स नहीं लगाती है तो भी जनता के प्रति ज़िम्मेदार होती है। याने हर प्रकार के जनता के प्रति जिम्मेदार है। जनता ने उनको चुना है और यदि सरकार यह कहे कि म्युनिसीपैलिटी को इस प्रकार के टैक्स लगाने ही पड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनकी आजादी छीनना है। हम आज इस प्रकार की हिदायत नहीं कर सकते। आप कमसे कम उन्हें सुझाव दे दीजिये कि इन चीजों पर टैक्स लगाया जाये। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट नगरपालिका को इस प्रकार के सुझाव दे कि इस प्रकार के टैक्स लगाये लेकिन आप उनको मजबूर नहीं कर सकते कि उसको यह टैक्स लगाने ही पड़ेंगे।

मैं समझता हूं कि मजबूर करें तो आखिर मकसद क्या है ? इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है। नगरपालिका की आप एक तरफ़ तो स्वतन्त्रता छीनते हैं और दूसरी तरफ़ बात बात में इस प्रकार की बातें करते हैं कि हमारी नगरपालिकाएं हैं, स्वायत्त शासन संस्थाएं है, पंचायतें हैं उनको ज़्यादा से ज्यादा आजादी देनी चाहिए, स्वतन्त्रता देनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पॉवर देनी चाहिए।

(श्री गिरधारीलाल)

दूसरी तरफ हम इस प्रकार के टैक्सेज़ के मामले में उन पर जो बंदिश हम डालते हैं, मैं समझता हूँ, माननीय अध्यक्ष यह उचित नहीं है। इसको मैं अप्रजातान्त्रिक प्रणाली समझता हूं। इसी प्रकार, माननीय अध्यक्ष, इस बात पर ज्यादा नहीं बोलूगा, क्योंकि माननीय सदस्यों ने इस पर काफी विचार प्रकट कर दिये हैं।

अब क्लॉज़ ६८ है उसमें जो पार्ट (सी) है उसमें मेरा संशोधन है उसको डिलीट करने के लिए। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो राजा, महाराजा हैं उनकी प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, इस प्रकार की व्यवस्था है। अध्यक्ष महोदय, राजा महाराजाओं के बारे में काफ़ी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं परसों से सुन रहा हूं कि करीब करीब उधर बैठने वाले माननीय सदस्य और इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य उन सब ने कहा है कि इन राजाओं पर जो कि साधन संपन्न हैं, पैसे वाले हैं उन पर टैक्स नहीं लगाने का जो इस क्लाज़ के अन्दर प्रावधान रखा है यह उचित नहीं है। एक गरीब को छोड़ सकते है, एक गरीब विधवा को छोड़ सकते हैं जिसकी कोई आमदनी नहीं है। एक गरीब आदमी जिसके पास काम नहीं है, जो बेकार है उनको टैक्स से मुक्ति दिला सकते है। लेकिन उन लोगों को जो साधन संपन्न हैं जिन्हें लाखों करोड़ों रुपये मुआवजे के रूप में हम देते हैं उन लोगों को मैं समझता हूं कि इस प्रकार के छोटे मोटे टैक्सेज़ से मुक्त करके जनता के साथ, जनता की भावना के साथ में एक तरह का खिलवाड़ करते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि सदन के अन्दर कई बार हमने इस विषय पर चर्चा करी है। जब भी सेशन चलता है कोई न कोई मौका आता है तब माननीय सदस्य मांग करते हैं कि राजाओं को टैक्सेज़ से मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। यह पक्षपातपूर्ण नीति है। मैं समझता हूँ कि यह जनता के साथ उचित बात नहीं है कि आप एक राजा पर टैक्स नहीं लगायें। उसकी बिल्डिंग के ऊपर या उसकी अन्य प्रकार की सम्पत्ति है जिस पर कि नगरपालिका को टैक्स लेने का हक है, अगर वह बिल्डिंग दूसरे व्यक्ति की होती तो नगरपालिका टैक्स लगा सकती थी, लेकिन नगरपालिका का दुर्भाग्य है कि फलां जगह एक राजा की बिल्डिंग है इसलिए उस पर टैक्स नहीं लग सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूँ कि नगरपालिकाओं में आज दिन तक घाटे की व्यवस्था है। नगरपालिकाएं अमूमन घाटे में रहती हैं और नगरपालिकाओं को काम करना पड़ता है, और हम उनके घाटे में बढ़ोत्तरी कर रहे हैं राजाओं के साथ में पक्षपात करके। जनता, गरीब जनता की जेब में से पैसा निकाल रहे हैं और इन्डाइरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से राजाओं की जेब में डाल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जो धारा १०० है उसमें मेरा एक एमेंडमेंट है। इसमें आपने यह व्यवस्था की है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की अगर कोई प्रोपर्टी होगी तो नगरपालिका उस पर कोई टैक्स नहीं लेगी। राज्य सरकार की जो प्रोपर्टी है, राजाओं की जो बिल्डिंग है, उसमें इस प्रकार से आपने कहा है कि राजा लोग कोई पशु है या और कोई सामान नगरपालिका की हद में लायेगें तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अध्यक्ष

Page No.41

(श्री गिरधारीलाल)

महोदय, जहां तक सेन्ट्रल गवर्नमेंट का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि जब नगरपालिकाओं को स्वायत्त शासन संस्थाएं मानते हैं, वह अपने आप में स्वतन्त्र हैं तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेन्ट्रल गवर्नमेंट हो, नगरपालिका के हरिजन कर्मचारी या नगरपालिका के और कर्मचारी हैं वे उस सेन्ट्रल गवर्नमेंट की बिल्डिंग में झाड़ू देते हैं या और कोई प्रकार किसी प्रकार का काम करते हैं तो नगरपालिका को कोई फायदा नहीं हो तो यह उचित बात नहीं है। नगरपालिका जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट की बिल्डिंग जैसे डाकखाने वगैरह हैं उनमें किसी प्रकार की सफ़ाई का काम करती है, हर प्रकार का खर्चा उठाती है तो इस प्रकार से अगर उन पर टैक्स नहीं लगेगा तो नगरपालिका की आमदनी में हम कमी करेंगे। सेन्ट्रल गवर्नमेंट, मैं सोचता हूं, नगरपालिका की कोई चिट्ठी मुफ्त में नहीं ले जाती है। नहीं राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार के खम्भे हैं या और प्रकार के पानी के नल होते हैं या और प्रकार की चीजें होती हैं जो कि नगरपालिका की हद्द में आती हैं उन पर टैक्स नहीं लगे तो उचित नहीं है। जब नगरपालिका घाटे में चलती है, खुद घाटे में चलती हैं, राजस्थान की सारी म्युनिसिपेलिटियां आज दिन घाटे में चल रही है, ऐसी अवस्था में राज्य सरकार के साथ में और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के साथ में इस प्रकार का पक्षपात करती है, और नगरपालिका की आमदनी में कमी करती है तो यह उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार यहां एक धारा और है, उसमें राजाओं के साथ में कुछ पक्षपात किया है। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं समझता हूं कि जिक्र करना उचित नहीं है। काफ़ी माननीय सदस्य बोल चुके हैं इस बारे में मैं यह चाहता हूं और माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जो राज्य सरकार की कुछ बिल्डिंगें हैं उन पर नगरपालिका टैक्स नहीं लगा सकती है। इस प्रकार का प्रोवीज़न है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की बिल्डिंगों पर नगरपालिका कर नहीं लगा सकती है, और राजाओं के पशुओं पर, राजाओं के सामान पर, राजाओं की बिल्डिंगों पर जो प्रावधान रखा है टैक्स नहीं लगाने का तो इस प्रकार का अनुचित प्रावधान इसमें है। मैं समझता हूं कि नगरपालिकाओं के हित में, जनता की भावनाओं के हित में यह प्रोविज़न न रखकर इसको हटा देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्लॉज़ ६७ से १०६ तक की कुछ क्लॉजेज़ में मेरे संशोधन हैं।

जहां तक क्लॉज ६७ का सम्बन्ध है इसके अन्दर जो मूल आपत्ति है वह है जो शब्द 'ऑब्लीगेट्री' इसमें रखा है उस पर है। हमने स्वायत्त शासन संस्थाओं का निर्माण किया है और स्वायत्त शासन संस्थाओं का करके एक मौका दिया है उनको अपना विकास करने का। और जब हमने मौका दिया है विकास करने का तो उनको यह मौका दें कि अपने रिसोर्सेज़ आफ़ इनकम स्वयं ढूंढें। अब क्या होता है कि उन पर कम्पलसरी टैक्सेशन का प्रॉविजन कर दिया। शायद यह अच्छा होता कि

Page No.42

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

जितना पैसा सरकार को देना है जो कि सरकार सब्सिडी के रूप में देती है और जिसकी आज भी प्रति व्यक्ति ८ आने की रेट बनी हुई है । प्रत्येक म्युनिसिपेलिटी के अन्दर जितने निवासी होते हैं उनके लिए आठ आने का हिसाब से सब्सिडी देती है । इसके अतिरिक्त समय समय पर डवेलपमेंट के नाम पर सरकार विशेष अनुदान म्युनिसिपेलिटी को दिया करती है । तो यह अनुदान, यह जो केवल ८ आने प्रति व्यक्ति के हिसाब से सब्सिडी है वह सरकार की ओर से निश्चित रूप से दिये जाने वाला धन है । यह सब्सिडी दिये जाने पर सरकार की विशेष रूप से मान्यता है कि सब्सिडी के धन को प्रत्येक बोर्ड विकास के कार्यों में खर्च करे । जब यह तय हो जाता है कि सरकार की ओर से समय समय पर दिये जाने वाला अनुदान विकास कार्यों पर खर्च होगा तो बोर्ड का जो दैनिक खर्चा है वह किस तरह से चलेगा । हम यह सिद्धान्त मानते हैं कि No taxation without representation. जयपुर के लोग यह मांग करते हैं कि जो प्रशासक द्वारा टैक्स लगाये जा रहे है वह गलत है । वह इसलिए गलत है कि उनका रिप्रेजेन्टेशन नहीं है । प्रशासक की ओर से जो टैक्सेज़ लगाये जा रहे हैं वे ओब्लीगेट्री नहीं है कि प्रकाशक जो टैक्स लगाते हैं वे जयपुर की जनता को देना पड़े । जयपुर की जनता के प्रतिनिधि बोल नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी कोई आवाज़ नहीं है । इसी प्रकार जब अन्य नगरपालिकाओं में टैक्स लगते हैं तो वहां के प्रतिनिधि तय करें कि कौन सा टैक्स लगायेगें । वे लोग तय करें कि उनका खर्चा कितना है, कितने उनके कर्मचारी होगें, किस प्रकार के उनको नगर के अन्दर विकास-कार्य करने हैं । यह सारे प्रिन्सिपल निर्वाचित प्रतिनिधि तय करेंगे । अब बोर्ड का कितना खर्चा होगा, नौकरों की तनख्वाह में कितना खर्चा होगा, विकास कार्य में कितना खर्चा होगा । विकास कार्य के खर्चे के लिए सरकार अनुदान या सब्सिडी देती है । अब दैनिक कार्यों के लिए कितना खर्चा चाहिये उस खर्चे को जुटाने का काम प्रतिनिधियों का है वे देखें कि उनको कितना चाहिए ? हाउस टैक्स से, ऑक्ट्राय से, टाल टैक्स से या अन्य जितने भी टैक्सेज़ क्लॉज ६७ व क्लॉज ६८ के अन्दर सोचे गये है, उन टैक्सेज़ में से जो भी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार वहां की जनता से अच्छी तरह से वसूल कर सकते हो और जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि समझते हैं कि इन टैक्सेज़ के कारण हमारे नगर का विकास नहीं होगा तो उनको लागू नहीं करना चाहिये । कई स्थानों पर ऑक्ट्रोय के झगड़े चलते हैं और इसके कारण वहां का ट्रेड मारा जाता है वहां यदि यह टैक्स नहीं होता है तो ट्रेड फ्लोरिश होता है । इसके स्थान पर नगरपालिका अन्य कर लगा सकती है और ऑक्ट्रोय से उसको जो घाटा रहता है उसको कंपेनसेट कर सकती है । यह उनके देखने की बात है । लेकिन सरकार ने स्वयं निर्णय कर लिया कि आपको ऑक्ट्रोय टैक्स लगाना होगा, हाउस टैक्स लगाना होगा और प्रोफेशनल टैक्स लगाना होगा यह बात किसी भी प्रकार से प्रजातान्त्रिक प्रणाली के अनुकूल नहीं कही जा सकती **है । हमें** उन्हें विकास करने का मौका **देना चाहिये** । जिस प्रकार से आज हमारे संविधान में अधिकारों की तीन लिस्टें बनाई हैं । एक लिस्ट में सेन्टर को

Page No.43

(श्री जगदीशप्रशाद माथुर)

अधिकार होता है, दूसरी में स्टेट्स को अधिकार होता है और तीसरी कोन्करेन्ट लिस्ट होती है, उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिये सेन्टर भी कानून बना सकता है और हमें अच्छा लगे जैसा हम भी बना सकते हैं। इसी प्रकार से नगरपालिकाओं को भी अधिकार होना चाहिये कि उनके निर्वाचित सदस्य यह तय करें कि कौनसा टैक्स लगाना है और कौनसा नहीं लगाना है। यदि आप बलात कोई चीज़ उन पर लादेंगे तो झगड़ा होगा। म्युनिसिपैलिटीज़ के प्रतिनिधि आपके पास आयेंगे और जनता के प्रतिनिधि भी आयेंगे। क्योंकि सरकार ने यह भी रखा है कि अगर सरकार चाहे तो किसी को एग्जेम्पट भी कर सकती है। तो इसके लिये मन्त्री महोदय के पास जाना पड़ेगा और हड़ताल आदि होती हैं तो उनका समझौता करना होगा। इस प्रकार के झगड़े हमेशा किसी न किसी प्रकार से चलते रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के झगड़े नहीं हों और बीच में आकर मध्यस्त बनें तो हो सकता है कि विरोधी दलवालों का अधिकार नगरपालिकाओं पर होगा और उनका झगड़ा आयगा तो कहेंगे कि हम एग्जेम्पशन ग्रान्ट करेंगे क्योंकि वहां एक तरफ तो नगरपालिका के सदस्य होंगे और दूसरी तरफ नागरिक होंगे। इस तरह का निर्णय होगा तो झगड़ा होगा इसलिये या तो यह प्रोविज़ो है उसको हटा दिया जाय ताकि तीनों ही लगेंगे और हर हालत में लगेंगे फिर तो किसी को कुछ कहने की गुंजायश नहीं होगी लेकिन यदि यह कह दिया कि हमारी मर्ज़ी होगी तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे तो इसमें झगड़ा होगा। या तो यह हो जाय कि नगरपालिका का बहुमत यह कहे कि इनको एग्जेम्पशन देना चाहिये तो दे दिया जायगा या यह तय हो कि प्रोविज़न नहीं रहेगा और किसी को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा लेकिन सरकार के द्वारा यह प्रोविज़न अपने हाथ में लेकर स्थान २ पर झगड़ा कराने की बात है। जिस तरह से जिस तरह से बिल्लियों और बन्दर की बात हुई, रोटी के एक टुकड़े पर दो बिल्लियें लड़ने लगी, बीच में ही एक बन्दर आया और कहने लगा कि मैं बराबर बराबर बांट देता हूं और बांटने के बहाने वह सारी रोटी ही खा गया, इसी तरह की बात होगी। या तो ओब्लिगेटरी प्रोविज़न को हटा दिया जाय और आप बीच में पंच मत बनें, वरना स्थान स्थान पर झगड़े होंगे और स्वयं मन्त्री महोदय, पंच बनकर अपने पक्ष की नगरपालिका होगी उनके लिये कहेंगे कि यह टैक्स लगेगा जनता चाहे इसके लिये चिल्लावे। जैसे यातायात मन्त्रीजी ने कहा था कि कोटा के लोग चाहे चिल्लावें लेकिन हम तो वाटर रेट कम नहीं करेंगे। और यदि दूसरे पक्ष के लोग उनके पास जायेंगे तो कहेंगे कि हम इसको हटा सकते हैं। इस प्रकार के प्रोविज़न को हटा देना चाहिये।

फिर प्रोफेशनल टैक्स की बात आती है। एक तरफ़ तो लिखा गया कि टैक्स ओन प्रोफेशन्स एन्ड वोकेशन्स, फिर आगे कहा कि आर्टिजन्स को माफ़ करेंगे। खाती आर्टिज़न्स में आता है उसको आप माफ़ कर देंगे लेकिन नाई का क्या होगा। वह आर्टिजन नहीं है, उसका तो प्रोफेशन है। फिर हलवाई का क्या करेंगे, उस पर भी आपको टैक्स लगाना पड़ेगा, इस प्रकार की बात है। इसमें जो जो आर्टिजन्स का प्रॉविज़न दिया है उसको क्लीयर किया जाय कि इन इन लोगों पर लाग

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

होगा। खाली प्रोफेशन एण्ड वोकेशन शब्द से झगड़ा पैदा होगा। या तो इसको हटा दें नहीं तो स्पष्ट व्याख्या की जाय कि इन धंधों पर टैक्स लगेगा नहीं तो सरदर्द मोल लेंगें। नगरपालिकाओं को कोई कहेगा हम तो बेकवार्ड क्लासेज़ के हैं, कोई कहेगा हम शिड्यूल्ड कास्ट के हैं, क्योंकि शिड्यूल कास्ट को बरी नहीं किया। इसी तरह से हो सकता है कि आर्टिजन्स नहीं हो, हरिजन और शिड्यूल ट्राइब के लोग छोटे छोटे धंधे करते है उनका झगड़ा आया तो दुविधा हो जायगी तय करने में कि कौनसा प्रॉविज़न और वोकेशन एग्जेम्पशन में आता है। इसके लिये इसमें खुलासा नहीं होता है तो यह प्रोविज़न रखना गलत चीज होगी।

यह जो ६६ और ६८ है इसके बारे में सभी सदस्य जो अब तक बोले हैं उनका एक मत रहा है, कि राजाओं को और महाराजाओं को एग्जेम्पट नहीं करना, चाहिये, चाहे इस पक्ष के हैं चाहे कांग्रेस पक्ष के हैं सबकी एक राय हुई है कि उनको एग्जेम्शन नहीं मिलना चाहिये। हमने तय किया था कि राजा महाराजाओं को जो बिजली और पानी पहले मिलता था, यह मुफ्त मिलता था, उसकी हमने लिमिट कर दी है। पहले वे मर्ज़ी के माफ़िक बिजली और पानी का खर्चा करते थे, लेकिन अभी एस्टिमेट्स कमेटी ने कुछ निर्णय किया था उसके अनुसार उन पर पाबन्दी लगाई है। राजा महाराओं ने त्याग किया है, उन्होंने अपनी रियासतें सौंपी हैं इसलिये उनको कुछ एग्जेम्पशन हमने दिया लेकिन अब जिस तरह का धन्धा राजा महाराजा करते हैं उनको देख कर हमें आश्चर्य होता है कि उनको एग्जेम्पशन किस कारण से दिया जाता है। आज कल वे लोग होटल चलाते हैं उसमें कूड़ा करकट होता है, उसमें माल मसाला, रद्दी कूड़ा वगैरा शहर की सड़कों पर डाला जाता है तो शहर की नगरपालिका....

श्री मदनसिंह दांता : ऐसे ऐसे स्थान उनके पास हैं। जहां नगर बसाये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ का मतलब यह नहीं है : (d) any buliding or part of a buliding used for the occupation of the Ruler of a covenanting State..."

श्री मदनसिंह दांता : Occupation, means 'kabza.'

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: क्या मन्त्री जी स्पष्ट कहेंगे कि राजा, महाराजा किराये पर प्रोपर्टी चलाते हैं या होटल चलाते हैं उन पर टैक्स लगेगा। इसके अलावा उद्योग धन्धे चलते हैं उन पर भी लगेगा इसका क्लेरिफिकेशन हो जाता है तो मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल।

(अनुपस्थित)

श्री सोहनलाल भटनागर।

(अनुपस्थित)

श्री मदनसिंह दांता : पहले इसका स्पष्टीकरण हो जाय तो ठीक रहे।

Page No.45

श्री अध्यक्ष : जवाब देते समय स्पष्टीकरण हो जायगा।

श्री मदनसिंह दांता : स्पष्टीकरण अभी हो जाय तो आगे बहस नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ साफ है, किराये वाले मकान इसमें नहीं आ सकते।

श्री मदनसिंह दांता : २०,२० बिल्डिंग्ज़ जहां मार्केट बसा रखेंगे उनका क्या होगा।

श्री अध्यक्ष : उनका पर्सनल स्टाफ वगैरह है उनका एग्जेम्पशन हो सकता है।

श्री मदनसिंह दांता : अगर ऐसी बात है तो १ मिनिट का काम है, मन्त्रीजी स्पष्टीकरण करदें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मंत्री): मैं तो इसका मतलब यही समझता हूं। इसमें ऑक्यूपेशन लब्ज़ लिखा हुआ है, जो राजाओं की आक्यूपेन्सी में हो प्रोपर्टी। यदि कोई बिल्डिंग किराये पर चलती है, तो वह ऑक्रूपेशन में नहीं है ...

श्री मदनसिंह : वह बहुत वाइड टर्म है।

श्री अध्यक्ष : आपने साफ़ कर दिया है कि गवर्नमेंट ऑक्रूपेशन का मतलब यह नहीं समझती है कि बिल्डिंग को किराये पर दिया जाय।

श्री मदनसिंह : ऑक्रूपेशन मीन्स कब्जा। रेजीडेन्स लिख दें या जिसमें रिज़ाइड कर रहा हो वह लिख दिया जाय तो इस पर बहस न हो।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : मंत्री महोदय स्वयं अमेंडमेंट लाकर सपष्टीकरण कर दें तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : बहस जारी रखिये, वे विचार करके बता देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : बहस इस पॉइन्ट पर नहीं करें।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

(अनुपस्थित)

श्री रामप्रसाद लढ्ढा।

१ म० प०

श्री रामप्रसाद लढढा, (शाहपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरी राजस्थान म्युनिसिपैलिटी बिल की तरमीमें हैं क्लॉज़ ६८ और १०० में। क्लॉज़ ६७ में उन टैक्सों की सूची है जो हर म्युनिसिपेलिटी को लाज़िमी तौर पर लगाने पड़ेंगे इस धारा के पास होने पर। क्लॉज़ ६७ के सब क्लॉज़ ३, में ए टैक्स आन प्रोफ़ेशन्स एण्ड वोकेशन्स लगाया गया है।

श्री मदनसिंह, (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ जिस समय में बहस हो, उस समय जो रोजमर्रा की बहस होती है, उनके लिए अर्ज कर दिया है, कि अलग कमरे हैं उनमें बैठ कर बहस होती है तो हमें भी इजाज़त दी जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्या अर्ज किया ?

श्री मदनसिंह : मैं आप से अर्ज नहीं कर रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय से अर्ज कर रहा हूं।

श्री रामप्रसाद लद्ढा : मेरे अमेंडमेंट हैं In clause 98, Add a new part (xi) (a) as follows:—

"(xi) (a) A tax on artisans."

इस तरह क्लॉज़ ६७ के अन्दर आर्टीजन्स पर जो टैक्स कम्पलसरी तौर पर लिया जाना चाहिये, उसको यहां मुक्त किया है। धारा ६८ में आर्टीजन्स पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। ६८ में उन टैक्सेज की सूची है, जिन्हें अगर कोई म्युनिसिपैलिटी चाहे तो लगा सकती है। मैं इस तरमीम के द्वारा क्लॉज़ ६८ में चाहा है कि आर्टीजन्स के ऊपर यह टैक्स लगाया जाना चाहिये। अगर कोई म्युनिसिपल बोर्ड लगाना चाहे तो इसलिये इस टैक्स को यहां एड करना चाहिये। इसके पीछे मेरी दलील है कि ग्राम पंचायत एक्ट के तहत प्रावधान है कि ग्रामह पंचायतें आर्टीजेन्स के ऊपर टैक्स लगा सकती हैं और यदि जानकारी प्राप्त की जाय तो य मालूम होगा कि राजस्थान में करीब करीब सभी ग्राम पंचायतों द्वारा यह टैक्स आर्टीजन्स के ऊपर लगाया गया है और वसूल किया जा रहा है। ऐसी सूरत में केवल शहर में रहने वाले आर्टीजन्स पर टैक्स नहीं लगाये तो यह असमानता होगी। जो आर्टीजन्स गांव में रहते हैं, उनकी माली हालत और आमदनी उन आर्टीजन्स से जो शहर में रहते हैं, कम होती हैं। शहर के आर्टीजन्स की माली हालत और आमदनी अच्छी होते हुये भी टैक्स नहीं लगाया जायगा तो अच्छा नहीं होगा। इसलिये क्लॉज़ ६८में यह एड करने की तरमीम पेश की है कि 'ए टैक्स आन आर्टीजन्स' और बढ़ाया जाय।

इसके बाद मैंने क्लॉज़ १०० में कुछ तरमीम पेश की हैं। क्लॉज़ १०० एग्जेम्सन फ्रोम टैक्सेशन के बारे में है और इसकी उप धारा ए और बी के ज़रिये राज्य सरकार को जायदाद और केन्द्रीय सरकार की जायदादों को टैक्स से मुक्त किया है। मैं यहां पर हाउस टैक्स के रेफरेन्स से कह रहा हूं...

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, शायद हाउस का कोरम . .

श्री अध्यक्ष : कोरम नहीं है।

(गण पूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री रामप्रसाद लद्ढा : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १०० का उप क्लॉज़ ए और बी के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की ज़ायदादों को टैक्स से मुक्त किया है। चाहे केन्द्रीय सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, म्युनिसिपल एरिया में दो तरह की जायदादें हो सकती है, एक तो ऐसी जायदादें हैं जो सरकारी कार्यालय के काम में आती है और दूसरी जायदाद वह हैं जो कि गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों को रहने के लिए देती है, किराये पर देती है और उसकी तनख्वाह का कुछ प्रतिशत किराये के रूप में काट लिया जाता है या अन्य तरीके से किराया वसूल किया जाता है। इसमें राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की वे जायदादें भी सम्मिलित हैं जो म्युनिसिपल एरिया में हैं और जो न सरकारी कर्मचारियों के काम आती हैं,न दफ्तरों के काम में आती हैं, मगर वे गैर सरकारी आदमियों को किराये दी जाती है, चाहे दुकानें

(श्री रामप्रसाद लढ्ढा)

हों, चाहे हवेली हो, चाहे अन्य किस्म की बिल्डिंग हो। अब सवाल यह है कि क्या इस तरह की सभी जायदादें प्रोपर्टी टैक्स से मुक्त हों या वे बिल्डिंग टैक्स से मुक्त हों जो सरकारी कार्य में,सरकारी दफ्तर के काम में आती हैं। मेरा सुझाव यह है कि जो इमारतें या जायदाद सरकारी कार्यालय या एस्टेब्लिशमेंट के काम में आती है वे ही कर से मुक्त होनी चाहियें और अन्य जायदादें कर से मुक्त नहीं होनी चाहिये और इसके लिये मैंने उपधारा ए, बी में तरमीम प्रस्तुत की है गवर्नमेंट पर्पज़ यानी गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के काम में आने वाली सेन्ट्रल गवर्नमेंट की प्रोपर्टी हो, राज्य सरकार की प्रोपर्टी उसे इस टैक्स में मुस्तसना होना चाहिये, अन्य नहीं। इसके पीछे मेरे कुछ कारण हैं। हम देखते हैं कि म्युनिसिपेलिटी को अपने ओब्लीगेटरी फंक्शन्स परफोर्म करने के लिए उसे कुछ रुपए की आवश्यकता होती है। ये टैक्स भी इसलिये लगाये जाते हैं कि इनकी आमदनी से वे ऑब्लीगेट्री फंक्शन्स पूरे किये जा सकें। जहां तक उन ऑब्लीगेटरी फंक्शन्स का सवाल है,उन जायदादों के प्रति वही है जो सरकार की हैं और उन जायदादों के प्रति वही है जो जनता की हैं, सफाई का सवाल है, सड़क का सवाल है, ड्रेनेज का सवाल है और अन्य फंक्शन्स का सवाल है,उन सारे फंक्शन्स को म्युनिसिपेलिटी उसी तरह अंजाम देती है सरकारी इमारतों के प्रति जिस तरह प्राइवेट इमारतों के प्रति देती है। तो फिर जब दोनों के प्रति म्युनिसिपेलिटी एकसा व्यवहार करती हैं, भेद भाव नहीं रखती है तो क्या वजह है कि सरकारी प्रोपर्टी, जिन्हें सरकार किराये पर देती है, जिनसे सरकार आमदनी वसूल करती है, उनसे टैक्स वसूल क्यों न किया जाय? इसके पीछे एक सिद्धान्त यह भी है कि यदि सरकार टैक्स दे, तो जैसा हम देखते हैं कि टैक्स लगाये जाते हैं तो जनता की तरफ से विरोध होता है, अगर ऐसे टैक्स में ऐसा प्रावधान हो कि जिसके तहत सरकार को भी उन इमारतों के लिये टैक्स देना पड़े तो सरकारी दफ्तरों और ऐस्टेब्लिशमेंट के काम में नहीं आती हो तो जनता का विरोध कम होगा। जनता में एक विश्वास पैदा होगा। म्युनिसिपेलिटी और उसकी टैक्स प्रणाली के प्रति और समानता का वातावरण पैदा होगा। इसलिये जनता में विश्वास पैदा करने के लिये और इस प्रकार के लगाये जाने वाले टैक्सेज़ के प्रति विश्वास पैदा करने के लिये यह आवश्यक है कि उन जायदादों पर, चाहे वे केन्द्रीय सरकार की हो, चाहे राज्य सरकार की हों, टैक्स लगाया जाय, हाउस टैक्स, प्रोपर्टी टैक्स से उन्हें मुस्तासना न रखा जाय, उन्हीं जायदातों को जो सरकारी कर्मचारियों को किराये पर या दूसरे कार्यों के लिये किराये पर दी जाती हैं, जैसा कि आपको मालूम है, सरकारी कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह का १० पर्सेन्ट लेकर बिल्डिंग किराये देती है। एक बिल्डिंग में ४०० रुपए पाने वाला इन्जीनियर है,तो वह ४० रुपये देता है और उसी बिल्डिंग में एक कलेक्टर है,जिसकी तनख्वाह १२०० है। उसको १२० रु० देने पड़ते हैं। सरकार इससे आमदनी करती है और म्युनिसिपेलिटी को अपने सब फर्ज अदा करने पड़ते है तो क्या वजह है कि उन पर टैक्स न दें और उन्हें मुस्तसना रखा जाय। इसके खिलाफ गवर्नमेंट एक दलील दे सकती है और वह कह सकती है कि हम म्युनिसि-

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पेलिटीज़ को ग्रान्ट इन एड देते हैं, उनके धन के अभाव की पूर्ति करते हैं, इसलिए हम टैक्स नहीं देना चाहेंगे; लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्रान्ट इन एड इन टैक्सेशन के एग्ज़म्प्शन के बजाय नहीं दी जाती है। इसलिए यह कहना कि हम ग्रान्ट इन एड देते हैं इसलिए टैक्सेज़ वसूल नहीं होने चाहिये, तो कोई मायने नहीं रखता है... ग्रान्ट इन एड डिस्क्रिशनरी है, गवर्नमेंट की मर्ज़ी पर है टेम्प्रेरी नेचर की एड है जो इस गरज़ दी जाती है . .

Capacity for taxation and capacity to collect tacation. कि Scope for taxation, को fully develop कर जब तक हर म्युनिसिपल बोर्ड स्वावलम्बी नहीं हो जाय, तब तक स्वावलम्बी होने तक ग्रान्ट इन एड देती है और म्युनिसिपेलिटीज़ स्वावलम्बी तब तक नहीं होगी जब तक कि टैक्सेज़ लगाने के मामले में म्युनिसिपेलिटीज़ स्वतन्त्र नहीं होगी। आज जयपुर की म्युनिसिपेलिटी को ले लीजिये काफ़ी रुपया ग्रान्ट इन एड या लोन के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ता है और म्युनिसिपैलिटी इसको गवर्नमेंट की मेहरबानी समझती है। क्यों हम म्युनिसिपैलिटियों को गवर्नमेंट की मेहरबानियों पर ज़िन्दा रखते हैं और क्यों म्युतिसिपेलिटीज़ को गवर्नमेंट के पास जाना पड़े। कानूनन म्युनिसिपेलिटीज़ के अधिकार हैं जिससे वे इतना और ज्यादा रुपया इकट्ठा कर सकती हैं। ग्रान्ट इन एड देकर सरकार मेहरबानी नहीं करती। बहुत से टैक्सेज़ ऐसे हैं जो म्युनिसिपल बोर्ड्स के लिए सुरक्षित हैं पर गवर्नमेंट उन टैक्सेज़ को म्युनिसिपेलिटी को नहीं लगाने देती है, या कोई कारण होता है कि राजस्थान सरकार वह टैक्सेज़ लगाती है तो उसका हिस्सा कुछ न कुछ म्युनिसिपेलिटीज़ को मिलना चाहिये। तो ग्रान्ट इन एड के पीछे यह जो सिद्धान्त है वह ठीक नहीं है, ग्रान्ट इन एड टेम्प्रेरी है, जो टैक्सेज म्युनिसिपेलिटीज़ को वसूल करना चाहिये उन टैक्सेज़ को सरकार वसूल करती है, उनके बदले में वह दी जाती है।

इसलिये मैंने यह तरमीम रखी है। वह प्रोपर्टी जो राज्य के दफ्तरों के काम में आती है, वही टैक्स से मुक्त होनी चाहिये, दूसरी प्रोपर्टीज़ पर टैक्सेज़ लगने चाहिये ।

फिर मैंने बी. १ नया क्लाज़ प्रस्तुत करने की तरमीम पेश की है राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोपर्टी इस प्रकार के टैक्सेज़ से एग्जेम्प्ट करने का प्रोविज़न रखा है पर म्युनिसिपैलिटी की प्रोपर्टी को एग्जेम्प्ट रखने का प्रोविज़न नहीं है जिसके कारण इसका टैक्स लिया जायगा, म्युनिसिपैलिटी का कोई मार्केट है या कोई प्रोपर्टी है जिसका म्युनिसिपेलिटीज़ किराया वसूल करती हैं, तो इस प्रावधान के अनुसार वह टैक्सेशन से मुक्त नहीं समझी जाती। क्योंकि म्युनिसिपेलिटी ही टैक्स लेने वाली है और म्युनिसिपेलिटी ही देने वाली होगी इसलिये मैंने यह बी. वन का नया प्रोविज़न रखा है।

Any property of the municipal board...

मुझे आशा है कि मेरी इन तरमीमों को मन्त्री महोदय स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : एड कराना चाहते हैं म्युनिसिपेलिटी की प्रोपर्टी को भी कि इसे

Page No.49

(श्री अध्यक्ष)

भी इस प्रकार के टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाय। आप उत्तर देंगे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): नहीं, बोलूंगा मैं इस पर। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज बिल चेप्टर ७ क्लॉज ६७ से लेकर १०६ पर सदन में विचार चल रहा है। इन क्लॉजेज में कुछ संशोधन के प्रस्ताव सदन के माननीय सदस्यों ने रखे हैं। उनमें से कुछ माननीय सदस्यों के प्रस्ताव, जो सीकर से आने वाले माननीय सदस्य और कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखे है, मैं उनका समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब टैक्सेज के बारे में हम विचार करते हैं, यह चेप्टर है इसको हम कलेक्टिवली कन्सीडर कर रहे हैं क्लॉज ६७ में यह व्यवस्था की है कि कौन कौन टैक्सेज होंगे, जिनको नगरपालिकाओं को कम्पलसरी, जिनको हम ओब्लीगेटरी टैक्सेज के नाम से पहचानते हैं, वह लागू करने होंगे।

इसके आगे क्लॉज ६८ में इस प्रकार के टैक्सेज की सूची दी है जो नगरपालिकाएं अगर चाहती हैं तो अपने क्षेत्र में लगा सकती हैं।

इससे भी इम्पोर्टेन्ट क्लॉज है १०० जिसके अन्तर्गत उन टैक्सेज की सूची दी है, संस्थाओं, के बॉडीज के लोगों के नाम दिये हैं जिन पर इस प्रकार के दोनों टैक्सेज लागू होंगे। क्लॉज १०१ में प्रोसीजर दिया है।

६७ में जो राज्य सरकार ने व्यवस्था की है, दो प्रकार के टैक्सेज राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज बिल के पास होने पर लागू होंगे, एक ऑब्लीगेटरी और दूसरे डिस्क्रिशनरी टैक्सेज। ऑब्लीगेटरी टैक्सेज ३ प्रकार के हैं पहला हाउस टैक्स, दूसरा ऑक्ट्राय टैक्स और तीसरा प्रोफेशनल या वोकेशनल टैक्स के नाम से लगेगा।

माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज के युग में जब हमारी सरकार कहती है कि हम डीसेंट्रेलाइजेशन ऑफ पॉवर करने जा रहे हैं। राज्यपाल महोदय ने राजस्थान विधान सभा में भाषण दिया था कि राजस्थान के अन्दर सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है, जो राजनैतिक सत्ता एक जगह केन्द्रित थी अब पंचायतों के द्वारा, नगरपालिकाओं के द्वारा और जिला परिषदों के द्वारा राजस्थान में शासन चालू किया जायगा। अध्यक्ष महोदय एक ओर तो राज्यपाल महोदय से इस प्रकार की बातें कहलवाते हैं, राजस्थान सरकार देश देश में ढिंढोरा पीटती है कि राजस्थान में राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है लेकिन राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज बिल में ६७ क्लॉज जैसा क्लॉज रख कर जिसमें ऑब्लीगेटरी टैक्सेज होंगे, स्वायत्त शासन को देखा जाय तो नगरपालिका रीढ़ की हड्डी है। शहरों के रहने वाले लोग अपने शहरों में रोशनी, व सफाई और शहरों के इन्तजाम के लिये अपने चुने हुए लोगों की नगरपालिकाओं का निर्माण करते हैं, जिन नगरपालिकाओं में हम हमारे नुमायन्दे भेजें, शहरों की रोशनी, सफाई का इन्तजाम सौपें उनको आज के युग में हमारी राज्य सरकार एक ओर यह अधिकार देती है और दूसरी ओर म्युनिसिपैलिटीज बिल में लिखती है कि नगर-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पालिकाओं को अधिकार नहीं होगा कि चाहे तो हाउस टैक्स, ऑक्ट्रोय टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स लगायें और नहीं चाहें तो नहीं लगायें।

मन्त्री महोदय कहेंगे कि जो टैक्सेज़ ऐसे है कि म्युनिसिपैलिटीज़ लगा नहीं पाती। राजस्थान में नगरपालिकाओं की हालत आर्थिक दृष्टि से खस्ता है, राजस्थान सरकार का कर्ज़ा इन पर है, उसको चुका नहीं सकी हैं, वाटर का, पॉवर का, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा स्वयं राजस्थान में चलने वाली नगरपालिकाएं राजस्थान सरकार को चुका नहीं सकी हैं, नगरपालिकाओं की हालत खराब है, इस लिये मन्त्री महोदय कहेंगे कि कमेटी बनाई है जो राजस्थान में म्युनिसिपैलिटीज़ की फाइनेन्शियल कन्डीशन्स की जांच करेगी।

जहां तक इस कमेटी का ताल्लुक है हम इस बिल के साथ प्रोसीड कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने कमेटी बनाई है, मैं उसका मेम्बर हूं पर वह कमेटी बनाई है इसलिये कि जितनी म्युनिसिपैलिटीज़ की हालत खराब है, उस कमेटी के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस में रखा है कि वह कमेटी राजस्थान सरकार को सलाह दे कि फाइनेन्सेज़ के बारे में, ऑडिट के बारे में क्या पॉलीसी रखी जाय, लोन्स, ग्रान्ट इन एड के बारे में, फाइनेन्शियल रिसोर्सेज़ के बारे में राजस्थान सरकार और ८ म्युनिसिपैलिटीज़ के किस प्रकार का आधार रखा जाय, इस बारे में सरकार को सलाह दें। एक ओर सरकार कमेटी से यह चाहती है और दूसरी ओर यह रखा है कि ऑब्लीगेटरी टैक्सेज़ होने चाहिये कि नहीं, होने चाहिये तो कौन कौन से होने चाहिये....

कौनसा डिसक्रिमिनेट्री टैक्स होना चाहिये और कौनसा ऑब्लीगेट्री। आपने इसके लिये एक कमेटी बनाई है उस कमेटी ने अभी तक कोई टूर नहीं किया है और न उसने अपनी रिपोर्ट पेश की है। मगर फिर भी हमारे सामने यह कानून आता है। इस कानून में तीन प्रकार के ऑब्लीगेट्री टैक्स होंगे (१) एनुअल लेटिंग वेल्यू ऑफ़ दी लेन्ड और बिल्डिंग (२) ऑक्ट्रॉय और प्रोफेशन्स और वोकेशन्स जो ऑब्लीगेट्री टैक्सेज़ क्लाज़ ९७ में होगा। जब आज हम इस प्रकार का क्लाज़ पास कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि आपका इस प्रकार की कमेटी बनाने से क्या अभिप्राय है। इस प्रकार की कमेटी को बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस प्रकार की कमेटी का एग्ज़िस्टेन्स जब इस सदन में ९७ क्लाज़ पास हो जाता है तो कोई नहीं रहता सिवाय इसके कि आपको दुनियां की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। राजस्थान सरकार के मिनिस्टर अगर इस प्रकार की कमेटी की, इस प्रकार के क्लाज़ के पास होने के बाद भी आवश्यकता समझते हो तो समझें लेकिन मैं तो उस कमेटी की कोई आवश्यकता नहीं समझता। मैं भी उस कमेटी का सदस्य हूं और मैं उस कमेटी का सदस्य रहने की आवश्यकता नहीं समझता। जब आप इस प्रकार का क्लाज़ पास कर रहे हैं तो फिर कमेटी किस प्रकार से सही ढंग से अपनी रिपोर्ट आपके सामने रख सकती है। मैं उस कमेटी की सदस्यता से त्यागपत्र देता हूं। लिखत में आप चाहें तो बाद में दे दूंगा। आप ओरली इस्तीफ़ा तो अभी ले लें। मैं नहीं चाहता कि आप इस प्रकार की ढोंग करने वाली कमेटी को रखें। आपने नगरपालिकाओं का निर्माण किया है। माननीय मन्त्री महोदय इसका यह उत्तर देंगे और दलील देंगे तो

Page No.51

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

काम कैसे चलेगा। और उसके सामने सबसे बड़ा उदाहरण आयेगा जयपुर की चुनी हुई म्युनिसिपैलिटी का। जयपुर की चुनी हुई म्युनिसिपैलिटी ने पहली बार १६५३ में चुंगी कर लगाया था। आप जानते हैं कि जिस समय किसी प्रकार का कर लगता है चाहे वह म्युनिसिपैलिटी कर हो या कोई दूसरा कर हो उसका विरोध तो खड़ा होता ही है। १६५३ में जयपुर में लगी हुई ऑक्ट्राय चुंगी कर का विरोध हुआ और लोगों ने कड़ा विरोध किया। हड़तालें हुई और उसके कारण जयपुर की म्युनिसिपैलिटी ने उसको वापिस ले लिया। इस मिसाल को लेकर साबित करने की कोशिश करूंगा कि आप कहेंगे कि चूंकि पब्लिक के द्वारा चुने हुए लोगों में हिम्मत नहीं होती कि वे विरोध को सहन कर सकें। पब्लिक के लोग नहीं चाहते थे इसलिये १६५३ में जयपुर की चुनी हुई म्युनिसिपैलिटी ने पब्लिक के विरोध के कारण उसको वापिस लेने की सिफारिश सरकार के पास की। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जयपुर की चुनी हुई म्युनिसिपैलिटी ने १६५३ में जो टैक्स लगाये और उसको वापिस लिया उस कारण आपने उनको सुपरसीड किया और ऑक्ट्राय इम्पोज़ किया। फिर क्या हुआ। फिर भी १६५३ में आन्दोलन हुआ। १२ दिन की हड़ताल जयपुर में हुई और इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई की जयपुर के बाजार में आप बिना सुरक्षा के आ नहीं सकते। जब आपने इस प्रकार की परिस्थिति देखी तो आपने, आपकी सरकार ने हकूमत ने कह दिया और आपकी हकूमत जनता के सामने झुकी और टैक्स को वापिस लिया गया है। टैक्स जायज हो चाहे नाजायज़ हो मगर इस प्रकार की परिस्थितियें पैदा हो सकती हैं। यह बात नहीं की चुने हुए माननीय सदस्यों को ही झुकना पड़ा हो मगर हकूमत को भी जनता के सामने झुकना पड़ा। हकूमत भी जयपुर की जनता के आन्दोलन के सामने झुक गई। तो क्या चूंकि सरकार जनता के सामने झुक गई इसलिए उसको किसी प्रकार के कानून बनाने का अधिकार नहीं रहना चाहिये यह तो उचित नहीं हो सकता। या दिल्ली के लोग यह कहने लगे कि हकूमत चूंकि जनता के सामने झुक गई इस लिये वह हकूमत करने के काबिल नहीं है क्योंकि उसने चूंगी कर को वापिस ले लिया। आपको सुपरसीड करके प्रेसिडेन्ट रूल लागू कर दिया जावे, जिस प्रकार आपने चुने हुए मेम्बरों को सुपरसीड करके एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया, तो हम उसका विरोध करेंगे। क्योंकि वे सारे कदम किसी भी प्रकार से सेन्ट्रल गवर्नमेंट के लिए सराहनीय नहीं होंगे क्योंकि ज़माना लोकतन्त्र का है, ज़माना प्रजातन्त्र का है। लोकतन्त्र के आधारों पर हमने स्वायत्त शासन संस्थाओं का निर्माण किया है। मैं समझता हूं कि आज कोई भी टैक्स लगाने में नगरपालिका समर्थ है या नहीं मगर जब कभी भी टैक्स लगाया जाएगा जनमत उसके विरुद्ध खड़ा होगा। राजस्थान की सरकार कहती है कि नगरपालिकाओं का प्रशासन अच्छा नहीं है, उनका इन्तज़ाम अच्छा नहीं है, मगर इस वजह से सारी हकूमत अपने हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन मैं यह कहूँगा कि इलेक्टेड म्युनिसिपैलिटीज से ज्यादा अच्छा फंक्शन आपका नहीं है। इलेक्टेड म्युनिसिपैलिटीज ज्यादा अच्छा काम करती थी। १६५३ में चुने हुए म्युनिसिपैलिटी के सदस्य थे। उस समय भी हड़तालें होती थी,

Page No.52

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कुछ गंदगी रहती थी लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से आपके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर महोदय ने जयपुर की म्युनिसिपैलिटी का चार्ज संम्हाला है और पधारें हैं तब से म्युनिसिपैलिटी की हालत सुधरी नहीं है बल्कि ज्यादा खराब ही हुई है। अगर पहले की हालत को बैड कह सकते हैं तो अब वह वर्स्ट हो गई है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि पहले गंदगी नहीं थी। पहले भी गलियों में नहीं जा सकते थे। मगर आप पहले गलियों में नहीं जा सकते थे तो आज आमबाजारों में नहीं जा सकते। बाज़ारों में भी वही गलियों की सी गंदगी है। पहले गलियें सड़ती थी तो अब बाज़ार। अभी त्रिपोलिया बाजार में एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था जो तीन दिन तक वहीं पड़ा रहा और तीन दिनों के बाद कल उठाया गया है। आपके पास सत्ता है। आपकी हकूमत है। आज तीन दिनों से शहर में सफ़ाई नहीं हो रही है और सफ़ाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, जयपुर के लोग अखबारों में खबर देते हैं कि शहर में गंदगी फैल रही है। पानी गटरों से निकल कर बाहर बहता है। गंदगी के कारण चारों तरफ़ लोगों में बीमारी फैलने की आशंका है। पता नहीं आप क्यों मौन हैं। भगवान जाने आप अखबार उठा कर देखते हैं या नहीं। आज आपकी म्युनिसिपैलिटी है। आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, फिर यह अव्यवस्था क्यों है। दर असल प्रश्न सिद्धान्त का होता है। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के युग में, प्रजातन्त्र के युग में जहां हमने यह सिद्धान्त स्वीकार किया है कि हम स्वायत्त शासन के द्वारा इन्तजाम करेंगे और उसके बाद यह कहा जाए कि स्वायत्त शासन के द्वारा इन्तजाम अच्छा नहीं होगा, बद इन्तजामी होगी तो मैं समझता हूँ कि उन सारी बातों को हमें बर्दाश्त करना होगा। आज अगर जयपुर में इलेक्टेड मेम्बरों की म्युनिसिपैलिटी होती तो उनका हाथ पकड़ कर कह सकते थे कि यहां पर बद इन्तजामी है आप इसका इन्तजाम करो और वे करते। अगर आज जावें तो कहां पर जावें। एडमिनिस्ट्रेटर के दरवाजे पर जावें तो वहां पर जा नहीं सकते। मंत्रियों से मिल नहीं सकते क्योंकि आप शहर से तीन मील दूर रहते हैं और जब कोई भी चीज आपके सामने लाई जाती है तो आप उसकी व्यवस्था नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कि बोर्ड चुने हुए सदस्यों का होता है और आप कहेंगे कि इसी लिए हमने ऑब्लीगेट्री रूप में इस क्लॉज़ ६७ को रखा है।

(घंटी)

नगरपालिकाओं को चलाने के लिए बड़े साधन होने चाहियें और इसके लिए टैक्स होने चाहिये। मैं टैक्स के किसी प्रकार से भी खिलाफ़ नहीं हूं। मैं खुद यह चाहता हूं कि टैक्स लगने चाहिये। आपकी म्युनिसिपैलिटी टैक्स लगाती है। मैं कभी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि बगैर टैक्स लगाये हुए एडमिनिस्ट्रेशन चल नहीं सकता। इसलिए हमको टैक्स लगाने होंगे और देने होंगे। अगर कोई नो टैक्स का नारा लगाए और कहे कि नो टैक्स विदआउट रिप्रेन्टेशन अगर कोई टैक्स नहीं लगाए जाएँगे तो मैं यह कहूंगा कि प्रतिगामी कदम होगा और डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों के खिलाफ़ होगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो टैक्स ऑब्लीगेट्री के रूप में ६७ क्लॉज़ में रखे हैं, मैं यह कहूंगा कि म्युनिसि-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पैलिटी का जितना खर्चा होगा उसके हिसाब से रखेंगी । और अपना बजट बनावेंगी और प्लानिंग के आधार पर टैक्स लगाएगी । हो सकता है कहीं कम हो कहीं ज्यादा । अब रहा आन्दोलन की बात । जहां तक आन्दोलन का ताल्लुक है, मैं यह कहूंगा कि अगर आप टैक्स लगावेंगे तो आन्दोलन होंगे और म्युनिसिपैलिटी टैक्स इम्पोज़ करेगी तो होंगे । इसलिए जहां तक क्लॉज़ ९७ का सम्बन्ध है, माननीय अध्यक्ष महोदय ओब्लीगेटरी क्लॉज़ को नहीं रखना चाहिये । अब क्लॉज़ १०० की बात हमारे सामने रही है । यह क्लॉज़ १०० तो बहुत ही डैमेजिंग क्लॉज़ है क्योंकि हमने व्यवस्था की है कुछ लोग ऐसे होंगे जिन पर यह टैक्स लागू नहीं होगा.... और इस एक्सेपशन्स के बारे में माननीय अध्यक्ष इस क्लॉज़ में लिखा है कि

"None of the taxes specified in Sections 97,98 and 99 shall be leviable in respect of–

(a) any property of the Central Government, or

(b) any property of the State Government, or

(c) any property used solely for public purposes or as a place of public worship or for a charitable or religious use or purpose, or

(d) any building or part of a building used for the occupation of the Ruler of a covenanting State or the members of his family or for the location of the establishment of such Ruler or members, or

(e) any vehicle, animal or other property belonging to such Rulers or members."

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो एग्जेम्पशन्स दिये गये हैं मेरा उस बारे में प्रश्न यह है कि सैक्शन १०० की जो शुरूआत की भाषा है None of the taxes specified in section 97,98, and 99 shall be leviable in respect of, ९७ पर ओब्लेगेटरी टैक्सेज़ नहीं लगेंगे। धारा ९८ के अन्तर्गत जो डायरेक्ट टैक्सेज़ हैं वे नहीं लगेंगे । इसके मायने हुए कोई भी टैक्स उन पर नहीं लगेगा । आखिर क्या इनकी मन्शा यह है जो स्कवेन्जिग टैक्सेज़ है, वह भी नहीं लगने चाहिये । मैं यह समझता हूं यह तो अवश्य लगना चाहिये । क्लॉज़ १०० में यह व्यवस्था करनी चाहिये । None of the taxes excepting this and this given in the discretionary list. ये जो टैक्सेज़ लगते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट चाहे किसी की बिल्डिंग्ज़ हों, म्युनिसिपैलिटीज़ को वहां पर स्केवेन्जिग या कुछ विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है जिसकी लिस्ट धारा ९८ में दी है, तो वैसी हालत में उनसे भी वह टैक्स वसूल होना चाहिये उनको एग्ज़म्पशन नहीं किया जाना चाहिये । इसके अलावा जो बाकी के टैक्सेज़ हैं उन टैक्सेज़ के बारे में निवेदन करूंगा कि उसमें विशेष रूप से आपत्ति की बात यह है जैसा कि अभी निवेदन किया रूलर्स के बारे में है । रूलर्स जो हमारे यहां के शासक थे, इन सारे राजा महाराजाओं के बारे, में अभी कल परसों जब सदन में विचार हुआ था इस बारे में काफी बातें कही गई थीं । उस दल

Page No.54

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की ओर से हमेशा विरोधी दल के लिये यह कहा जाता रहा है कि ओर यह एक प्रकार से इस दल पर आरोप लगाते हैं कि आप तो राजा महाराजाओं की वकालत करते हैं महन्तों की वकालत करते सरनादार जागीरदार और जमींदार की बातें करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि धारा २०० के अन्दर यह प्रोविज़न रखा है कि राजा महाराजा या रूलर्स की फेमीलीज़ होंगी उनका जितना भी एस्टेब्लिशमेंट होगा उन पर किसी भी प्रकार का म्युनिसिपल टैक्स नहीं लगेगा। यह कदम आपका कौनसा प्रोग्रेसिव कदम है आप उन पर क्यों टैक्स नहीं लगाते हैं। माननीय मंत्री महोदय दलील देते कि यह कवेनेन्ट में लिखा हुआ है केन्द्रीय सरकार और राजा महाराजाओं के बीच में एक प्रकार का एग्रीमेंट है और उसी समझौते के अनुसार संविधान की धारा ३६२ के अन्तर्गत कवेनेन्ट के क्लॉजिज़ के अन्तर्गत रूलर्स और उनकी फेमीलिज़ पर किसी प्रकार का टैक्सेशन लागू नहीं कर सकते। आप उनको इस प्रकार के टैक्स से एक्जेम्प्ट क्यों करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप टैक्स लगाइये फिर देखिये उसका नतीजा क्या होगा आप निश्चिन्त रहिये कि राजा महाराजा लोग हाई कोर्ट में रिट लेकर तो जाने वाले नहीं। उनको तो अपने ऐशो आराम से ही फुरसत नहीं। आखिर इससे आपको डर क्या है रिट पेश होती है तो होने दे वैसे भी तो बहुत सी रिटें यहां जो कानून बनते हैं उनके बारे में होती है बिल हम यहां पास करते हैं उनमें कई दफा ऐसे प्रोविजन्स रख दिये जाते हैं जो अन कॉन्स्टिट्यूशनल और अलट्रा वायर्स होते हैं उनके लिये भी तो रिटें होती है। नाथद्वारा टेम्पल बिल जब लाया गया था उस समय हमने यह कहा था कि आप इसको ला नहीं सकते क्यों कि यह अन्कॉन्स्टिट्यूशनल है आखिर वह हाईकोर्ट में चेलेन्ज हुआ आखिर फैसला उसका क्या होगा यह तो बाद में देखा जायगा। आप हिम्मत क्यों नहीं करते एक दफा लगाकर तो देखिये पहले तो ये रईस ऐसे हैं हाई कोर्ट तक जायेंगे ही नहीं ऐशो आराम तलब हैं कि पड़े रहते हैं। अगर उनसे पैसा आयगा तो म्युनिसिपेलिटी की हालत अच्छी हो जायगी। अगर यह इललीगल या अन-कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्स होगा तो हाईकोर्ट फैसला दे देगा। फैसला देगा उस समय तक तो टैक्स आता रहेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं लाखों और करोड़ों की प्रोपर्टी हो सकती है जिनसे लाखों रुपयों की आमदनी म्युनिसिपेलिटीज को हो सकती है। और इससे उनकी आर्थिक हालत भी ठीक हो जायगी। और इसका दूसरा यह भी असर होगा कि सोशिलिज्म को लाने का यह बहुत बड़ा कारण होगा। आप उठाइये कदम लेकिन मैं देखता हूं आपमें इस प्रकार के कदम उठाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि आप कवेनेन्ट की चार लाइन और कॉन्स्टिट्यूशन की पांच लाइन से डरते हैं और उसी कारण आप राजा और महाराजा की प्रोपर्टी पर टैक्स लगाना नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, कवेनेन्ट मैंने भी पढ़ा है उसमें प्रोविजन है कि रूलर्स को उनके पर्सनल प्रीविलेजेज होंगे जो सन् १६४७ के १५ अगस्त तक उनको मिलते थे वे उनका उपभोग करते रहेंगे उसमें पर्सनल प्रोपर्टी डिगनीटीज़ और टाइटल्स जो वे उपभोग करते थे उनको उसी प्रकार एनजॉय करते रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की धारा ३६२ के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अन्तर्गत भी यही रखा गया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कवोनेन्ट में यह कहां लिखा है कि जयपुर के दरबार जो हिज़ हाई नेस कहलाते थे आज जो होटल चलाते हैं उन पर टेक्स लागू नहीं होगा। होटल चलाना शुरू कर दे कामर्शियल कन्सर्न शुरू कर दे, पैसे कमाने का ज़रिया अख्तियार कर लें कटपुतली का नाच शुरू करदे थियेटर लगादें फिर भी आप उन पर टैक्स लागू नहीं करते। मैं आपसे यह कह देना चाहता हूं दुनियां की कोई ताकत नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रावधान नहीं जो आपको उनसे टैक्स लगाने से रोक सके। आज आप देखते हैं रामबाग पेलेस में होटल चला रखा है, चन्द्रमहल टूरिस्ट होटल के नाम से मशहूर है। इसी तरह से कई राजा महाराजा जो कॉमर्शियल लेवल पर चल रहे हैं उनको आप टैक्स से मुक्त करते हैं यह उचित नहीं है। मान लीजिये इसमें सवारी के लिये भी टैक्स की छूट दी गई है। मान लीजिये जयपुर के महाराजा टैक्सी चलाते हैं तो क्या आप उनसे भी टैक्स नहीं लेंगे, हो सकता है उनके निजी उपयोग के लिये उनकी मेमसाहब के उपयोग के लिये घोड़ा गाड़ी रखते हैं उस पर टैक्स नहीं ले सकते लेकिन यदि उनकी घोड़ा गाड़ी स्टेशन से मुसाफिरों को होटल तक लाती है तो उनसे टैक्स अवश्य वसूल किया जाना चाहिये। जहां तक डिगनिटी का सवाल है उन्होंने अपने आप डिगनिटी खो दी जो हिज़ हाईनेस कहलाते हैं आज उनको होटल वाले के नाम से सम्बोधित किया जाता है। हो सकता है वे होटेलियर होंगे इन्टरनेशनल फील्ड में होटलवालों की संस्था के प्रेसीडेन्ट हो सकते हैं। होटल वाला बनकर उन्होंने अपनी डिगनिटी गिराली वैसी हालत में आप उन पर टैक्स लगा सकते हैं। खुद अपनी डिगनिटी कायम रखना नहीं चाहते आप जबर्दस्ती उनकी डिगनिटी बनवा रहे हैं। कमसे कम जो इस प्रोविज़नों १०० में जो एक्सेप्शन दिये हैं सब क्लॉज़ डी में...

"Any building or part of a building used for the occupation of the ruler of a covenanting State or the members of his family or for the location of the establishment of such ruler or member, or..."

एस्टेब्लिशमेंट वर्ड को उड़ा दीजिये, और एग्जेम्पशन वर्ड को उड़ा दीजिये। जो उनको रेजीडेन्स होगा जो उनका रहने का मकान होगा उन पर टैक्स मत लगाइये। लेकिन रहने के मकान के अलावा जितने भी दूसरे कॉमर्सियल कन्सर्न्स होंगे उन सारे पर ये टैक्सेज़ लागू होंगे। यह आप घोषणा करिये क्लॉज़ ई के अन्दर "Any vehicle animal or other property belonging to such Rulers or members" मैं पूछना चाहता हूँ। मान लीजिये जयपुर दरबार ने यह सोच लिया कि अब टैक्सी चलाना शुरू कर दें टैक्सी ड्राईवर होकर वे टैक्सी चलायेंगे चूंकि वे पुराने दरबार हैं क्या आप उनसे टैक्स नहीं लेंगे? यदि वे अपने लिये या अपनी मेम साहिबा के लिये टैक्सी या घोड़ा गाड़ी रखते हैं उसको आप टैक्स से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं किन्तु यदि उनकी बग्घी चलती है स्टेशन से शहर को मुसाफिरों को लाती तो ऐसे विहिकल्स पर जानवरों पर क्या पुराने दरबार होने के नाते आप क्या टैक्स वसूल नहीं करेंगे। मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री

Page No.56

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

महोदय की ओर से एक संशोधन आना चाहिये। इस तरह से यह माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही इम्पोर्टेन्ट क्लॉज़ है। इसके आगे क्लॉज़ १०१ है उसमें हमने लिखा है.... A board before imposing a tax under section 98 shall observe the following preliminary procedure..." इसमें प्रोसीजर लिखा कि ऑब्जेक्शन के बारे में धारा ६८ के अन्तर्गत जो टैक्स लगायेंगे उनके बारे में ऑब्जेक्शन करने के लिये एक प्रोसीजर प्रेस्क्राइब करते हैं लेकिन धारा ६७ के अन्तर्गत टैक्स का ऑब्जेक्शन करेगा टैक्स लगाने के लिये उसके ऑब्जेक्शन के लिये जनता कहां जायेगी? या तो सरकार आपके मन में यह मंशा है कि क्लॉज़ ६७ में अगर टैक्सेशन किया जावे तो जनता के ऑब्जेक्शन इन्वाइट नहीं किये जावें। या तो आप साफ़ कह दीजिये कि हम क्लॉज़ ६७ में टैक्सेशन करते समय जनता को मौका नहीं देना चाहते। हम तो एक तलवार से सबको झटका करना चाहते हैं और अगर आप झटका नहीं करना चाहते तो क्लॉज़ ६७ है तो इसका का पूरा मौका दीजिये, लोगों को कि उनको मौका मिले कि आपको आपके जो प्रपोजल्स हों उन पर अपनी राय बता सकें, अपने ऑब्जेक्शन कर सकें। आपको फरियाद कर सकें। उस फ़रियाद का असर होगा या नहीं यह तो मैं नहीं कह सकता पर इससे उनको अपनी फरियाद करने की अपोर्चुनिटी मिलनी चाहिये। वह प्रोविज़न ६७ में रहना चाहिये कि जो ६८ में है कि राजस्थान गज़ट में राजस्थान सरकार जब इस प्रकार का ओब्लीगेटरी टैक्स लगाए तो महीना भर के अन्दर राजस्थान सरकार को ज़रिये म्युनिसिपल बोर्ड या ज़रिये कलक्टर या दूसरे ज़रिये जनता अपनी भावनाओं को पहुँचा दे कि वह इस के पक्ष या विपक्ष में अपनी राय किस तरह से ज़ाहिर करना चाहती है। आप प्रिन्सिपल के खिलाफ़ मत इन्वाइट करिये पर जनता यह कहे कि अगर आप चार पैसा मत लगाइये, दो आना मत लगाये, एक आना लगाये। आप अमुक चीज़ पर न लगाइये, इस चीज़ पर लगाइये तो कौनसा ज़रिया है कि वह आपको अपनी राय बता सके? आपके सामने अपने ऑब्जेक्शन लीगल वे में रख सकें। हो सकता है कोई बात आपकी ही नज़र से बच गई हो। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ... मिनेरी प्रोविज़न जो क्लॉज़ १०१ में रखा है कि क्लॉज़ ६८ के बारे में यह प्रोसीज़र लागू होगा तो जो इस क्लॉज़ के बारे में प्रोसीज़र है वही ६७ के बारे में होना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैंने ६७, ६८ और १०० और १०१ इन चार क्लॉजेज़ के विषय में अपने विचार मन्त्री महोदय के सामने रक्खे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इन सारी बातों के बारे में जो एक फ़ोर्म आफ़ रिप्लाई देने का तरीका होता है उस प्रकार आप जवाब नहीं देंगे बल्कि गहराई से उन पर विचार करेंगे और जितने सजेशन रक्खे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिये नहीं कि मैंने रक्खे हैं पर मैं इस दृष्टि से कि इसके कारण राजस्थान में प्रोपर टैक्सेशन होगा और सहूलियत से लागू किया जा सकेगा। जो आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, जिस ढंग से बढ़नी चाहिये, बढ़ सकेगी। राजस्थान कि नगरपालिका के जिस लोकतन्त्र को मज़बूत आधार पर स्थापित करना चाहते हैं उनको

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उन लोकतन्त्र के मज़बूत आधारों पर आधारशिलाओं पर आधारित कर सकेंगे । इस प्रकार के सुझाव को स्वीकार किया गया तो लोकतन्त्र के विकास करने में उसे पनपाने में बहुत कुछ सही भाग अदा कर सकेंगे । इन शब्दों के और अपनी इन आशाओं के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ ।

श्री मदनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से काफी बहस हो चुकी है इस पर ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मैं सुझाव देना चाहता हूं और कुछ बोलूंगा नहीं । जो सुझाव प्रजातन्त्री ढंग से देने थे दिये । एक सुझाव और है वह भी मैं आपको देना चाहूंगा । । दिक्कत आ रही है राजाओं के सम्बन्ध में, इस सम्बन्ध में निवेदन कर देना चाहता हूं कि राजाओं के टैक्स लगाने में अगर आपको आपत्ति है । भारत के विधान के अपोज़िशन में मैं कुछ कहना नहीं चाहता । आप इस बारे में कुछ करना नहीं चाहते तो मैं बताता हूं कि आप राजाओं को राजस्थान में कुछ ऐसी ज़मीन अलग से अलाट कर दें कि जहां २१ ही राजाओं को रख दें । वहां वे खूब मोटरें चलवें, सड़कें तोडें, कुछ भी करें, उन पर वहां कोई टैक्स न हो । उनका टाउन अलग हो, वहां स्वयं ही सारा व्यापार करें, किसी प्रकार का उन पर कोई टैक्सेशन न लगाइये । आप हमेशा यह कहते हैं कि अपोज़िशन से सुझाव नहीं आते। रोजाना अगर पुलिस में देते हैं प्रजातान्त्रि ढंग से तो वह भी गैर कानूनी, पंचायतों के बारे में सुझाव देते हैं तो वह भी गैर कानूनी हैं । आज यह तो इतना अच्छा सुझाव है कि जिस तरह से आज आपने भाखरा नांगल पर बसाया है उसी तरह मैं समझता हूँ कि उन्हीं के खानदान में से ये राजा हैं इसलिये उनके लिये सुन्दर बगीचा हेर लीजिये या नदी के किनारे या और किसी उचित जगह हेर लीजिये और वहां बसा दीजिये । अध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे बड़े तमाशे की बात कही । अगर मन्त्री महोदय हमारे राजाओं को इसके लिये समझा दें तो मैं एक जगह बताऊंगा जहां एक हज़ार आदमी बस रहे हैं । वे काबुल की तरफ के हिन्दू हैं । महात्मा थे । हमला हुआ तो मध्यप्रदेश में उनको बसा दिया । एक हज़ार व्यक्ति वे ऐसे हैं जहां कोई टैक्स नहीं लगता है । आराम है उनको, मकानात हैं बड़े, बड़े बड़ी बड़ी दुकानें हैं । व्यापार होता है । पर होता है वह सारा काम ६ मील के एरिया में । ट्रेक्टर चलाते हैं, महात्मा की तरह रहते हैं, बी.ए.एम. ए. हैं सभी महात्मा ही महात्मा । मैं अपनी आखों से यह विचित्र खेल देखकर आया हूं । तो जैसे इन महात्माओं के लिये यह बसा है वैसे ही एक नगर इन महाराजाओं के लिये बसा दिया जाय । अगर मैं गलत कहता होऊं तो पहले वे उस जगह का निरीक्षण कर लें । ऐसी कोई जगह आप को भी मिल सकती है जहां शिकार के सभी साधन मिल सकें और वहां एक नहीं दस हज़ार मोटरें रक्खे । आपस में व्यापार करें । जो कुछ मान्यता आपने दी है वे उसी तरह से शान से वहां रहें । अन्यथा तो यह अन्याय की बात होगी । आज प्रजातन्त्र में रॉयल फेमिली का मतलब है सारे जागीरदारों से । वे कौनसे जिनको आपने कह दिया कि वह राजा, हम सभी उनके भाई बेटे हैं । सबको

Page No.58

(श्री मदनसिंह)

फिर आप माफ़ करें । इसलिये यह क्या तमाशा है कि एक व्यक्ति के लिये इस तरह का विशेष पॉवर रक्खे । ऐसे पॉवर प्रजातन्त्र में नहीं रहने चाहिये । जहां तक एक सुझाव है और प्रेक्टिकल सुझाव है, जो मैं अपनी आंखों देखकर आया हूं उसको आप मानलें । उन महात्माओं ने. पंडितजी. से मांगा कि म्युनिसिपैलिटी की सीमा में महात्माओं का रहना मुश्किल है । उनकी इससे मान मर्यादा नष्ट होती है । पंडितजी ने इस पर मध्यभारत में उनको एक जमीन अलॉट कर दी । इसलिये सुझाव मानें आप तो यह है और राजाओं को ठीक ढ़ंग से रहना है प्रजा में तो उस तरह से मिलकर रहें । आज राजा महाराजा असेम्बली में बैठने को तैयार हो जाते हैं, म्युनिसिपैलिटी के चैयरमैन बनने को तैयार हो जाते हैं, सरपंच और पंच पन्चायतों में अपने भाई बेटों को करने को तैयार हैं पर जहां टैक्स देने का प्रश्न आता है, कहते हैं हमें सहूलियतें दी जावें । और फिर मैं कह सकता हूं कि यह एक तरह की पोलोटिकल सहूलियत है । कांग्रेसी ही उनको ये सहूलियतें देकर उनको जनता से अलग रखना चाहते हैं, और अपना काम उनसे निकलना चाहते हैं । इस कारण से आज उनसे पूछते हैं कोई तो कहते हैं कांग्रेस अच्छी है । आज कांग्रेस भी चुनावों में उनके मार्फत लोगों से वोट लेने के लिये, उनको प्रसन्न रखना चाहती है और इस तरह से जनता के वोट लेने में उनका उपयोग करती है । केवल इसके सिवाय और कोई उनकी मान मर्यादा का तथाकथित कारण या प्रश्न नहीं है । अगर वे राजाओं की तरह से रहना चाहें तो एक मकान काफ़ी है उनके लिये । उस पर छोड़ा जा सकता है, काफ़ी पैसा है उनके पास । अगर ईमानदार राजा की तरह से रहें तो काफी अच्छा है । पर राजा अगर मुर्गी के अंडे बेचने लगे और शहर में गन्दगी करें और टैक्स न दे और उसको साधारण आदमी न मानें तो यह तो गलत बात होगी । अगर इस बात को प्रजातन्त्र के ढ़ंग से आप हमें समझाना चाहेंगे तो समझ में नहीं बैठेगी यह बात । अगर आप मेरे इस सुझाव को मानते हैं तो मैं कन्विंस कर दूंगा राजाओं को । २१ लोग हैं, बाहर चले जाइये, अच्छी जगह रह सकते हैं । आज राजा महाराजा वैसे भी तो अमेरिका और विलायतों में बसने जा रहे हैं । वहां भी तो वे सभी म्युनिसिपल टैक्स वगैरह देंगे । फिर यहां इन म्युनिसिपैलिटियों को जो कुछ थोड़ा टुकड़ा मिलता है वह देने में उनको क्यों संकोच होना चाहिये । वह मिलना चाहिये । अगर आप इस तरह उनको एग्ज़म्प्ट करोगे तो वह भी नहीं मिलेगा । वहां विलायत में उनको शर्म नहीं आती वहां उनको हर प्रकार का म्युनिसिपल टैक्स देना पड़ता है । इसलिये ठीक ढ़ंग से अगर उनको एप्रोच आप करते तो राजा या जागीरदार इसमें अपनी तौहीन नहीं मानेंगे वे सड़क सफाई के लिये या अन्य सफाई के काम के लिये टैक्स देंगे । पहले भी तो वे देते थे । इसलिये आपका एप्रोच उन तक गलत है । सही ढ़ंग से उनको बात समझाई नहीं आपने । कांग्रेस की तरफ़ से उनको भड़काया जाता है कि यह आपकी शान के खिलाफ़ है । आप क्या इनके चुनावों में खड़े होंगे । ये शब्द इस तरह के कहते यहां के नेताओं को हमने सुना है । अन्यथा मैं तो इसका भी विरोध करता हूं कि वे टट्टी जावें और टैक्स नहीं लगे । हमारे रहने और

Page No.59

(श्री मदनसिंह)

उनके रहने में कोई फ़र्क नहीं है । आप उनको अलग रखना चाहें तो मान सकता हूं । इससे किसी का विरोध नहीं है । झोट-वाड़े की तरफ़ ऐसे प्लाट बनादें । मर्जी आवे, वे वहां रहे । अगर ऐसा नहीं किया तो इसका विरोध होगा और इतना तगड़ा विरोध होगा कि आप भी क्या इसका जवाब शायद मिनिस्टर साहब भी नहीं दे सकेंगे । इसलिये अपोज़िशन की तरफ़ से अच्छे सुझाव देते हैं तो इसका आपको आदर करना चाहिये । आप के पास इसका जवाब नहीं है । इतना कहकर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं ।

श्री रामकरणसिंह (कोट पूतली) : क्लेरीफिकेशन हो जाय उसके बाद में । सब सेक्शन २ में जो चीजें आने वाली हैं म्युनिसिपल एरिया में, मान लीजिये कि काश्तकार दूसरे गांव का रहने वाला है और दूसरी जगह उसकी खेती है, उस एरिया में चीज़ें लाता है तो क्या उस पर भी टैक्स लगेगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉजेज़ ६७ से १०६ तक टैक्सेज़ के सम्बन्ध में....

श्री रामकरणसिंह : इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो जाय ।

श्री अध्यक्ष : अभी बता देंगे ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इन पर सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने अमेन्डमेन्ट्स पेश किये हैं ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : जरा ज़ोर से फ़रमाइये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इन क्लॉजेज़ पर माननीय सदस्यों ने बहुत से अमेन्डमेन्ट्स रखे हैं और उन पर अपने विचार प्रकट किये हैं । सब अमेन्डमेन्ट्स में मूल बात है, जैसे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी जोर से भाषण दिया, वह यह है कि कम्पलसरी टैक्सेज़ नहीं लगाने चाहिये, और दलील दी है कि जहां गवर्नमेन्ट अपने पॉवर्स को डिसेन्ट्रलाइज़ करना चाहती है वहां इस प्रकार के पॉवर्स अपने हाथ में ले रही है और लोकल बोडीज़ के पॉवर्स को समाप्त करना चाहती है । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में जो आरोप सरकार पर लगाये गये हैं वे निराधार हैं और यह सरकार की मंशा नहीं है कि लोकल बोडीज़ की किसी प्रकार की शक्ति, अधिकार, राइट्स और ड्युटीज़ अपने हाथ में ले । इस क्लॉज़ को दो कारण से रखा गया है । अनुभव से यह देखा गया है और अध्यक्ष महोदय, से मैं अर्ज़ करूंगा कि राजस्थान में १५५ म्युनिसिपल बोर्ड हैं और यदि आर्थिक दृष्टि से देखा जाय तो उनकी स्थिति और हाल, मैं समझता हूं, १५५ में से १२५ से ज्यादा ऐसे होंगे जो सब्सिडी मिलने के बाद ही तनख्वाह पे करते हैं, गवर्नमेन्ट सब्सिडी देती है तब ही जाकर तनख्वाह का चुकावा होता है और यदि सब्सिडी देना गवर्नमेन्ट बन्द कर दे तो बहुत सी म्युनिसिपैलिटियों की मुश्किल हो जाय । दूसरा यह है कि जयपुर, जोधपुर में ऑक्ट्रोय लगा हुआ है और इसी तरह से अलवर और गंगानगर और उदयपुर में भी लगा हुआ है । इनकी दरें मुख्तलिफ़ हैं, उदयपुर में एक पैसा एक रुपये पर मन गड्डी पर

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जयपुर में चार आना देना पड़ता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार जयपुर) : चार आना मन लगाया किसने ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हम आज भी बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आप लोग ही खिलाफत करते हैं ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : सुधार कराइये पहले ।

श्री मदनसिंह दांता : सही बात पर नाराज नहीं होना चाहिये । शान्ति से फरमाओ आप ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नाराज़ नहीं हूं । आपसे कोई नाराज़ हो ही नहीं सकता ।

तो एक तो मैंने रेट के बारे में अर्ज किया है । यदि टैक्सेज़ को देखें कि वे क्या हैं तो मालूम होगा कि अजमेर म्युनिसिपैलिटी में २० लाख के टैक्सेज़ लगते हैं, १८ लाख २० लाख होते हैं, और हिन्दुस्तान की म्युनिसिपैलिटियों में दिल्ली को छोड़कर कहीं और ज्यादा नहीं हैं । ऐसे म्युनिसिपल बोर्ड भी हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम एक रुपया भी नहीं है । कोटपुतली की भी ऐसी हैं और जयपुर की भी ऐसी हैं कि जिनकी इनकम पर कैपिटा ३) से अधिक नहीं है । इतनी डेस्पेरिटी है । जब एक म्युनिसिपैलिटी द्वारा टैक्स बढ़ाने की बात होती है तो एक मिसाल पेश हो जाती है कि वहां तो इतना ही लगाया गया और हमारे यहां इतना लगाया जा रहा है । इन दोनों दृष्टिकोणों को देख कर जब फाइनेन्स की दिक्कत आती है और चूंकि वह न आवे इस दृष्टि से यह रखा गया है । सेलेक्टेड बोर्ड के ऊपर इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं । यह जो आरोप लगाया था कि बिल्लियां आपस में लड़ती हैं तो बन्दर काम करता है । लेकिन ऐसा गवर्नमेन्ट नहीं करती है । गवर्नमेन्ट ने तो समझौता कराने की कोशिश की है । बन्दर वाली मिसाल तो तब ठीक होती जब कि गवर्नमेन्ट खुद आमदनी ले लेती । जो प्रोवीज़न इस समय हैं उनको लागू करने का कारण यह है कि गवर्नमेन्ट की यह इच्छा रहती है कि म्युनिसिपैलिटियों की हालत अच्छी हो और कामयाब हों । उनको नाकामयाब करना, परेशान करना, यह उनके अख्तियारात को लेने की मंशा न गवर्नमेन्ट की रही है और न रहेगी । मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाऊं कि इस प्रकार की भावना को किसी भी तरह से काम में नहीं लिया जावेगा सरकार की ओर से चाहे कोई पार्टी बोर्ड में मेजोरिटी में हो ।

दूसरा जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ है वह क्लाज़ १०० के बारे में है और खास तौर से इसमें राजे और महाराजों के सम्बन्ध में आपत्ति की गई है । मैं यह बात मानता हूं कि यह जो क्लाज़ है इसमें सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट, स्टेट गवर्नमेन्ट और राजाओं की जितनी जमीन, प्रोपर्टी है उसको टैक्स से एक्ज़म्प्ट कर दिया गया है । माननीय सदस्यों की जो आपत्ति है उसके लिए अर्ज करूंगा कि सेन्ट्रल और स्टेट गवर्नमेन्ट्स अपनी प्रोपर्टी को पर्सनल यूज़ के लिए किसी तरह काम में लेती हैं और इसी तरह से राजे और महाराजे भी ऑक्यूपेशन के बजाय, प्रोफिट के तौर पर काम में लेते हैं तो एक्ज़म्प्ट नहीं करना चाहिये ।

श्री मदनसिंह दांता : उनको म्युनिसिपल एरिया से दूर क्यों नहीं बसा दिया जाता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह सुझाव जो आपका है वह मेरी शक्ति के बाहर है। मैं पंचायत और लोकल सेल्फ मिनिस्टर हूं राजाओं को हुक्म देकर कहीं और बसा दूं, आप ऐसा कर सकते हैं, मैं नहीं।

श्री मदनसिंह दांता : मज़ाक में लेते हैं तो ऐसे सुझाव आयन्दा देने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १०० में यह कर दिया जाय कि Provided that any such building vehicle, animal or property mentioned in a, b, c of this section shall not be exempted from any such tax if it is used for a purpose of profit प्रोफिट के लिए सेन्ट्रल और स्टेट गवर्नमेन्ट बिल्डिंग लेती है और किराया वसूल करती है, और राजे और महाराजे प्रोफिट के लिए काम में लेते हैं तो जो प्रोविजन्स हैं उनमें एग्जम्पशन नहीं होता है। If it is used for a purpose of profit. उस सूरत में वह प्रोपर्टी एक्ज़म्प्ट नहीं होगी। मैं समझता हूं कि क्लाज़ १०० के साथ यह प्रोविज़ों एड कर दिया जावे...

२ म० प०

श्री मदनसिंह दांता : मान लीजिए दस हज़ार की है और पुष्कर के मेले में बेचने जाता है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगायेंगे या नहीं?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, यह परव्यू के बाहर की चीज़ है इसलिये इसको तो सेन्टर ही देखेगी।

श्री मदनसिंह : नहीं, नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कॉन्सिटट्यूशन में सिर्फ इतना ही प्रोविज़न है कि कोवेनेन्ट के मुताबिक जो कन्डीशन्स दी गई हैं उनको अभी रखा जाये जब कि लेजिस्लेचर कोई कानून बनाये। तो जो प्रिविलेज़ सन् ४७ से पहले के थे उनको मान्यता देनी चाहिए।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): मेरा यह था The word 'profit' will be very ambiguous term. The Government or the Ruler may let it out and then say that he has given voluntarily. So if you mention clearly about the profit, that it does not let out to any other person.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो प्रोफिट होगा।

श्री पी. के. चौधरी : The 'profit' is a very disputable term. I may say that the Assembly Hall is let out on 100/-, but they may say that it is the depreciation charge and not the profit. So, it is a very disputable term.

श्री मदनसिंह : इसका ऑलटरनेटिव और भी है कि राजाओं के पास मोटर खुद के या किसी और के काम में आती है, सब पर टैक्स लगा दें तब तो हम गवर्नमेन्ट के लिए इन्साफ़ समझेंगे।

Page No.62

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह प्रोविज़ो एड करने से स्पष्ट हो जाता है कि जो उनके पर्सनल यूज़ में चीज़ आयेगी उस पर तो टैक्स नहीं होगा। लेकिन कोई प्रोफिट के काम में लायेंगे, लैट आउट करेंगे या किराये पर देंगे तो टैक्स लिया जायेगा।

श्री मदनसिंह : प्रोफिट से क्या मतलब है तो फिर ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्रोफिट का मतलब लैट आउट से ही है।

श्री मदनसिंह : तो फिर वह प्रोफिट में तो बतायेंगे ही नहीं कि क्या है वह पर्सनल यूज़ की बात कह देंगे और फिर पांच हज़ार रुपये ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष : स्टेट गवर्नमेन्ट और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट तो रेन्ट पर देते हैं उनको एक्सक्यूलड करके रेन्ट एड कर दें राजाओं के बारे में तो you can keep them as it is.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : जब १६४७ का क्राइटेरिया तय हो गया है उसके खिलाफ़ क्यों होता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तो फिर १०० क्लॉज़ को डेफर कर दिया जाये और बाकी के जो क्लॉज़ हैं मैं समझता हूं उन्हें पास कर दिया जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : बाट अबाउट १०१।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १०१ में तो नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Prior to the discussion, it suggests that the same procedure should be followed in this regard also...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ६७ के बारे में जो आपकी आपत्ति है तो २६३ जो क्लॉज़ है इसके पार्ट (सी) में यह प्रोवाइड किया गया है। for prescribing the mannar in which the obligatory taxes mentioned in sec. 97 shall be levied. तो गवर्नमेन्ट प्रेसक्राइब करेगी कि १६४७ में जो टैक्सेज़ थे उनको कैसे लागू करें। २६३ धारा में यह भी है कि रूल्स बनाये जायेंगे और यह पेज १३१ पर है कि "All rules made by the State Government under this Act shall be published in the official Gazette and such rules shall have the force of law after one month from the date of such publication". तो २६३ में जो प्रेसक्राइब करेंगे उसमें ऑब्जेक्शन इन्वाइट करेंगे। और पहले प्री-पब्लिकेशन करके करेंगे। मैं समझता हूं कि धारा १०० के अलावा दूसरी धाराओं के बारे में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री पी. के. चौधरी : १०१ के पार्ट (सी) में Any inhabitant may object and you can revise it...उसको जरा देख लीजिए उसके लिए तो हर एक आदमी को मौका दिया है कि ऑब्जेक्शन कर सकता है। जो भी टैक्सेज़ लगाये जायेंगे उस पर जो आदमी ऑब्जेक्शन करना चाहेंगे वह ऐसा कर सकते हैं, यह तो अधिकार दिया गया है।

The right may be given for the individual for his own assessment but you have given here a right to

(श्री पी० के० चौधरी)

individual to make a complaint against the tax.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसको राइट है अपना ऑब्जेक्शन करने का ।

श्री पी०के० चौधरी: He may object but you have given here that the Government will appoint a committee. That is wrong. If any individual is taxed then he is given a right to object but here you have given a right to oppose the very structure, and on receipt of that complaint, you will entrust that case to the Committee.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेंट का तो कुछ भी नहीं है । इसमें तो पब्लिकेशन होगा और बोर्ड को भेजेंगे and the Board shall take objection and authorise a committee to report thereon बोर्ड की कमेटी होगी, जैसे बोर्ड्स की टैक्स कमेटी होती है । दिस इज़ आल विदइन दी बोर्ड' गवर्नमेंट के पास आयेगा, वह तो राइट आगे है और अब भी होता है । जब हम टैक्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्शन जो आते हैं वह बोर्ड की कमेटी कन्सीडर करती है । This is all within the Board.

श्री पी. के. चौधरी: आपने मुझे समझा नहीं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें प्रोसीजर बताया गया है ६८ के अन्तर्गत कि जो टैक्स लगाते हैं वह हम जब ही लगा सकते हैं जबकि गवर्नमेन्ट की इजाज़त हो । इसलिए गवर्नमेन्ट ने प्रोसीजर बनाया है कि अगर आवश्यकता हुई तो बोर्ड को भेजेंगे ।

श्री पी. के. चौधरी: But still there remains...

श्री अध्यक्ष : There has already been to much discission over it. आपने उत्तर समाप्त कर दिया ?

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : आपने सेक्शन ६७ (२) के बारे में कुछ भी नहीं बताया ।

श्री अध्यक्ष : वह तो जो बाहर से आयेगा उस पर लगेगा ।

श्री रामकरणसिंह: अगर किसी का बाहर खेत है और वहां पैदावार होती है तो उसको स्वयं के कन्ज़म्पशन के लिए अन्दर लाना है तो फिर कन्ज़म्पशन के बारे में आपकी क्या राय है ? टैक्स लगेगा या नहीं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर कोई बाहर से लाता है तो लगेगा ।

श्री रामकरणसिंह : अगर खुद के काम के लिए लाता है तो ?

श्री अध्यक्ष: अगर ऐसा नहीं होगा तो सब कहेंगे कि हम काश्त करते हैं और खुद के काम के लिए ले जा रहा हूँ ।

श्री रामकरणसिंह: अपने खेत से कोई लेकर आये तो भी टैक्स लग जायेगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह ऑक्ट्रॉय किस किस चीज पर लगेगी यह इसमें मेन्शन नहीं । जब ऑक्ट्राय लगाने की बात होगी तो

Page No.64

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

इस पर सोचेंगे। जैसे बहुत सी जगह अनाज के ऊपर टैक्स नहीं है तो उस समय इस पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन के प्रस्ताव रखे हैं वह अपने संशोधन वापिस लेना चाहते हैं वह कृपया ऐसा करें।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : जो बातें हमने उठाई थी उनको तो टच ही नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : अगर आप कोई क्लेरीफिकेशन चाहते हैं तो पूछ लीजिए। अब बहुत बहस हो चुकी है।

श्री श्रीभानसिंह : I beg leave of the House to withdraw it-

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशोधन के प्रस्ताव श्री श्रीभानसिंह ने रखे हैं उनको उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री श्रीभानसिंह : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष: डॉ० बहादुरसिंह

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी:

श्री पी० के० चौधरी : I just wanted one explanation Sir.

श्री अध्यक्ष: No please. There is no time now to do that.

श्री पी० के० चौधरी : He has not followed it.

श्री अध्यक्ष: It is not necessary. He has done much more.

श्री पी० के० चौधरी : There is one thing more...

श्री अध्यक्ष: Please co operate.

श्री पी० के० चौधरी : It is a very valid objection Sir. If any individual objects....

श्री अध्यक्ष : I say please no discussion.

श्री पी० के० चौधरी : He is prepared to...

श्री अध्यक्ष: He should have done it before.

श्री पी० के० चौधरी: But it seems that he has not followed.

श्री अध्यक्ष: He won't after such a short explanation. He will amend it if necessary.

श्री पी. के. चौधरी: I beg leave to withdraw...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो

Page No.65

(श्री अध्यक्ष)

संशोधन प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी ने रखे हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई

श्री पी.के. चौधरी: I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय, श्री गिरधारीलाल और श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने प्रस्तावित किये हैं उनको स्वीकार किये जायं ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये ।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा ।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा: माननीय अध्यक्ष महोदय, जब दफ़ा ६७ पास हो चुकी है तो आर्टीजन्स को डिस्क्रीशनरी लिस्ट में लेने को आप एक्सेप्ट करते हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: मैं समझता हूं इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: What Sir.

श्री अध्यक्ष: डिस्क्रीशनरी टैक्सेज़ की लिस्ट है उसमें आर्टीजन्स को इन्क्लूड करना चाहते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: That has not been excluded from the Clause 97

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: ६७ में एक्जेम्प्ट हैं आर्टीजन्स पर टैक्स वह ६८ में लाने का, शामिल करने का एमेंडमेंट है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: I protest agaisnt it. The amendment cannot be taken at this state.

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य बोल चुके हैं । विड्रा करने की बात हैं । माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि वे स्वीकार करते हैं । मैं पढ़कर बता देता हूं ।

Clause 98-Add a new part 11 a as follows—A tax on artisans....

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६८ में जो संशोधन श्री रामप्रसाद लढ्ढा ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन मंत्री महोदय ने रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६७ से लगाकर क्लॉज़ १०६ तक सिवाय क्लॉज़ १०० के एज़ एमैंडेड स्वीकार किये जायं ।

(स्वीकृत)

Page No.66

(श्री अध्यक्ष)

क्लॉज ६७, ६८, ६६, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, और १०६ संशोधन रूप में विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ १०० को डेफर करते हैं।

क्लॉज़ १०७, श्री श्रीमानसिंह Substitute the word 'capital' for the words 'annual letting' in line two....

श्री श्रीमानसिंह : I don't want to move it..

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लाज़ १०७ को स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज १०७ विधेयक का अंग बना

क्लॉज़ १०८, श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : My amendment is to delete part (b) from clause 108 sub-clause (2).

अध्यक्ष महोदय, १०८ में जो, प्रोविजन्स हैं।

Supply of certain information and consequence of failure to supply. फेल्योर ऑफ सप्लाई ऑफ इन्फोर्मेशन को पेनेल्टी की तरह रखा गया है लेकिन मैं पेनेल्टी में आना ठीक नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप जो क्लाज़ ११८ है उसको देखेंगे तो उसमें यह दिया हुआ है —

Taxes from whom primarily leviable....

अब उसमें सब-सेक्शन (२) के प्रोविज़ो में है :—

"Provided that on failure to recover any sum due on account of such tax from the person primarily liable, such portion of the sum may be recovered from the occuppier of any part of the buildings or lands in respect of which it is due as bears to the whole amount due the same ratio which the rent annually payable by such occupier bears to the aggregate amount of rent so payable in respect of the whole of the said buildings or lands, or to the aggregate amuont of the letting value thereof if any, stated in the authenticated assessment list, which of these two amounts is the greater:

Provided further that, for any sum paid by, or recovered from any occupier who is not primarily liable under this Section he shall be entitled to get credit in accoun twith the person primarily liable."

तो अध्यक्ष महोदय, एक क्लाज़ यहां पर नहीं रखते हैं तो भी एसेसमेंट करने के बाद 'आईदर दी ओनर आर दी ऑक्यूपायर' का उसमें ११८ में एक प्रोविज़न है उससे रिकवर करने का। तो मैं समझता हूं कि यहां सुपरफ्लुअस सा है पेनल्टी का It is not the proper place as to the liability. लाइबिलिटी ऑफ टैक्सेज़ की क्लॉज़ है ११८ पेनल्टी के नाम पर यह यहां रखा गया है। But it is not a penalty also. Neither it is a severe consequence. इसमें रखने से फ़ायदा नहीं होता है। मैं इसको

Page No.67

(श्री पी० के० चौधरी)

सुपरफ्लुअस समझता हूं, और क्लॉज़ ११८ में दिया जाता है तो क्या होता है कि मान लीजिये ऐसा एक ऑक्यूपायर है कि जिसको लैण्डलार्ड का पता नहीं है Landlord might be staying at some other place. वह रेन्ट की रिकवरी किसी एजेन्ट के मार्फत करता है या कभी आकर कलेक्ट करके जाता है।

श्री अध्यक्ष : This is a part of the same clause.

वह कहते है कि अगर सप्लाई ऑफ़ सर्टेन इनफॉर्मेशन।

Supply of certain information and consequence of failure to the supply then they have provided. this procedure to be followed, that as soon as the assessment is determined, the owner or occupier shall be liable to pay that.

श्री पी० के० चौधरी : लाइबिलिटी का आने वाला क्लाज़ है। इससे ऐसी सिचुएशन एराइज़ हो सकती है कि मैं एक मकान में रहता हूं। मेरा एक लैण्ड लॉर्ड है He must be staying in Bombay. उसकी एजेन्ट आता है और मेरे से कलेक्ट करके जाता है suppose I fail to pay the rent I may be primarily responsible for the payment of the amount.

.२. १८ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

११८ में ऐसा रहता है that I am putting him primarily responsible मेरी लैण्ड लार्ड को पेमेन्ट करने की लाइबिलिटी रहती है वह मेरे पर नहीं रहती है I can recover it. I can get the reduction in the actualamount.

तो इसलिए में समझता हूं कि इस क्लॉज़ को यहां पर नहीं रखना चाहिए। ११८ से उनका पर्पज़ सर्व हो जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से यह तो उसी के लिए १०८ है। इसमें लिखा हुआ है "On the requisition of the assessor the owner or occupier of any building "उसी के लिए हैं प्रोविज़न तो इसको एक्सेप्ट कर लें तो कोई नुकशान नहीं है। वह आगे ११८ से कवर हो जाता है। इसलिए इस एमेंडमेंट को स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०८ का जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०८ को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १०८ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

Page No.68

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज़ १०६, श्री दया कृष्ण विजय ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत मामूली सा संशोधन है । जो नोटिस देगें उस नोटिस में इन्होंने प्लेस तो बताया है लेकिन टाइम कोई नहीं रखा है । प्लेस के साथ साथ में टाइम भी बढ़ा दिया जाय, तो नोटिस जो दिया जायगा उससे खबर हो जायगी कि फलां टाइम से फलां टाइम तक एसेसर के ऑफिस में ऑब्जेक्शन्स दिये जा सकते हैं। इसको रखने में मेरी समझ में किसी प्रकार की आपत्ति मंत्री जी को नहीं होनी चाहिये । मैंने इसमें साफ़ लिखा है :

When the assessment list has been prepared the assessor shall give public notice thereof and of the place and of the time where the list or a copy thereof may be inspected . . .

मेरी समझ में मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसे मंजूर करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १०६ पर जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १०६ संशोधितरूप में स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड १०६ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना

(विराम)

क्लॉज़ ११०

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मेरा सब-क्लॉज (२) में संशोधन इस प्रकार है :

Delete the rest of the words occurring after the words to which the Board, may delegate this function' in subclause (2). जो ऑब्जेक्शन्स रिवाजिंग ऑथोरिटी के पास जाते हैं वे गवर्नमेन्ट द्वारा अपोइन्टेड किसी कमेटी के पास न जाकर बोर्ड के पास जाने चाहिये, या बोर्ड द्वारा नियुक्त कमेटी के पास जाना चाहिये । डाइरेक्ट गवर्नमेन्ट के पास जाते हैं तो बोर्ड के जो डेमोक्रेटिक फंक्शन्स होने चाहिये वे नहीं रहते । बोर्ड के डेमोक्रेटिक फंक्शन्स होने चाहिये, बोर्ड के मेम्बर्स के पास ये ऑब्जेक्शन्स जाने चाहिये इसलिए मैंने यह रखा है कि बोर्ड के पास जांय या उसके द्वारा अपोइन्टेड किसी कमेटी के पास जाय ताकि जनता के रिप्रेजेन्टेटिव्ज जनता की कठिनाई को अच्छी तरह से समझ सके । मेरा यह संशोधन है कि "फंक्शन्स" तक शब्द रहने दें और आगे की लाइन हटा दें तो किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी । बल्कि डेमोक्रेटिक ढंग से जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ऑब्जेक्शन्स जायेंगे । गवर्नमेन्ट के द्वारा अपॉइन्टेड किसी कमेटी

(श्री दयाकृष्ण विजय)

के पास नहीं जाना चाहिये। जनता के नुमायन्दे अच्छी तरह से विचार कर सकते हैं इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : (सीकर) उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा में जो एसेसमेन्ट के लिए टाइम दिया है वह बहुत कम है क्योंकि सारे शहर का एसेसमेन्ट होगा और बाद में ऑब्जेक्शन्स काल होंगे। इसके लिये सब से इस प्रकार की अपेक्षा नहीं करते कि वे पढ़े लिखे हैं और तुरन्त देख लेंगे इसलिये जो एक महीने का टाइम दिया है वह कम है। इसमें इस प्रकार दिया है :

"The assessor shall at the time of the publication of such assessment list give public notice of a date not less than one month thereafter......"

"वन मंथ" के बजाय "टू मन्थस" कर दिये जांय, क्योंकि टैक्स तो लगेगा ही लेकिन एसेस्मेन्ट लिस्ट है उसको ठीक ढंग से सब देख सकें और वेलिड ऑब्जेक्शन्स दे सकें। इसलिए 'टू मन्थ्स' कर दिए जांय तो ज़्यादा उचित होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैं समझता हूं इसमें जिस तरह से है वही ठीक है। पहले में यह है ?

"The revising authority to whom objections under sub-sec. 1 may be made shall be the board or any committee to which the board or any committee to which the board may delegate this function or an officer of the State Government to whom with the permission of the State Government the board may delegate this function."

इसको इसलिए रखा है कि एसेसमेन्ट का काम टैक्निकल है इसलिये बोर्ड या कमेटी को नहीं करना चाहिये। स्टेट गवर्नमेन्ट की सैंकशन से टैक्निकल ऑफिसर्स को देने का प्रोविजन है नहीं तो वे खुद कर सकते हैं इसलिये इसको रहने देना चाहिये।

दूसरा जो ऑब्जेक्शन्स के लिए एक महीने का समय रखा है वह काफी है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११० स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज़ ११० विधेयक का अंग बना।

क्लॉजेज़ १११ और ११२

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ १११ और ११२ स्वीकार की जांय।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १११ और ११२ स्वीकार किये गये।

(विराम)

क्लॉज़ ११३

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : (सीकर) उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ११३ पीनल क्लॉज है और एसेसमेन्ट लिस्ट के सम्बन्ध में जो इनफॉर्मेशन बोर्ड सीक करता है उसके बारे में किसी आदमी ने यदि गलती की तो उसको सजा देने का प्रोविजन है। इस सब-क्लॉज (१) में यहां पर ऐसा है the owner shall give notice thereof to the board within fifteen days ..

क्योंकि यह पीनल क्लॉज़ है इस कारण से होसकता है कि किसी ने समय पर इत्तला नहीं दी, १५ दिन के अन्दर उसको इत्तला देनी चाहिए। लेकिन जबकि ऑब्जेक्शन्स का समय एक महीने का रखा है तो यहां पर १५ दिन रखने से काम नहीं चलेगा क्योंकि आगे पेनल्टी का प्रोविजन है, सज़ा मिलेगी इसलिए १ महीना कर दिया जाय तो मंत्रीजी को आपत्ति नहीं होगी और पब्लिक के लिये भी सुविधाजनक होगा।

इसके बाद सजा का प्रोविजन है क्लॉज (२) में:

"The board may impose upon him such penalty not exceeding fifty rupees or ten times the amout of the tax payable on the said building or enlargement for a period of three months, whichever is greater.

इसमें जो सजा मेन्शन्ड है वह ५० रूपये तक है। यह ज्यादा है क्योंकि वह टैक्स तो बाद में देगा ही। उसको सज़ा आप इसलिये देते हैं कि किसी कारण से नहीं कर सके इसलिये सजा देते हैं। तो ५० रू० ज्यादा है इसलिये मैंने लिखा है कि ५० रू० के बजाय २ रू० कर दिये जांय, यह नोमिनल टैक्स होगा और बाद में वह टैक्स देना तो शुरू कर देगा: and 'delete the words' or ten times the amount of the tax payable on the said building or enlargement think fit'. इसको उड़ा दिया जाय इस प्रकार का मेरा दूसरा संशोधन है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर वास्तव में हमें गंभीरता से विचार करना चाहिये। हम देखते हैं कि केन्द्र के द्वारा कुछ टेक्सेज़ लगाये जाते हैं, प्रान्त के द्वारा भी कुछ टैक्सेज़ लगाये जाते हैं, नगरपालिका के द्वारा भी टैक्सेज़ लगाये जाते हैं और पंचायतों के द्वारा भी टैक्सेज़ लगाये जाते है। लेकिन अकसर देखने को क्या मिलता है कि हम कानून बनाते समय ऐसी कमियां रख देते हैं जिसके कारण टैक्स पे करने वाले लोग अक्सर टैक्स की चोरी करते हैं और यह इतनी बढ़ गई है कि यदि अनुमान लगाया जाय तो आयकर की चोरी होती है, सेल्स टैक्स की चोरी होती है और चूंगी की भी कितनी ही चोरी होती है, इसका कारण

Page No.71

(श्री दयाकृष्ण विजय)

क्या है ? इसका कारण यह है कि इनफोर्मेशन देने की डयूटी उन पर रखी है जो टैक्स देते हैं और जब वे ठीक तरह से इनफोर्मेशन नहीं देते हैं तो हम ऐसा करें कि इस प्रॉसीजर को ही बदल दें। जिस व्यक्ति का इनफोर्मेशन देने का काम है वह इनफोर्मेशन नहीं देगा तो टैक्स नहीं पे करेगा और फिर आप कैसे जुर्माना करेंगे इसलिये न तो जुर्माना देने की स्टेज आई है और न उसने टैक्स दिया। इसलिये सुझाव दिया है कि जो निर्माण कार्य होता है उसकी इजाज़त नगरपालिका से लेनी पड़ती है मैंने अमेन्डमेन्ट में सुझाव इस ढंग से रखा है कि जब कोई कन्सट्रक्शन, एडीशन, आल्टेशन या एम्प्रूवमेन्ट कराते हैं, मंत्रीजी ध्यान से सुनेंगे इसमें ऐसी चीज़ है जो व्यवहार में नहीं लाई गई है लेकिन व्यवहार में आयगी तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जब तामीर की इजाज़त लेते हैं, चेयरमैन इजाज़त देते हैं कि कस्ट्रक्शन करा सकते हैं उसके लिए नक्शा बनता है, उसकी दो कोपीज बनाई जाती हैं एक उसके पास जाती है दूसरी दफ्तर में रहती है। इसके बजाय ३ कोपीज़ बनाई जांय और एक एसेसर के पास भेज दी जाय जो एसेस करता है उसकी इम्प्रूवमेंट करने की इजाज़त है, आप निगाह रखें और जिस दिन उसका कम्प्लीशन होता है उस दिन से टैक्स ले लें। मुझे एक और निवेदन करना है कि आपने पूरा मकान बनाने की इजाज़त दे दी। वह व्यक्ति समझता है कि मुझे चार कमरे ऊपर की मंजिल में बनाने हैं हाउस टैक्स की दृष्टि से कमरे बना देने पर हाउस टैक्स बढ़ेगा लेकिन वह जैसे ही एक कमरा बना, उसने उसे किराये पर दे दिया अर्निंग वेल्यू कमरे के बनने से बढ़ गई।

जब तक पूरा मकान नहीं बना लेगा, इस दृष्टि से जब तक निर्माण पूरा नहीं होगा तब तक जो कन्स्ट्रक्शन हुआ है बिल्डिंग का, उसकी सूचना नहीं देगा, उसको आपका असेसर नहीं पकड़ेगा और न उस पर हाउस टैक्स लगेगा। अगर आप कम से कम टैक्स को अच्छी तरह वसूल करना चाहते हैं, यह चाहते है कि हाउस टैक्स की किसी प्रकार चोरी न हो तो आपके असेसर का काम है कि ज्यों ही इजाज़त मिले, वह इनफोर्मेशन दे कि काम शुरू कर दिया है। इजाज़त की इन्फॉर्मेशन उसको पहुची है, वह असेसर के पास पहुंच जाय, इसके बाद जब वह निर्माण करना शुरू करता है, वह सूचना दे और तब यह असेसर की ज़िम्मेदारी हो जाती है कि ज्यों ही कम्प्लीशन होता है, अगर एक कमरा भी बन जाता है, उसकी लेटिंग वेल्यू बढ़ जाती है, उसका टैक्स बढ़ जायगा ईयर का। आपने पर्मीशन दी उसके अनुसार एक ईअर में कम्प्लीट नहीं किया है, वह दो साल में बनायेगा, तीन साल में बनायेगा, आपने कम्प्लीशन की इजाज़त दी है, वह चार साल में कम्प्लीट करता है, इसका मतलब यह है कि चार साल तक सूचना नहीं देगा और आप उस पर टैक्स नहीं लगायेंगे। इसलिए मैंने संशोधन रखा है कि कम्प्लीशन की सूचना दे दे। इसके साथ ही जिस दिन निर्माण कार्य शुरू करता है, उसने इसकी सूचना दी है, तो आपका असेसर जो है, जो असेसमेंट कमेटी रहेगी, उसकी जिम्मेदारी रह जाती है कि जैसे ही कम्प्लीशन होता है उस पर टैक्स लगाया जाय। अगर एक कमरा भी बनता है, तो टैक्स लगाया जाय। यह नहीं कि जब कम्प्लीट होगा, तब सूचना दे दे। ज्यों ही तैयार होता है उसका असेस-

Page No.72

(श्री दयाकृष्ण विजय)

मेंट करके टैक्स बढ़ाये। मैंने नीचे वाले क्लाज़ में अमेंडमेंट नहीं किया है, अगर वह पहले इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो आप उस पर जुर्माना कर सकते है। जो श्री जगदीश प्रसाद माथुर ने संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। प्रारम्भ में निर्माण कार्य की सूचना नहीं देता है तो उस पर दो तीन रुपये जुर्माना कर सकते है लेकिन प्रारम्भ में निर्माण की सूचना मंगवायेगे तो आपके पास इन्फोमेंशन रहेगी कि किस दिन इजाजत दे दी है, निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ है, कब से असेस करना चाहिए। जब तक कम्प्लीशन नहीं होगा मेप के अनुसार वह टैक्स न देगा और टैक्स की चोरी होगी। अगर हाउस टैक्स लेना चाहते है तो प्रारम्भ की डेट की रखिये और उस दिन से असेसर इस बात को देखता रहे और असेसमेंट करे। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने, जो संशोधन रखा है, इस बात को गम्भीरता से अनुभव किया होगा कि इस बात से हाउस टैक्स की चोरी होगी, कम्प्लीशन के नाम पर चोरी होगी। वह कहेगा कि अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है, छत पड गई है, लेकिन कुटाई होती है वह नहीं हुई है लेकिन उसने उसे किराये पर दे दिया है, किराया वह लेने भी लग गया है लेकिन वह कहेगा कि कम्प्लीट नहीं हुआ है, उसकी छत नहीं पड़ी है, उसका प्लास्टर नहीं हुआ है, या कलर नहीं हुआ है, इस प्रकार की सत्रह बात की जा सकती है। वह बिल्डिंग बन जायगी तो भी टैक्स नहीं देगा। आपके पास तरीका क्या है यह जानने का कि कम्प्लीट हुआ या नहीं। जिस दिन आपका सिपाही पकड़ेगा और कहेगा कि बिल्डिंग कम्प्लीट हो गई है, तब तक वह टैक्स की चोरी करेगा। जब पकड़ेगें तब कहेगा कि आज ही कम्प्लीट हुई है, आज ही सूचना देने आने वाला था। अगर इस तरह हाउस टैक्स की चोरी कराना चाहते हैं, करप्सन पैदा करना चाहते हैं, तो कम्प्लीशन की डेट रखिये और अगर करप्सन नहीं चाहते हैं और जुर्माना कराने की जरूरत न हो तो प्रारम्भ की डेट दे दे। इसके बाद टैक्स नहीं देता है तो असेसर की गल्ती होगी, नगर पालिकाओं के व्यक्तिओं की जिम्मेदारी होगी और असेसमेंट का काम बाद में न होकर पहले से किया जायगा। मैं समझता हूं यह अच्छा रहेगा। इसलिए मेरा जो अमेडमेंट हैं, मैं आशा करता हूं माननीय मंत्री जी उसे स्वीकार करेंगे।

श्रीबद्रीप्रसाद गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेडमेंट रखा गया है, इसमें एक सवाल यह है कि कम्प्लीशन के बाद वह इत्तला देवे म्युनिसिपैलिटी को। यह जो सुझाव रखा गया है कि कन्स्ट्रक्शन शुरू करे तब सूचना दे। मैं यह समझता हूं कि यह कन्स्ट्रक्शन की बात है, उसमें म्युनिसिपल बोर्ड से आदमी पर्मीशन लेगा। किसी आदमी को मकान बनाने की म्युनिसिपल कमेटी ने पर्मीशन दी है तो उसकी लाइबिलिटी है कि कम्प्लीशन पर सूचना दे और हाउस टैक्स असेस कराये।

श्री दया कृष्ण विजय: मैं निवेदन कर दूं कि लाइबिलिटी है लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे, जब तक उसे सिपाही नहीं पकड़ता है तब तक जो टैक्स है, उसका नुकसान होगा और असेसर देखता रहेगा। जब कन्स्ट्रक्शन प्रारम्भ हुआ है, उसकी सूचना आ गई है कि आज से शुरू किया

Page No.73

(श्री दयाकृष्ण विजय)

हैं लेकिन जिस दिन से आपने इज़ाजत दी है उस दिन से शुरू नहीं करेगा। आपके असेसर को दिक्कत रहेगी जिस दिन बिल्डिंग कम्प्लीट हुई है, उस दिन से असेस करने में। जिस दिन आपका सिपाही पकड़ता है, उस दिन वह कहेगा कि कम्प्लीट आज ही हुआ है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैं समझता हूं एक क्लॉज़ एग्जिस्ट करता है, उसके फंक्शन में दिक्कत नहीं है। जब कन्स्ट्रक्शन कम्प्लीट हो जाता है, तब वह लाइबल होगा कि कम्प्लीशन के बाद टाइम दिया है १५ दिन का, उसके अन्दर सूचना दे दें। एक तरफ अमेंडमेंट किया है कि कम्प्लीट होने के बाद १५ दिन के बजाय एक महीने का टाइम किया जाय और आपका अमेंडमेंट है कि बिल्डिंग के निर्माण के शुरू होने पर नोटीफाई कर दें। मैं समझता हूं यह वाज़िब नहीं होगा और जिस तरह का क्लॉज़ है, उसे आप स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : That means the amendment submitted by Shri Jagdishprasad Mathur that for the words 'fifteen days' substitute the word' 'one month' this is acceptable and the other two......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं समझता हूं बाकी की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जगदीश प्रसाद माथुर ने निम्न प्रकार से रखा है :

For the words 'fifteen days' substitute the words 'one month' in line three of sub clause (1). इसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि (i) for the words 'fifty rupees' substitute the words 'twor rupees' in fine two of sub clause (2), (ii) delete the words 'of ten times the amount of the tax payable on the said building of enlargement... think fit.' इसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने पेश किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११३ को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

Page No.74

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधित क्लॉज़ ११३ विधेयक की अंग बना।

then क्लॉज़ ११४, ११५, ११६, ११७, ११८। प्रश्न यह है कि ये क्लॉजेज़ स्वीकार किये जायं ॥

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ११४, ११५, ११६, ११७, व ११८ विधेयक के अंग बने

क्लॉज़ ११६ ।

श्री दयाकृष्ण विजय ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इसमें रखा गया है और जो सिद्धान्त हाउस टैक्स का मंजूर किया है, ये दोनों कॉन्ट्रैरी बातें हैं। जो हाउस की लेटिंग वेल्यू है, उसके ऊपर हाउस टैक्स लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप उस साल का उससे टैक्स नहीं लेंगे जिस साल वह अनप्रोडक्टिव रहता है, अगर उसने किसी साल किराया नहीं लिया तो टैक्स नहीं लेंगे। आप टैक्स रैंट पर लगा रहे हैं या रैंटल वेल्यू ऑफ हाउस पर लगा रहे हैं। यह बात जब तक क्लीअर नहीं हो जाती है, तब तक ये दोनों कॉन्ट्रैरी रहती है कि आप रैंट पर टैक्स ले रहे हैं या रैंटल वेल्यू ऑफ दी हाउस पर ले रहे हैं। इसमें कहा है....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: इसमें अनुअल लेटिंग वेल्यू लिखा हुआ है।

श्री दयाकृष्ण विजय: लेटिंग वेल्यू ऑफ दी हाउस

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: ऐसा नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय: केवल जो किराया आता है, उस पर लेंगे। जो किराया छोड़ा हुआ है, उस पर कर नहीं लेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: किराया हो या न हो, उसकी लेटिंग वेल्यू लेंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय: जो क्लॉज़ ११६ है, वह कॉन्ट्रैरी पड़ता है। आप लिखते हैं:

"Where any building or land which is assessed to a tax on the annual letting value thereof and payable by the year or by instalments has remained vacant and unproductive of rent through out the year or a portion of the year for which the tax is leviable or throughout the period in respect of which an instalment is payable the board shall remit or refund not less than two-thirds of the amount of the tax or instalment, as the case may be.

यदि उसको १/३ यानी १२ आने वापिस कर दिये तो टैक्स लेने का अर्थ क्या रहता है?

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): आपकी समझ में नहीं आया है वे समझ गये हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय: ऐसी क्या बात है, मुझे कहने दीजिये। मेरा यह कहना है कि यदि आप हमको वापिस करते हैं, रैंट पर टैक्स लगाया है, २।३ को वापिस कर देते हैं तो टैक्स लगाने से क्या मतलब होगा। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं....

Page No.75

श्री मदनसिंह : राजाओं महाराजाओं का तो प्रश्न ही नहीं उठता जब कि वे एग्जेम्प्टेड हैं।

श्री उपाध्यक्ष : रिप्लाई।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : I want to speak on this clause.

श्री दयाकृष्ण विजय : अभी तो मैं बोल रहा हूँ। और हाउस टैक्स है वह एनुअल लेटिंग वेल्यू पर है....

(पास में बैठे कुछ सदस्यों द्वारा कुछ कहने पर श्री दयाकृष्ण विजय ने अपना स्थान ग्रहण किया)

श्री उपाध्यक्ष: So Mr. Chaudhary, you are opposing the whole Clause.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): Yes Sir, I am opposing the whole clause.

उपाध्यक्ष महोदय यह जो क्लॉज़ है उसमें लिखा गया है।

"Where any building or land which is assessed to a tax on the annual letting value thereof and payable by the year or by instalments has remained vacant and unproductive of rent throughout the year or a portion of the year for which the tax is leviable or throughout the period in respect of which an instalement is payable the board shall remit or refund not less than two-thirds of the amount of the tax or instalment, as the case may be:

Provided that no such remission shall be granted unless notice in writing of the fact of the building or land being vacant and unproductive of rent has been given to the board, and that no remission or refund shall take effect for any period previous to the day of the delivery of such notice.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: आप दलील दीजिये पढ़ काहे को रहे हैं. यह तो सभी को मालूम है।

श्री पी० के० चौधरी : यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट क्लॉज़ है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: थोड़ा टाइम का तो ख्याल रखना चाहिये।

श्री पी.के. चौधरी: This is a very important clause.

ठीक है म्युनिसिपैलिटीज़ बिल आपको पास करना चाहिये ....

But we must not hurry through the legislation,

उपाध्यक्ष महोदय यह जो क्लॉज़ है इससे जो बिग लैंड लॉर्ड्स हैं, हाउस ओनर्स हैं, राजा महाराजाओं की बात छोड़ दें तो बड़े बड़े कैपिटेलिस्ट्स हैं, उनकी नेटिव टाउन्स में, जैसे जयपुर शहर है, उसमें बड़े बड़े शहर हैं उनमें उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, दूसरों के लिए कह सकते हैं कि किराये देते हैं पर ये लोग किराये नहीं देते, नवलगढ़ हाउस है, नवलगढ़ जागीरदार वहां नहीं रहता, बिड़ला की बिल्डिंग्स हैं, जयपुर में, वो यहां नहीं रहता, उसकी उदयपुर, जोधपुर में बिल्डिंग्स हैं, खुद नहीं रहते हैं, सारी की सारी लग्जुरी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े केपिटे-

(श्री पी० के० चौधरी)

लिस्ट्स हैं उनके बड़े बड़े मकान हैं, वे लोग इस क्लॉज़ के रहने से हाउस टैक्स से एग्जेंम्प्ट हो जाते हैं। इन बिल्डिंग्स पर कैपिटल वेल्यू पर हाउस टैक्स नहीं रखा है, एन्युअल लेटिंग वेल्यू पर हाउस टैक्स रखा है।

It is a sort of assessment not based on actual realisation of rent. रेंट मिले या नहीं मिले टैक्स लेना चाहिये। मैं खुद अपने मकान में रहता हूं तो उसका टैक्स देता हूँ, कई मकानों के ओनर खुद रहते नहीं पर हाउस टैक्स देते हैं। पर बिड़ला डालमियां ने जगह जगह शहरों में हाउस बना रखे हैं, जयपुर आते हैं तो अपने हाउस में रहते हैं, इस क्लॉज़ से उस हाउस का टैक्स नहीं वसूल किया जायगा। तो इस क्लॉज़ को हटाना चाहिये। या रखते हैं तो इसको अमेंड करके रखना होगा...

What is the process here.

What do you bring to check the Capitalists like Birla, etc. from evading these taxes.

It will go more in favour of the richer people.

आज हम सोशियलिस्टिक पेटर्न, सोशियलिस्टिक सोसायटी की बात करते हैं वहां प्रोपर्टी को....We don't want to give any incentive.

इसमें रखेंगे कम्पलसरीली whether he has his capacity, whether this rent is realised or not.

आज यह होता है जयपुर शहर में कि मकान खाली पड़े रहते हैं पर मकानों के ओनर कहते हैं कि इतना रेंट मिलेगा तो किराये देंगे नहीं तो पड़ा रखेंगे। सी. स्कीम में दो दो सौ, ढाई ढाई सौ माहवार किराये के मकान खाली पड़े रहते हैं, मकान मालिक कहते हैं कि इतना किराया मिलेगा तो देंगे, नहीं तो खाली रखेंगे। इस क्लॉज़ को नहीं रखेंगे तो मकान मालिक इस तरह के मकानों को १०० रुपया माहवार में किराये पर देने को कम्पेल हो जायेंगे।....

He will be compelled to let out.

सोशियलिस्टिक एम्फेसिस देना चाहते हैं तो ज्यादा प्रोपर्टी रखने वालों को ज्यादा प्रोपर्टी रखने के लिये इनिशियेटिव नहीं देना चाहिये। जयपुर में मेरा मकान है, खाली पड़ा है ....

Because they have fixed high prices for it.

२५० रुपया माहवार किराया देने वाला नहीं आता तब तक मैं अपना मकान खाली रखता हूं तो म्युनिसिपैलिटी से टैक्स का एग्जेम्प्शन मिलता है। इसको नहीं रखेंगे तो मकान के ओनर्स को इतना हाई रेंट नहीं मिलेगा।

It goes in favour of rich...

इस लिए मैं क्लॉज़ ११६ है उसका विरोध करता हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज़ महज इस लिये रखा है, ऐसा नहीं कि बड़े आदमियों को, मालदारों को रिलीफ देने के लिए रखा गया है पर यह प्रिजम्प्शन कि बड़े बड़े आदमी किराया नहीं देंगे, यह अन्वारन्टेड है, हर एक आदमी अपनी प्रोपर्टी का फायदा उठाना चाहता है पर कई मकान है जो न रहने के काम में आते हैं न उनको लेट आउट कर सकते हैं, उनकी किसी तरह की कीमत नहीं आती तो

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

उनके लिये एग्जेम्प्शन रखा है, और ऐसी हालत में भी बहुत सी शर्तें लगा रखी हैं। वही हाउसेज़ एग्जेम्प्ट होंगे कि कोई किरायेदार अवेलेबल है ही नहीं, किसी तरह की यूटिलिटी नहीं होती है. तो उनको एग्जेम्प्ट किया है। मेरा बहुत बड़ा मकान है,वह साल भर खाली पड़ा रहता है तो वह एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा। तो ऐसी सूरत में मैं यह निवेदन करूंगा कि यह क्लॉज़ जिस तरह है वही ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न है यह कि जो संशोधन की दयाकृष्ण विजय ने रखा है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११६ स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११६ विधेयक का अंग बना।

क्लाज १२० :

प्रश्न यह है कि क्लॉज १२० स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२० विधेयक का अंग बना।

क्लाज १२१।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें मेरा एक अमेंडमेंट है जो लैंग्वेज़ को करेक्ट करने के लिए है; फैक्ट्रीज लिखा हुआ है उसको फैक्ट्री करने का है।

श्री पी० के० चौधरी (फलेरा) : I want to oppose the whole clause.

श्री उपाध्यक्ष : You are opposing the whole clause ?

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज में स्पेशल एग्रीमेंट रखा है वह फैक्ट्रीज़ के लिए रखा है।

"When the board has made provision for the cleansing of any factories,hotel, club or group of buildings or lands used for any one purpose or under one management, it may instead of levying in respect thereof any tax under sec. 98, fix a special tax, and the dates and other conditions for the periodical payments thereof which shall be determined either . ."

श्री उपाध्यक्ष : You have got only five minutes so why to read the whole clause ?

श्री पी० के० चौधरी : 'in accordance with rules for the time being in force under section 81, or

by written agreement with the person who would have been otherwise liable for the tax, provided that in fixing the amount, due regard shall be had to tte probable cost to the board for the service to be rendered.

Page No.78

(श्री पी० के० चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि क्लॉज़ ६६ जो हमारा है वह एक महत्वपूर्ण क्लॉज़ है और इससे सारा का सारा मेटर कवर हो जाता है। क्लॉज़ ६६ में दिया गया है।

A board may, in lieu of imposing seperately all or any of the taxes mentioned in clauses (vi), (vii) and (x) of section 98 impose a consolidated tax as a rate on buildings or lands or both.

उपाध्यक्ष महोदय, जो इसमें कन्सोलिडेटेड टैक्स डालना चाहते हैं, उसमें क्या रहता है कि फिक्स रेट ही observe करनी पड़ती है लेकिन यहां पर क्या प्रोविज़न रखा है।

they can come into an agreement if a group of buildings used for one purpose or under one managment उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बम्बई और दूसरी जगह पर देखा है जैसे पुराणा बिल्डिंग है उसमें १०, १५ या २० बिल्डिंग्ज उन्होंने बना रखे हैं इसी तरह से जयपुर में भी या किसी दूसरे शहर में किसी व्यक्ति ने २० बिल्डिंग्ज बनाये उसमें से १७ या १८ बिल्डिंग्ज तो उसने किराये पर उठा दिये और एक दो बिल्डिंग अपने खुद के रहने के लिये रख लिये because that building will be under one management. इसमें वाटर चार्जेज़ वगैर जो भी हैं In fact at a reduced rate if I want it. इसमें स्पेशल प्रोविज़न रख दिया है। It may be used for the purpose of rent जो बड़े बड़े मकान रख दिये। इसलिये It is simply used for tourits. टूरिस्ट आते हैं और यहां रहते हैं इसलिये रिड्यूस्ड रेट within the reduced rate इससे भी कम या ज्यादा चार्ज कर सकें। लेकिन इसमें ज्यादा का प्रोविज़न नहीं है they would have mentioned a higher rate..

इसलिये इनका जो पर्पज़ है instead of counting a fixed rate वह सेक्शन ६० में पूरा कर सकते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि इन्फल्यूएन्शल पर्सन्स हैं अपने बिल्डिंग के लिये लेसर एमाउन्ट ऑफ रेट फिक्स कराने में कामयाब होंगे। जो लोग ऐसे रेन्टल प्राइज़ के लिये १०, १५ बिल्डिंग्ज़ रखते हैं। They will be resourceful enough to manupulate their statistics. इसका स्टेटेटिसटिक कहिये उसको मैनुप्युलेट करने में का भी रिज़न होगा। ऐसा होगा म्युनिसिपल बोर्ड के पास हमेशा गुंजाइश रहेगी There will always be room for manipulation. इसलिये मैं यह निवेदन करता हूँ कि सेक्शन ६६ से इसका पर्पज़ सर्व होता है इसलिये इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : The question of giving any reply does not arise because there is no amendment. The question is....

श्री पी० के० चौधरी : There is opposition to the clause Sir, I ask for deletion of the clause. If he may agree to delete it he may do it.

श्री उपाध्यक्ष : But it is not necessary that the Hon'ble Minister may reply. प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२१ पर श्री बद्रीप्रसाद

(श्री उपाध्यक्ष)

गुप्ता ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२१ संशोधित रूप से स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२१ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १२२।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२२ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२२ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १२३।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता सब क्लॉज़ २ पर मेरा बहुत सीधा सा संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष : In sub-clause (2) omit 'in which octroi is leviable."

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२३ पर जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : We should know the amendment. What is that amendment ?

श्री उपाध्यक्ष : It has been moved.

संशोधन स्वीकार किया गया।

(स्वीकृत)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२३ संशोधित रूप से स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२३ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉजेज़ १२४ से १३०।

प्रश्न यह है क्लॉजेज़ १२४ से लेकर १३० तक स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १२४ से १३० तक विधेयक के अंग बने।

क्लॉज़ १३१। श्री श्रीभानसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लाज़ १३१ को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३१ विधेयक का अंग बना।

Page No.80

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लाज़ १३२

श्री श्रीमन्नसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३२ स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३२ विधेयक का अंग बना ।

क्लॉज़ १३३ ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १३३ में अपील का प्रोविज़न है और उसमें "(a) the appeal is, in the case of a tax assessed on the annual letting value of buildings or lands or both, brought within thirty days next after the communication of the order..." इसमें यह प्रोविज़न रखा है कि "(b) the amount claimed from the applicant has been deposited by him in the municipal office." जब तक जो टैक्स एसेस किया है और अपील करना चाहते हैं उनके लिये पहले यह करना होगा कि वह टैक्स पहले जमा करा दें । उसके बाद अपील करें । मैं यह कहूंगा कि हमने सेल्स टैक्स आदि में भी इस प्रकार का संशोधन किया है कि अगर अधिकारी उचित समझें तो आधा लेवें या बिना लिये ही एप्लीकेन्ट को आर्डर दे सकता है कि वह अपील कर सकता है । हमने उनकी मर्ज़ी पर रख दिया है अगर हम इस प्रकार का यहां पर भी रखते है तो हम पब्लिक को बहुत बड़ा रिलीफ देते है । मान लीजिये कि पहले उसके पास जमा कराने के लिये पैसे नहीं है । उसको अगर २०० या २५० रुपये जमा कराने हैं और उसके पास नहीं है तो वह जमा नहीं करा सकता है । ऐसी सूरत में अगर अधिकारी सेटिस्फाई हो जाए कि अपील करने वाला ठीक कहता है, तो उसको अपील करने की इज़ाजत दे सकता है । ऐसा मैं समझता हूं कि न्याय संगत होगा । क्योंकि आखिर तो वह व्यक्ति कोर्ट के नीचे ही रहता है । उससे रुपया तो वसूल कभी भी हो सकता है । इसलिये इस प्रकार का मैंने संशोधन रखा है ।

३ म० प०

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सिर्फ अपील का प्रोविजन रखा गया है. आपका अमेंडमेंट यह है A l.1 the following proviso:--

"Provided that the appellate authority may, at his discretion, on such conditions as it deems fit, entertain an appeal."

अपील तो एन्टरटेन करेंगे ही इसको रोकने वाला नहीं ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने अमेंडमेंट में विदाउट डिपोजिंग या कुछ डिपोजिट करवाने पर ऐसा हो सकेगा ऐसा लिखा था , मेरे शब्द कुछ रह गए हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जैसा कि आपका अमेंडमेंट है वैसा देख लीजिए

Page No.81

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

'Provided that the appellate authority may, at his discretion, on such conditions as it deems fit, entertain an appeal.

मैं समझता हूं इन्टरवीन करने की कन्डीशन नहीं लगाये तो अच्छा है जैसा है वैसा ही पास कर देना चाहिये। इस अमेंडमेंट तो स्वीकार करने में गड़बड़ी होगी। अपील को एन्टरटेन तो करेंगे ही।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): On apoint of information Sir. The Hon'ble Member is alleging that he has moved amendment in certain other wordings. I request the chair to enlighten the House on that point.

श्री उपाध्यक्ष : Let me ascertain it

(विराम)

Yes, Mr. Mathur, you are perfectly right. You can move it even at this stage.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : What is that amendment, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : The amendment is this, The portion which has been left is this:—

"Without or with such lesser sum as sanctioned by him."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: The Hon ble Minister is accepting it or does it need more stressing?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: आप इसकी लेंग्वेज को देखिये मेरा ऐसा निवेदन है जैसा है वैसा ही ठीक है उसको रहने दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: जब यह रीजनेबल चीज़ है तो आप ही अमेन्डमेन्ट मूव कर दीजिये अभी केवली बैठ रहे हैं तो उसमें क्या आपत्ति है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: सेल्स टैक्स में भी ऐसा ही हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: सब क्लॉज़ २ है "(b) the amount claimed from the applicant has been deposited by him in the municipal office."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: You can word it like this:—

"...or has given proper security for the payment of the same to the satisfaction of the appellate authority'.

हाई कोर्ट भी होता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: इसको डेफर कर देते हैं, फिर देख लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: क्लॉज़ १३३ डेफर्ड।

क्लाज १३४

श्री श्री भानसिंह

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३४ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत):

Page No.82

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज़ १३४ विधेयक का अंग बना ।

क्लॉजेज़ १३५ से १५३

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: On a ponit. of information Sir, "In regard to Clause 135. "In every appeal the costs shall be in the discretion of the officer deciding the appeal."

I would like to know from the Hon'ble Minister whether in case an appeal is accepted by the Appellate authority, whether he will be entitled to pass a decree for costs even against the Municipal Board ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: अपीलेट के खिलाफ थोड़े ही होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: Supposing he decides the appeal in favour of the appellant.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: यह है "In every appeal the costs shall be in the discretion of the officer deciding the appeal" जो कुछ डिसाइड करेंगे डिस्क्रीशन होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यह तो उनके डिस्क्रीशन पर है किसी को कॉस्ट दिलवा सकते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: इसमें बोर्ड के खिलाफ भी अवार्ड कर सकता है यह भी लिखा हैं। दोनों लिखे हुये हैं:

(1) Costs awarded under this Section to the Board shall be recoverable by the Board in the manner provided in Chapter VIII.

(2) If the Board fails to pay costs awarded to an appellant within thirty days after the date of the communication to the board of the order for payment thereof the officer awarding the costs may order the person having the custody of the balance of the municipal fund to pay the amount.

दोनों के लिये है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३५ से १५३ तक स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत):

क्लॉजेज़ १३५ से १५३ विधेयक के अंग बने

क्लाज १५४

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १५४ में मेरा अमेन्डमेन्ट यह है.

'In sub-clause (2) after the words otherwise improving any public street' insert the words 'the Board may acquire' and omit the same words appearing before the words 'land necessary'.

यह खाली लेंग्वेज के करेक्शन के लिये है। बाकी और कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १५४ में श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

Page No.83

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह हैकि क्लॉज़ १५४ संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५४ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

क्लॉज १५५

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा अमेन्डमेन्ट इतना ही है

In part (1) of sub-clause (5), omit the words of hearing such appeals or any of them.'

इसमें कोई खास बात नहीं है सिर्फ लेंग्वेज के करेक्शन के लिए है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत):

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ १५५ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५५ संशोधित्त रूप से विधेयक का अंग बना

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ १५६ और १५७ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १५६ व १५७ विधेयक के अंग बने

क्लॉज १५८

डॉ० बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५८ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५८ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज १५६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो अमेन्डमेन्ट है वह तो लेंगवेज़ ठीक करने के बारे में है। मैटीरियल डिफरेन्स उससे नहीं पड़ता।

वह इस प्रकार है: In sub-clause (1) Omit the following:

(a) the words 'or beyond the front of the building on either side thereof'.

(b) the words 'or beyond the said front the adjoining building on either side thereof' and.

(c) the words 'or the front of such building.' And in sub-clause (2) omit the word 'such.'

श्री उपाध्यक्ष: डॉ० बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

Page No.84

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १५६ में श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : मेरा भी एक संशोधन है १५६ पर ।

श्री बद्रीप्रसादगुप्ता: जी हां, है ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: सब-क्लॉज़ २ में है । सब–क्लॉज़ २ में इस प्रकार के पॉवर हैं कि:–

"(2) If any land not vested in the Board, whether open or enclosed, lies within the regular line of a public street, and is not occupied by a building other than a platform verandah, step or other such external structure the board, after giving the owner of the land not less then fifteen clear days notice..."

श्री उपाध्यक्ष: Mr. Mathur, let me find out if thers is an amendment.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: नहीं है साहब ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५६ पर जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ १५६ को स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५६ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना ।

प्रश्न यह कि क्लॉज़ १६०।१६१ व १६२ स्वीकार किये जावें ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६० व १६१ व १६२ विधेयक अंग बने ।

क्लॉज १६३ ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय इस क्लॉज़ को अमेन्ड करने का मेरा प्रस्ताव है । इसकी आवश्यकता नहीं हैं इसलिए इसको डिलीट कर दिया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष: जो प्रस्ताव १६३ को ओमिट किया जाने का श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने प्रस्तुत किया है इसको स्वीकार किया जावे ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): Why ? Why the Minister-in-charge is moving for its omission ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता: एक वेयर हाउस अलग बन गया है. इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो क्लॉज़ १६३ को ओमिट करने का संशोधन

Page No.85

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६३ ओमिट किया गया ।

क्लॉज १६४

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें जो अमेन्डमेन्ट है सब-क्लॉज़ ४ में वह इस प्रकार है:—

In sub-clause (4) insert 'and plans' before the words 'If any' in the penultimate line.

और सब—क्लॉज़ ५ में इस प्रकार है : In sub-clause (5) for the opening words 'In any other case,' substitute 'Where no such bye-law has been made.' और तीसरा है: In part (b) of sub-clause (6) add 'as to' before the words 'the number of storeys' in line 4 and substitute 'or as to the purpose for 'for the purpose' in the penultimate line. ये सब लेंग्वेज के करेक्शन के बारे में हैं । इसलिए आशा करता हूं कि इन्हें स्वीकार किया जावेगा ।

श्री उपाध्यक्षः श्री जगदीशप्रसाद ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, आजकल जितने भी म्युनिसिपेलिटी में झगड़े और अदालतों में मुकदमें जाते हैं उसमें अधिकांश ज़मीन के सम्बन्ध में होते हैं । किसी ने किसी की जमीन दबा ली । किसी ने कुछ ज़मीन पर किसी ने कुछ बना लिया, उसको म्युनिसिपेलिटी ने तोड़ दिया । कोई किसी को परमिशन नहीं देता है । किसी को गलत परमिशन दे दी गई है । तो अधिकांश मुकदमें और झगड़े इसी तरह के होते हैं । आज वर्तमान १०८ और १३० धाराओं में इसी तरह की खामियां हैं । आज इस सारी धारा को भी उडा कर देखें तो कई बार ऐसे झगड़े इससे भी पैदा होंगे । अगर किसी के निर्णय से किसी को असन्तोष हुआ तो अपील में जावे, तो किसके पास कहां जावे । इसके लिए लिखा है :

"(12) Any person aggrieved by an order of of a board under clause (b) or clause (c) of seb-sction (6) or clause (a) or clause (b) of sub-section (11) may, within thirty days from the date of such order, exclusive of the time requisite for obtaning a copy thereof, appeal to the Commissioner in the case of a city or to the Collector in any other case, and no such order shall be liable to be called in question otherwise than by such appeal."

इसके लिए अपीलेट औथोरिटी कमिश्नर को रखा है । यह कमिश्नर साधारण लोगों के लिए एप्रोच करना कठिन हो जावेगा । जैसे अजमेर डिवेजन है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट और भरतपुर ज़िले में इसमें आते हैं । अब वहां के किसी आदमी को कोई नया मकान नही बनाने दिया गया, किसी ने नाला तोड़ दिया तो उसकी अपील करने को जाना पड़ेगा अजमेर कमिश्नर के पास । तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह टैक्सेशन के मामले

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

में आपने अपील का अधिकार कलेक्टर को दिया वैसे ही इसमें अपीलेट ऑथोरिटी कलेक्टर को रख दिया जावे ताकि इनर्जी एप्रोच किया जा सके।

अब आपने आगे हाई कोर्ट का पॉवर नहीं दिया कि आगे हाई कोर्ट में जाया जाय। तो रिवीजन का पॉवर आप कमिश्नर को दे दें। तो इस तरह का बहुत ही सेटिस्फेक्टरी हल इसका निकल आवेगा। इस दृष्टि से मेरे दोनों संशोधन सरकार स्वीकार करेगी ऐसी आशा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार जयपुर) : मैं इस सब क्लॉज ६ के बारे में एक बात जानना चाहूँगा। सब क्लॉज ६ में लिखा है :

"(6) Save as otherwise provided in this Act or the rules or bye laws thereunder, the board may—

(a) give permission to execute any work of which notice has been given under sub-section (1) or

(b) impose in writng conditions in accordance with this Act and the rules and bye-laws thereunder as to level, drainage, sanitation, design, materials and cubical capacity of rooms, doors, windows and aperatures for ventilation or the number of storeys to be erected or with reference to the location of the building in relation to any existing bulding or existing street for the purpose for which the building is to be used. . .

उपाध्यक्ष महोदय, इसका जो अपील का प्रोविज़न है वह है सब क्लॉज १२ में इसमें बी और सी के ऑर्डर के खिलाफ तो प्रोविज़न है अपील का। पर कुछ क्लॉज़ ऐसे देखने में आये जिनमें दो पार्टियों में झगड़ा हुआ, यह पर्मीशन उसको नहीं दी जानी चाहिये पर बोर्ड ने गलत पर्मीशन ग्रान्ट करदी जैसा कि कर देती हैं हम आये दिन देखते आये हैं तो इसके कारण वह आदमी सब क्लॉज़ १२ में अपील नहीं कर सकता। अगर रोंग पर्मीशन दे दी जावे और कोई आदमी ऑब्जेक्शन करे और बोर्ड रोंग पर्मीशन देने करने पर तुला हुआ हो, फेवरेटिज्म करने पर तुला हो, जैसा हमारे नोटिस में कई बार आया है तो ऐसी सिचुएशन में उपाध्यक्ष महोदय, बोर्ड ने चूंकि पर्मीशन दे दी है चूंकि ६ के द्वारा पॉवर है और जिसकी अपील सब-क्लॉज़ १२ में नहीं आतो तो ऐसे हालतों में इसके खिलाफ़ अपील का क्या प्रोविज़न है ? क्योंकि वह आदमी बोर्ड के ऑर्डर को सिविल कोर्ट में चैलेन्ज नहीं कर सकता। ऐसे भी काम्प्लीकेशन्स पैदा हो सकते हैं। तो या तो सब-क्लॉज १२ में इसका प्रोविज़न करें।

"(12) Any person aggrievd by an order of a board under clause (b) or clause (c) of sub-section (6) ..."

We have used the word 'any person'. He may be an objector to the permission being granted to an applicant who has applied to the municipal board for permission to errect a building, and he may say, I object to it that permission should not be granted to the applicant to

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

erect the building'. Now his objections may be very valid, but the Board decides otherwise and grants the permission. Then so far as this law is concerned, he will have no right to go in appeal to appellate authority, because while clause (b) and (c) of sub-section (6) are coverd under sub-sec. (12), the clause (a) is not covered. So the Hon'ble Member should make the position clear as to in a situation like this, and such a situation has arisen many times and I have taken this objection that no appeal is entertainable because the permission has been given by the Board and appeals have been rejected on that technical ground, what shall be the position ? So my submission is that clause (a) of sub-section (6) should also be included in sub-section (12).

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्तशासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो दलील दी गई है तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे केसेज़ मेरे सामने भी आये कि किसी को पर्मीशन मिल गई और अगर पड़ोसी को शिकायत है तो उसको अपील वाकई में प्रोवाइड नहीं है टाउन एक्ट के अन्दर। ऐसे केसेज़ कई देखे हैं और मैं खुद भी यह महसूस करता हूं कि यदि किसी को कन्सट्रक्शन के लिए बोर्ड इजाज़त देता है और उससे पड़ौसी को इफेक्ट पड़ता है उसकी तरफ़ दरवाज़ा निकलता है या खिड़की निकलती है तो उसको राइट होना चाहिए इसलिए उप-धारा १२ के अन्दर जो (ए) को इनसर्ट करने का संशोधन है उसको इसमें शामिल कर लिया जाये। तो यह होगा : "(12) Any person aggried by an order of a Board under clause (a), (b or (c) of sub-section (6)...." यह हो जायेगा और दूसरा जो अमेन्डमेंट है कि कमिश्नर के बजाय कलेक्टर हो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर अपील कलेक्टर के यहां दायर हो तो यह कन्सट्रक्शन का मामला है और कलेक्टर ही इसको सुन लेगा अगर कमिश्नर अवेलेबल नहीं है तो इसमें मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो क्लॉज़ १६४ पर श्री बद्रीप्रसाद जी गुप्ता ने संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक तो स्वीकार कर लिया जाना चाहिए और दूसरे को नहीं। जो वन है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो कलेक्टर वाला है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : Substitute the word 'Collector' for the words 'commissioner in the case....or the

(श्री उपाध्यक्ष)

collector in any other case' इसको आप एक्सप्ट करते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सीरियल नं० १३६ पर जो यह... अमेन्डमेंट है उसको स्वीकार कर लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि 'Substitute the word 'Collector' for the words 'commissioner in the case of a city or to the collector in any other case' "

इस संशोधन को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने प्रस्तुत किया है "Substitute the following for sub-clause (14) :—

'(14). the appellate authority may of its own accord or on application from the party concerned revise its order'.

इसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६४ को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय जो ओरल अमेन्डमेन्ट श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने रखा है उसे एक्सेप्ट करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो ओरल संशोधन श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६४ संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६४ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, यह ओरल अमेन्डमेन्ट किस धारा में स्वीकार हुआ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्लॉज़ १६४ के उप-क्लॉज़ (१२) में (बी) और (सी) के पहले (ए) को इन्सर्ट किया जाये।

श्री श्रीभानसिंह : Sir, there is no procedure that an oral amendment should be accepted.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें लिखा है "(12) Any person aggrieved by an order of a board under clause (b) or (c) of sub-section (6)...."Now it shall be "(12) Any person......clause a), (b) or (c) of sub-section (6).."

Page No.89

श्री उपाध्यक्ष : Ther eare no amendments is clauses 165 to 168.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय क्लॉज़ १६७ को अपोज़ करना है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६५ स्वीकार की जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६५ विधेयक का अंग बना ।

क्लॉज़ १६६

आप किसी को अपोज करना चाहते हैं ?

जकदीश प्रसाद माथुर : १६७ को ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६६ को स्वीकार की जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६६ विधेयक का अंग बना ।

क्लॉज १६७

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में क्लॉज़ ९७ के बाद जितनी भी क्लॉजिज़ आई वह अधिक ऐसी थीं कि जो आपत्तिजनक नहीं थीं लेकिन जितनी क्लॉज़ ९७ आपत्तिजनक थी उतनी ही क्लॉज़ १६७ आपत्तिजनक है । उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १६६ के अन्दर रेग्युलेशन्स ऑफ हट्स हैं उसके बाद में १६७ क्लॉज़ में इम्प्रूवमेन्ट ऑफ हट्स हैं । उपाध्यक्ष महोदय हम तो समझते थे कि हट्स की जगह बड़े बड़े क्वार्टर्स बनाये जायेंगे और उनका इम्प्रूवमेन्ट किया जायेगा । लेकिन इस प्रकार की पॉवर्स बोर्ड को दी हैं कि जितने भी गरीब आदमी हैं और जो कई मौहल्लों में बसे हुए हैं उनको कहीं उखाड़ कर के फेंकना हैं तो बोर्ड रेज्योल्यूशन पास करके उनको फेंक देगी और उनके दूसरे आवास की कोई व्यवस्था नहीं है । अगर हम इस धारा को पढ़ें तो जो इसकी उप-क्लॉज़ (२) है उसके अन्दर इस प्रकार से है :

Improvement of huts....

(2) In case any such owner or occupier shall refuse or neglect to take down and remove such huts or sheds or to execute such operations within the time appointed, the board may cause the said huts or sheds to be taken down,or such operations to be performed in respect of such huts or sheds as it may deem necessary, to prevent such risk."

अब जो हमारे समाज की व्यवस्था है और कई बार हमें इस प्रकार से देखने का अवसर मिलता है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री यदाकदा बिना नोटिस दिये बिना किसी प्रकार की सूचना के इस प्रकार के स्लम्स में जाते हैं, और वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें बड़ा दुःख होता है कि हमारे देश में इस प्रकार के स्लम्स है । केवल दिल्ली में ही ऐसी बात नहीं है जयपुर में भी इस प्रकार की झोपड़ियों में रहने वाले बहुत से लोग दिखाई देते है, और आज से आगे आने वाले प्रगतिशील और सुधारवादी लोग कहेंगे कि इस प्रकार से हम नहीं चाहते हैं कि शहर में इस प्रकार की गन्दगी हो । यह शहर की

Page No.90

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

शोभा की बात नहीं है और तुरन्त एक रिज़ोल्यूशन पास कर के उनको हटा दिया जायगा, और हटाने के बाद क्या व्यवस्था होगी, इसका इसमें केवल एक प्रोविज़न है कि बोर्ड यदि उचित समझे तो उनको केवल कम्पेन्सेशन दे दें। किसी आदमी को उसके आवास से हटाते हैं वे राजस्थान के जागीरदार नहीं हैं कि कहीं आबाद हो सकते हैं। उनके भी आवास आज के जागीरदारों ने नहीं बनाये थे, बड़ी मेहनत से घरबार बसा रखा है उन लोगों को उठाकर फेंक दें और केवल यह कह दें कि कम्पेन्सेशन देते हैं, तो यह किसी प्रकार से वाज़िब नहीं होता है। पी. डब्ल्यू. डी. के ऑफिसर किस प्रकार का कम्पेन्सेशन तय करेंगे वह हमें दिखाई देता है। हम देखते हैं कि बड़े लोगों को कम्पेन्सेशन ज्यादा तय हो जाता है लेकिन गरीब लोगों को कम्पेन्सेशन तय होगा वह २५, ३० रुपया होगा। अगर कुछ कहेंगे तो कहा जायगा कि तुमने अन्लॉफुल्ली कब्ज़ा कर रखा था। केवल २५, ३०) रुपये झोंपड़ियों का दिया जाता है और हटा दिये जाते हैं। इसी प्रकार से सब जगह झगड़ा होगा। दिल्ली के अन्दर देखने को मिला है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट झोंपड़ियों को हटाती है तो प्रदर्शन होता है कई बार तो सरकार इस प्रकार से झगड़ा तय करती है। हम चाहते है कि झोंपड़ियां में नहीं रहे तो क्वार्टर्स बनाईये और क्वार्टर्स बनाने का प्रोविज़न होना चाहिए। क्लॉज़ १६७ आज ही आ जायगा यह मुझे पता नहीं था। मैंने एक एमेंडमेंट रखा है। उसका प्रोविज़ो पढ़कर सुना देता हूँ और मंत्री महोदय जंचे तो स्वीकार करें :

Add a new sub-clause as sub-clause (5) :-

"(5) Persons whose huts or sheds have been pulled down by the Board, shall be entitled to get land equivalent to their own land free of charge."

जिस आदमी को ज़मीन से हटाते है तो कम्पेन्सेशन तो दें ही और कम्पेन्सेशन इतना दें, यह नहीं कि किसी झोंपड़ी का तय कर दिया, कि यह झोंपड़ी ५०) रु० की है और ५०) रु० झोंपड़ी का दे दिया, किसी आदमी को झोंपड़ी से हटाया जाय तो इतना कम्पेन्सेशन दें कि उतनी की उतनी झोंपड़ी तैयार हो जाय। यह तय करने का पी. डब्ल्यू. डी. को अधिकार दिया कि वह तय कर देती है और एक मकान या दो मकान गिरा देते है तो कम्पेन्सेशन देने के साथ साथ ज़मीन एलाट होना चाहिए और अर्बन इम्प्रूवमेंट उनके लिए प्लाट्स तय करे। किसी एक मोहल्ले में से उनको हटाते हैं और दूसरे मोहल्ले में बसाते हैं तो उनको उतनी की उतनी ज़मीन देवें और केश नहीं दें। अगर उतना रुपया नहीं देगें तो उतनी की उतनी उसी प्रकार की गंदी झोंपड़ी बना देगा। गंदी झोंपड़ी आगे जाकर नहीं बन सके इस के लिए सरकार रुपया दे और जिस प्रकार से समाज कल्याण विभाग हरिजन जो मकान बनाते हैं उसकी एक चौथाई वह रकम देती है लेकिन वह तो नये बनाते है वह देती है। जिनको अपरूट करते हैं तो अपरूट करते के बाद में यह ज़िम्मेदारी आजाती है कि जिसको अपरूट करते हैं उसको बसायें और बसाने के लिए आवश्यक है कि उनके लिए प्लाट्स बनायें और प्लाट्स बनाकर जितनी ज़मीन ली है उतनी जमीन उनको फ्री ऑफ चार्ज दें। हमारी राज्य सरकार

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

यह कहेगी कि उसको किसी प्रकार का पता नहीं था। उसके पास में कोई इस प्रकार की सनद नहीं थी, और बिना सनद के झोंपड़ी बना रखी थी। झोपड़ी के पैसे दे दिये। ज़मीन सरकार की थी। सरकार ज़मीन अपनी मानकर चलती है और बिना किसी ऑथोरिटी के कन्स्ट्रक्ट कर लेती है। ऐसी झोंपड़ियां मिल सकती है। ५० या १०० वर्ष पुरानी झोपड़ियां मिल सकती हैं जिनमें १०० वर्ष से आदमी बाशिन्दा है। उनको शहर की खूबसूरती के नाम पर हटाना चाहते हैं और कोई हमारी जिम्मेदारी आयद नहीं होती है। अगर जिम्मेदारी आयद होती है तो सरकार का कर्तव्य है कि उस आमदनी को उतनी जमीन दें और इतना रुपया दें कि जिससे वह दूसरे स्थान पर जाकर बस सके और खूबसूरती के साथ बस सके, क्योंकि आज जयपुर में एक जगह से ऐसी बस्ती को हटाते हैं तो दूसरी जगह अगर उनको सहूलियत नहीं मिली तो उसी तरह की गंदी झोपड़ियां बनायेंगे और फिर जयपुर का इम्प्रूवमेंट आगे बढ़ा तो उस बस्ती में से फिर उनको हटायेंगे। बराबर सिटीज का इम्प्रूवमेंट होता गया तो गरीब की झोपड़ियां फिर शहर से बाहर दूर चली जायगी। इसलिए कोई स्थायी व्यवस्था हो। इसलिए आवश्यकता है उनको वहां इतनी बड़ी जमीन दें कि जितना मकान छोड़ा है उतना मकान वहां पर बनाकर रहें। फिर बोर्ड को अधिकार दें इतनी व्यवस्था करके वह मकानों को गिरा सके। जब तक यह व्यवस्था नहीं कर देते हैं तबतक यह नहीं होना चाहिए। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरी जो एमेंडमेंट है वह लिखित में नहीं है वे स्वयं इस प्रकार से इसको बना दें कि उतनी किमत की और ज़मीन दूसरी जगह प्रोवाइड होगी तो यह क्लाज हमें स्वीकार है, वर्ना वह क्लॉज किसी प्रकार से स्वीकार नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर सीटी) उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा मैं इस पर····

श्री उपाध्यक्ष : किस पर ?

श्री मुरलीधर व्यास : एमेंडमेंट तो नहीं है लेकिन झोपड़ियों को हटाने के बारे में········

श्री उपाध्यक्ष : I mean you are opposing the cluse itself.

श्री मुरलीधर व्यास : जी हां।

इसमें खास करके जो यह झोपड़ियों को हटाने का अवधान रखा है उसमें सरकार की मन्शा इस प्रकार की दिखाई देती है कि जगह जगह झोपड़ियां बन जाती हैं तो सफाई का कोई ख्याल नहीं रहता है। गंदगी फैलती है और गंदगी फैलने से पड़ौसियों को नुकसान होता है। वह झोंपड़ी हटाने का अधिकार नगरपालिका को दिया जाता है। परन्तु मैं यह समझता हूँ कि जहाँ तक झोंपड़ियों का सवाल है हमारे मुल्क में किस प्रकार की गरीबी है, और ऐसे लाखों करोड़ों आदमी निकलेगें कि जिनके पास न किसी प्रकार से किराये का मकान लेने के साधन हैं। उनकी ऐसी हालत है कि चलते फिरते रहते हैं और कहीं भी झोपड़ियां बना लेते है और फिर चल देते हैं और निकल जाते हैं। यह वस्तुस्थिति हम देखते हैं यहाँहीं जयपुर में देखते हैं। यह कौन सी रोड है जिस पर सैंकड़ों परिवार रहते हैं

(श्री मुरलीधर व्यास)

और कई ने छोटी छोटी झोपड़ियां बना ली है। वह मेन रोड पर है वह जरूर बुरा है कई स्थानों पर हम देखते हैं कि कई आदमी एक जगह झोपड़ी बना लेते हैं। और दूसरी स्थान पर जाकर थोड़ी बहुत मजदूरी करते हैं और अपना निर्वाह करते हैं। वे झोपड़ियां बना कर रहते हैं। ऐसे परिवार हर स्थान पर मिलेगें, और हम देखते है कि शहर में सैंकड़ों हजारो परिवार इस प्रकार की झोपड़ियां बन कर जिन्दगी बिताते है।

अब सवाल यह है कि क्योंकि ऐसे स्थानों पर झोपड़ियां बना लेते हैं न उनके पास इतने साधन हैं कि लेट्रिन या सण्डास बना सकें तो वे कहीं न कहीं बाहर सण्डास के लिए जाते हैं। उससे आस पास के कस्बों में, आस पास के लोगों को नुकसान पहुंचता है। तो मैं जहां तक समझता हूँ कि वे लोग न तो कानूनी दृष्टिकोण से ज़मीन खरीदते हैं और न उनके पास इतने साधन होते हैं। वे तो जीवन निर्वाह के लिए धन्धा करने जाते हैं। जिनके प्रति लोगों की श्रद्धा नहीं है। मजदूर मात्रा रहते हैं। अपना जीवन बिताने के लिए छोटे छोटे बच्चों के अपने परिवार को लेकर रहता है। वे झोपड़ियां बहुत छोटी रहती हैं। लेकिन झोपड़ियां में ५,७ जीव रहते हैं। अगर समझा जाय तो म्युनिसिपैलिटी को इस प्रकार का अधिकार मिल गया तो बुरा है। झोपड़ियां हटा दें। उनके पास साधन नहीं है। पैसा नहीं है। सरकार इनकी व्यवस्था कर सकती है। पॉवर रहेगी तो ठीक बात है हटा दो, परन्तु जहां व्यवस्था करने का सवाल है वह म्युनिसिपैलिटी नहीं कर सकेगी। सबसिडी का सवाल जायेगा तो वह नहीं दे सकेगी। सरकार को रोकेगी।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): सरकार का एक सिद्धान्त है गरीबी हटाने का तो वह इस तरह से हटा रही है।

श्री मुरलीधर व्यास: आज इस प्रकार से मैं नहीं समझता कि या तो सरकार के ख्याल में यह बात नहीं आई दिल्ली की घटनाओं को लेकर जहां कि इस प्रकार के बड़े शहरों के अन्दर ऐसा हुआ है कि कुछ लोग निर्वाह के लिए बैठ जाते हैं और उनको हटा नहीं पाते हैं और इस तरह से कानून बना दिया। हमारे मुल्क में अधिकांश लोग झोपड़ियों में रहने वाले हैं। नगरपालिकाओं को इस प्रकार से अधिकार दे दें कि झोपड़ियों को हटा दें तो एक बहुत बड़ा उनके साथ में अन्याय होगा।

इस प्रकार से चलते फिरते और घूमने फिरने वाले लोग यहां चांद पोल के पास आप जांय तो आपको मिल जायेगें जिन्हें कि हम गडलिया लुहार कहते हैं। गोडोलिया लुहारों को ... बात को लाइट में देखते है तो कई परिवार इस प्रकार से झोपड़ियां डालकर पड़े हुए हैं। हम सोचें कि यहां हैं। दूसरी जगह पर नहीं जायेगें, क्योंकि उनके मकान नहीं हैं. उनके पास कोई सुविधा नहीं है, तो जायेगें जरूर। शहर के अन्दर काम मिल जाता हैं, जीवन निर्वाह के लिए कुछ मिल जाता है, रोजी मिल जाती है इसलिए बैठे हैं। अब मैं कहूंगा कि झोपड़ी में, मोहल्ले में नहीं रहने दे तो नतीजा यह होगा कि यह लोग जो शहर में आकर अपना निर्वाह कमाते हैं, कई कई शहरों में तो परिवार के परिवार आजाते हैं और रहते हैं।

(श्री मुरलीधर व्यास)

आज बीकानेर के बारे में मैं कहूंगा कि ऐसे सैकड़ों परिवार जो एक एरिया में रहते थे कई वर्षों से वे झोपड़ों में रहते थे बाद में उसी जमीन को किसी ने चुपचाप लेली और चारों तरफ से घेरा डाल दिया, सैकड़ों परिवार वहां पर रहते थे उनको वहां से हटाया गया। सरकार के सामने यह प्रश्न आया। सरकार ने सहकारिता के आधार पर उनको बसाने का स्थान दिया लेकिन बहुत दिनों के बाद दिया। लेकिन ऐसी स्थिति में मैं कह रहा हूं कि यदि आपने नगरपालिका को अधिकार दिये तो यह उनको अपने जीवन निर्वाह से हटाने का अधिकार देना है। नगरपालिका के पास पैसा नहीं है कि वह उनको किसी दूसरे स्थान पर बसा देगी अगर वहां पर गंदगी होती है, लेटरिन्स नहीं है, तो गंदगी को दूर करने का और लेटरिन्स बनाने का ज़िम्मा किसका है? आप उनके लिए लाइट का इन्तज़ाम करें, सफाई का इन्तजाम करें, उनके लिए पब्लिक लेटरिन्स बनावें। उनको सुविधा देने का तो काम अलग रहा उल्टा उनको वहां से हटाने का जो काम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यह चीज संशोधन के रूप में नहीं भी आई है लेकिन क्योंकि यह बात हाउस में आई है इसलिए मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और इतने पोरशन को इसमें से हटा देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १६७ का मैं विरोध करता हूं और इसलिए नहीं कि मैं कोई झोपड़ियों के विकास का विरोधी हूं। नाम जरूर 'झोपड़ियों के विकास' इस क्लॉज़ में दिया है, और जैसा कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उनकी भावनाओं के साथ इसका विरोध किया, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किये, उनके विचार और भावनाओं के साथ अपने विचार और भावनाओं को सम्मिलित करता हुआ, यह निवेदन करूंगा कि इसमें हट्स के इम्प्रूवमेन्ट की कोई व्यवस्था नहीं है, आप इसके हैडिंग में यह लिख देते कि रिमूवल-ऑफ-हट्स, डिमोलिशन ऑफ हट्स, झोपड़ियों को हटाया जावे, झोपड़ियों का नाम, समूलीकरण तो कुछ बात समझ में आती। आपने नाम दिया इम्प्रूवमेन्ट का और बात करते हैं डिमोलिशन की और आप उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव प्रोविजन करने के लिए तैयार नहीं हैं। आखिर झोपड़ी वालों की झोपड़ियों को उठाकर आप उनके लिए दूसरी व्यवस्था क्या करेंगे? बीकानेर के सदस्य की भावना इसलिए नहीं थी कि उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह झोपड़ी है और आप उसको मिटाना चाहते हैं, मैं इस भाव से नहीं कहता हूं लेकिन आखिर मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि आज जयपुर के अन्दर और सारे राजस्थान में अधिकांश लोग झोपड़ियों में निवास करते हैं। यहां की समस्या को लेकर इन स्थानों पर खड़े होकर बड़े बड़े शहर में मैं स्लम्प एरिया के नाम पर नगरपालिकाएं यह कोशिश करेंगी कि इन झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को हटा दिया जाय। आप इनका इम्प्रूवमेन्ट करिये, इन झोपड़ियों को वहां से उठाकर दूसरी जगह डालिये यह समझ में आ सकता है, लेकिन झोपड़ियों को गिरा दिया जाय, उनका सामान, दंड कमंडल और उसके आस

Page No.94

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पास जो लकड़ी होगी और जो कुछ उनके वहां थोड़ा बहुत सामान होगा उसको १०,५ रुपये में बेच सकेंगे ! आप उस सामान को बाजार में नीलाम करके कीमत अदा करेंगे और कहेंगे भागो यहां से आपके लिए दूसरा स्थान नहीं है, ऑल्टरनेटिव प्लेस नहीं है, आपको देने के लिए कोस्ट नहीं है, नतीजा क्या होगा, जल्दी २ के जिज पास कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि राजस्थान में १॥ करोड़ जनता रहती है, उसमें से १। करोड़ लोग इन झोपड़ियों में रहते हैं। आप हरिजनउद्धार, और शिड्यूल कास्ट और ट्राइब के उद्धार की बात करते हैं लेकिन इस तरह का कानून बनाकर इन गरीबों की झोपड़ियों को उजाड़ने की योजना है। मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं, कि इन झोप-ड़ियों को उजाड़ने के बाद, उनके लिए, आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव व्यवस्था क्या है? और यदि नहीं है तो ये लोग कहां बसेंगे? उस समय तक जब तक आप इम्प्रूवमेन्ट करेंगे और उसके बाद किन कंडीशन्स के आधार पर, कहां और कैसे दी जायगी और जो जमीन उनसे खाली कराई जायगी उनको हटाकर उसका क्या उपयोग होगा? क्या वह जमीन पुनः उन्हें दी जायगी या सार्वजनिक काम के लिए दी जायगी? आपने लिख दिया कि राजस्थान लैंड एक्वीज़ीशन एक्ट की तहत कार्यवाही की जायगी। सेक्शन ७२ की तहत नोटिफिकेशन निकाल दिया वहां गांधी मंदिर बनाने के लिये, स्कूल खोलने के लिये यह धर्मशाला खोलने के लिये गवर्नमेन्ट उसको ऐक्वायर करना चाहती है तो राजस्थान लैंड एक्वजीशन एक्ट की तहत एक्वायर हो सकती है उसके लिये आपने एक्वजीशन किया और उन झोप-ड़ियों से आपने उनको हटा दिया तो उनका क्या करेंगे? क्या जमीन उनको वापीस देंगे और अगर वापीस देंगे तो उस थोड़े से समय के लिये उनको कहां बसायेंगे? और अगर वापिस देंगे तो क्या उनसे कीमत वसूल करेंगे और अगर कीमत वसूल करेंगे तो मैं समझता हूं राज्य सरकार के मन में बेईमानी है जो आज हजारों बीघा जमीन इन झोंपडियों वालों के पास है, सरकार उनको इसलिये डिसपजेस नहीं कर सकती कि उनका उस पर एडवर्स पजेशन होगया है और ६ साल से ज्यादा समय से वे इस पर काबिज़ हैं। आप उनसे यह जमीन छीनेंगे और डवेलपमेन्ट के नाम से पैसा वसूल करेंगे और कहेंगे कि हमने नालियें बनाई हैं, बिजली लगाई है इसलिये तुम डवेलपमेन्ट के नाम से पैसा दो, ऐसी मंशा दिखाई देती है। फतहटीबा, आदर्शनगर में जहां पर रेत के टीबे थे, कोई बसना नहीं चाहता था, शेर आते थे, वहां पर इन शरणार्थियों को जमीन दी वहां पर उन्होंने अच्छे अच्छे मकान बनाये लेकिन आज राज्य सरकार उनसे कहती है कि ६२५ रु० डवेलपमेन्ट चार्जेज दो। आज भी उनको लटका रखा है जो नहीं देता उसको आप पट्टा नहीं देते। मैं समझता हूं कि इसी प्रकार की बात आप इनके साथ भी करना चाहते हैं। थोड़ासा कंपेनसेशन देंगे उसके लिए भी आपने कोई प्रोविजन नहीं रखा। मंत्रीजी की ओर से जवाब आसकता है कि यदि किसी को आपत्ति है और एडवर्स पजे-शन है तो वह सिविल कोर्ट में सूट फायल कर सकता है। आज राजस्थान में एक ओर तो आप लिटीगेशन और मुकद्दमेबाजी को कम करना चाहते हैं और दूसरी ओर आप लिटीगेशन के लिये मजबूर करना चाहते हैं,

Page No.95

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आप चाहते हैं कि लोग अदालतों में जावें और दूसरों के शिकार बनें और पैसे से एक्सप्लोइट हों और आप उनको डिसपजेस करदें, मैं समझता हूं यह बिल्कुल गैर वाजिब चीज़ है।

दूसरी दलील यह है कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड बिल विधान सभा में आने वाला है। मैं समझता हूं उसमें मास्टर प्लान की व्यवस्था है....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा। उसमें मास्टर प्लान की व्यवस्था है। राजस्थान के नगरों को विकसित करने के लिये इस दृष्टि से व्यवस्था है। अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया, उसकी रिपोर्ट पेश हुई और अब वह सदन के सामने आने वाला है। कहां पर किस तरह से विकास होगा यह सारी स्कीम मास्टर प्लान की योजना है इसके लिए जो ट्रस्ट बनेंगे उनके द्वारा योजना को कार्यान्वित किया जायगा। फिर उसी प्रकार के अधिकार दूसरे ट्रस्ट को देने जा रहे है। मैं नहीं समझता इस प्रकार की डुपलीकेसी करने से क्या मतलब है मास्टर प्लान तो इन नगरपालिकाओं के पास होंगे नहीं आखिर उनको एग्ज़ीक्यूट कैसे करेंगे। सारे मास्टर प्लान के आधार पर नागरिक विकास की योजना बनी है उसके खिलाफ नगरपालिकाओं को अधिकार देना और कंपेनसेशन देने का प्रोविज़न नहीं रखना और सिविल कोर्ट में जाने के लिये कहना और मुकदमेंबाजी को प्रोत्साहन देना कहां तक उचित है। आप उनके दंड कमंडल को उठायेंगे और घास फूस को बेच कर १०,२० रूपये उनको दे देंगे और कहेंगे कि इतने में बिका है। आपने उनके लिये दूसरी जमीन का प्रोविज़न नहीं किया, आप उनसे कीमत वसूल नहीं करेंगे उसका प्रोविजन नहीं किया, मैं समझता हूँ इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं निवेदन करूंगा कि या तो आप इस क्लॉज़ को डेफ़र करिये गंभीरता से विचार करने के बाद लाने के लिये या इसको ड्रोप करेंगे, यदि ड्रोप नही कर सके तो डेफर करिये ताकि आपस में बैठ कर ठीक तरह से निर्णय ले सकें। तो प्रोविजन्स में मैंने कुछ सजेशन दिये हैं, मैं समझता हूं उनको इस प्रकार इनकोर्पोरेट किया जासकता है, इसके बारे में सलाह कर लें। अगर इसके बारे में तैयार न हों, जब कि मैं आशा करता हूं कि वे तैयार होंगे, अगर न हो तो मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा जो गरीबों, शिड्यूल्ड कास्टस, बैकवर्ड क्लासेज़ के बारे में बोला करते वे है इस पर्टिक्यूलर क्लॉज़ का घोर विरोध करें।

श्री पी. के. चौधरी: (फुलेरा) माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: मैं जरा स्पष्ट कर दूं। एक मिनिट में स्पष्ट कर देता हू, बाद में बोल लीजिये। मैं अर्ज करूं कि यह तो सिर्फ एक्सेप्सनेबल केसेज के लिये है, उस सूरत में है, जब वेन्टीलेशन का, या सफ़ाई का, या ड्रेनेज़ का प्रबन्ध न हो और उससे शहर में बीमारी फैलने का अंदेशा हो। इसमें साफ़ लिखा हुआ है: "...attended with risk of disease to the inhabitants of the neighbourhood." अगर कोई ऐसी

Page No.96

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

झोपड़ी हो उसकी वजह से ऐसी बात हो, तो वह हटाई जा सकती है। सारी झोपड़ियां हटाने का प्रोविजन नहीं है और न हम चाहते हैं...

श्री दयाकृष्ण विजय: (छबड़ा) मकान का इन्तज़ाम कीजिये।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता: तसल्ली से सुनिये। मैंने आपको सुना है, आप तसल्ली रखिये।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : Why only huts? अगर वेन्टीलेशन खराब है तो दूसरे मकान भी टूटने चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: आप चाहें तो वह रख दीजिये, उन्हें तुड़वा दिया जाय। सुनिये, जरा तसल्ली रखिये।

श्री मदन सिंह: क्या सुनने से तसल्ली होती है १८, ६ वर्ष से तसल्ली है।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनिट और रख लीजिये। हंसी।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता: मैं समझता हूँ कि उस सूरत में है। अब जो कम्पेन्सेशन की बात है, उसके आल्टरनेटिव में चाहे आप ज़मीन की बात रखें, मुझे आपत्ति नहीं है। यह म्युनिसिपेलिटी द्वारा दिया जाना है, यह आप स्टेट गवर्नमेंट को कह रहे हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: म्युनिसिपेलिटी को।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर): कानून हम बना रहे हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता: म्युनिसिपेलिटी कानून नहीं बना रही है, हाउस बना रहा है, हाउस की जिम्मेदारी है। लेकिन हम आपकी बात रोज़ सुनते हैं, मेरी भी सुनिये थोड़ी सी। मैं अर्ज़ कर रहा था कि म्युनिसिपैलिटी को पावर्स दे रहे हैं म्युनिसिपैलिटी निरंकुश नहीं है, वे इलेक्टेड होती है। फिर भी आप चाहें कि डिलिट करना है तो डेफ़र कर दीजिये। आप कम्पेन्सेशन के बजाय आल्टरनेटिव की बात कहें तो मुझे एतराज़ नहीं...

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : डेफ़र करने की बात नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे ख्याल से से जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो...

श्री पी० के० चौधरी : डेफ़र कर रहे हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप इनसिस्ट करते हैं तो डेफ़र करने में मुझे एतराज़ नहीं है। आप चाहें जैसा कर सकते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो क्लॉज़ है, यह, एक्चूअली, मैं समझता हूं, जिस ढंग से इस क्लॉज़ को रखा गया है, इस ढंग से जिस पर्पज़ के लिए रखा गया है, वह सब नहीं होता है। यह स्लम क्लीयरेंस की बात है। माननीय मन्त्री महोदय ने बताया...

Page No.97

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डेफर कर दीजिये।

श्री पी० के० चौधरी : डेफर कर रहे हैं ? डेफर करें तो नहीं बोलूं।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : हाउस चाहता है तो डेफर कर दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कह दिया कि मुझे आपत्ति नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : Should it be deferred ?

(Yes Sir, हां की आवाज।)

देन क्लॉजेज़ १७६ टू १८१, सोरी १६८ टू १८१। प्रश्न यह कि क्लॉजेज़ १६८ से १८१ तक स्वीकार किये जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १६८ से १८१ तक विधेयक के अंग बने।

क्लॉज़ १८२। श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष, महोदय, इसके मेरा अमेंडमेंट है कि सब-क्लॉज़ २ में बी डिलीटेड····

श्री श्रीभानसिंह : कौनसी लिस्ट।

श्री पी० के० चौधरी : फर्स्ट लिस्ट S. No. 100 उपाध्यक्ष महोदय, इसमें प्रोविज़न रखा है, क्लॉज़ २ है :

"(2) The expenses of any work so done shall be paid by the person aforesaid, unless the board shall, by a general or special order or resolution sanction as it is hereby empowered to sanction, the execution of such work at the charge of the municipal fund.'

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें १८२ के सब-क्लॉज़ एक में कहा गया है

"...without first of all giving the person by whom the same would otherwise have to be executed the option of doing the same."

विथ दी नेचरल जस्टिस, तो यह कहा जाता है कि विथ दी पर्सन्स एग्ज़ीक्यूशन के लिए रेस्पोंसिबिलिटी छोड़ दी जाय उस काम को करने के लिए। किस ढंग से काम होना चाहिए, उसको स्पेसिफाई करना चाहिए You should lay down the specifications and standards of work according to which it should be done. स्टेन्डर्ड की सूचना नहीं करते हैं, नोटिस नहीं देते हैं और बाद में म्युनिसिपैलिटी की मशीनरी है उसके ज़रिये आप करायेंगे तो, उपाध्यक्ष महोदय, जो गवर्नमेंट लेवल पर वर्क एग्जीक्यूट होता है और जिस कास्ट पर वह काम प्राइवेट आदमी डाइरेक्टली अपने सुपरवीज़न में कराता है, उससे कास्ट ज्यादा पड़ती है। अब वह वर्क जो म्युनिसिपैलिटी करेगी, उसके लिए under this clause the owner of the premises will have to bear the costs. He will have to pay higher costs than those which he might have to pay if the work was to be got done by him. इसलिए मेरा अमेंडमेंट है कि इसको डिलीट कर दिया जाय, या

(श्री पी० के० चौधरी)

सब-क्लॉज़ १ है, उसमें प्रोवाइड किया जाय कि फर्स्ट नोटिस दिया जायगा that he should execute the work according to the standards laid down by the Municipality.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १८२ है, इसके अन्दर इस प्रकार की बात है कि नागरिक नागरिक के अन्दर आपस में मतभेद हो। एक तो इसमें लिखा है, अगर बोर्ड चाहे तो वह किसी के मकान के लिए कह सकता है कि तुम कराओ, बोर्ड चाहे तो स्वयं भी करवा सकता है, अपनी स्वेच्छा से करवायेगा और कहेगा कि खर्चा है वह तुम दो। यह दोनों झगड़े की बातें हैं। कोई आदमी खुद कराता है, खुद देखता है तो जितना काम ठीक से होता है, तो जो सरकार से होता है और प्राईवेट आदमी करवाता है, उसके अन्दर अन्तर होता है। प्राईवेट आदमी करवाता है, उसमें कम खर्च होता है, बोर्ड के द्वारा सरकार के द्वारा काम होता है उसमें ज्यादा खर्च होता है। बोर्ड स्वयं कहे कि काम हम करवाते हैं, खर्चा तुम दो, फिर खर्चा उसमें होता है उसे बोर्ड तय करेगा कि कितना खर्चा होता है। इसमें दे दिया है कि बोर्ड चाहे तो स्वयं दे सकता है। अब दो आदमियों के मकान में काम करवाना है, एक आदमी ऐसा है, जिसके लिए चेअरमैन पक्षपाती है, वह स्वयं तय करवा देगा कि बोर्ड खर्चा देगा। कोई थोड़ा इस प्रकार का आदमी हुआ तो चेअरमैन के खिलाफ़ पड़ता है तो वह कहेगा कि खर्चा आदमी को देना पड़ेगा। इस प्रकार धारा के बीच पक्षपात की बात आयेगी। इसलिये जिस प्रकार की धारा है, इसका विरोध करता हूं, इसको ऐसा न रखना चाहिये, इसमें संशोधन करके एक बात तय हो कि बोर्ड स्वयं खर्चा लगाये या आदमी से ले। होना यह चाहिये कि बोर्ड ने एक प्लान बना कर दे दिया और कहे कि इसके अनुसार तुम्हें करवाना पड़ेगा, अगर वह आदमी करवा ले तो ठीक है। अगर वह स्वयं बोर्ड आवश्यक समझे तो अपने खर्च से काम करवाये। बोर्ड को एग्जेम्प्शन की पॉवर्स दी गई हैं यह गलत पॉवर्स हैं। इसके लिए सदा के लिए झगड़े पैदा होंगे और स्थान स्थान पर इस प्रकार का पक्षपात का काम होगा। इसलिए मैं इस धारा का विरोध करता हूं।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १८५ की उप क्लॉजेज का आपस में विरोध नहीं पड़ेगा। इसका स्पष्टीकरण कर देते तो....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कौनसी ?

श्री मदनसिंह १८५ के अनुसार, मैं समझता हूं, म्युनिसिपेलिटी इस तरह के अधिकार काम में नहीं ले सकेगी। प्राईवेट प्रोपर्टी के लिए अधिकार थे, जिससे ऐसा कुछ नहीं हो सकेगा।

४ म० प०

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, १७६ में इस बात का प्रोविज़न है कि बोर्ड नोटिस देगा और इसके बाद १८१ में इन्सपेक्शन का प्रोविज़न है। १८२ में यदि बोर्ड ठीक समझता है कि किसी काम को करना ज़रूरी है तो बोर्ड खुद कर देगा। ऐसी सूरत यदि होती है कि दो मकानों के बीच में कामन लेन है, कामन ड्रेन है या

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

कामन लेट्रिन है,इन को दोनों मकान मालिक ठीक नहीं कराते हैं तो ऐसी सूरत में बोर्ड चाहे तो करा सकता है।

तो यह एक छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें डिस्क्रिशन की बात नहीं कि बोर्ड नाजायज़ फायदा उठायेगा। यह किसी इन्डिविजुअल को अधिकार नहीं दे रहे हैं बोर्ड को यह अधिकार दे रहे हैं सेक्रेटरी या चेयरमैन को नहीं दे रहे हैं। कामन लेन या ड्रेन है दोनों आदमी ठीक नहीं करवाते हैं तो बोर्ड यदि चाहें तो खुद बना सकता है।

श्री मदनसिंह : इसमें क्लेरिफिकेशन हो जाय कि कामन होगी तभी बोर्ड बना सकता है, नहीं तो इससे बड़ी गड़बड़ हो सकती है. राजस्थान में कितने पढ़े लिखे हैं जो इस तरह की बातों को समझ सकें। तो इसे और क्लीयर कर दें कि कामन चीज़ पर ही बोर्ड को बनाने का अधिकार होगा वरना बोर्ड को कोई अधिकार नहीं होगा। इस एक्ट में कई जगह ऐसी चीजें दी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बोर्ड को इसमें बाउन्ड कर के रख देना यह ठीक नहीं होगा।

श्री मदनसिंह : तो फिर आपका जवाब भी ठीक नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह सारा चेप्टर इससे डील करता है, बोर्ड को थोड़ा सा डिस्किशनरी पाॅवर देते हैं तो किसी को नुकसान होने वाला है, ऐसी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Shri P. K. Choudhry, whether you want to withdrwa it or not ?

श्री पी० के० चौधरी : I beg leave to withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८२ पर श्री पी० के० चौधरी ने जो संशोधन रखा है, उसे वापिस लेने की आज्ञा दी दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८२ स्वीकार किया जाय।

श्री श्रीमानसिंह :On a point of order Sir, the clause cannot be passed before the House has the quorum.

(गण पूरक घंटी के पश्चात पुनः)

श्री उपाध्यक्ष : Now I put the clause once again to vote.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १८२ पर श्री पी० के० चौधरी ने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि क्लॉज १८२ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज़ १८२ विधेयक का अंग बना ।

क्लॉज़ १८३

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८३ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १८३ विधेयक का अंग बना ।

क्लॉज़ १८४ ।

श्री पी० के० चौधरी ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I don't want to move.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८४ को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १८४ विधेयक का अंग बना ।

क्लॉज़ १८५

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८५ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १८५ विधेयक का अंग बना ।

क्लॉज़ १८६

श्री पी० के० चौधरी ।

श्री पी० के० चौधरी : I don, want to move.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८६ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १८६ विधेयक का अंग बना ।

क्लॉज़ १८७

श्री पी० के० चौधरी ।

श्री पी० के० चौधरी : I don't want to move.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८७ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १८७ विधेयक का अंग बना ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८८ और क्लॉजेज़ १८६ स्वीकार किये जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १८८ और १८६ विधेयक के अंग बने ।

क्लॉज १६०

श्री पी. के. चौधरी ।

श्री पी. के. चौधरी: I don't wantt o move.

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६० स्वीकार किया जाय ।

Page No.101

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६० विधेयक का अंग बना ।

क्लॉज़ १६१ । प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६१ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६१ विधेयक का अंग बना

क्लॉज़ १६२ ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय मेरा अमेंडमेंट तो सिर्फ यह है कि बिल्डिंग्स के साथ मोन्युमेंट्स शब्द और बढ़ा दिये जायें । After the word 'building' where ever occuring, insert 'monument'.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें ज़रा सा मालूम करना है । प्राइवेट प्रोपर्टी पर कोई पोस्टर बिल, प्लेकार्ड्स चिपकाये लिखे या किसी का एडवर्टाइज़मेंट करें तो वह इस क्लॉज़ के प्रावधान के माफ़िक एक म्युनिसिपल ऑफेन्स माना जायगा । लेकिन कोई प्राइवेट पर्सन मेरे मकान पर बिना मेरी इजाज़त के इस प्रकार के प्लेकार्ड्स पोस्टर्स या बिल्स लगा देता है तो इसके लिये प्रोसीक्यूट करेंगे और २० रुपया जुर्माना होगा । यह जो प्राइवेट बिल्डिंग्स के बारे में लिखा है क्या आवश्यक है ? :

"192. Penalty for defacing building etc.--Any person--

(a) who without the consent of the owner or occupier and in the case of municipal property without the permission in writing of the board, affixes any poster, bill, placard or other paper or means of advertisement against or upon any building, wall, board fence or pole, post, lamp-post or the like, or

(b) who without such consent as aforesaid writes upon, soils, defaces or marks any such building, wall, board, fence or pole, post, lamp-post or the like with chalk or paint or in any other way whatsoever,

shall be punished with fine which may extend to twenty rupees."

आज इसमें बड़ी मुसीबत हो जायगी, कौन लिख गया, बिना पर्मिशन के कैसे लिख गया. राइटिंग में नहीं था तो ज़ुबानी ही कह दिया कि पोस्टर चिपका दो इस लिए पोस्टर चिपकाया, विदाउट पर्मिशन कर दिया है तो भी बड़ी गड़बड़ी हो जायगी । म्युनिसिपल प्रोपर्टी. मोन्युमेन्ट्स, पब्लिक प्रोपर्टी के बारे में आप कोई चीज़ ऐसी समझें तो ठीक है, आप थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन कर दें तो ठीक है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: यह तो इसलिए रखा है कि....without the consent of the owner of the house कोई आदमी किसी आदमी की मर्ज़ी से लगा देता है तो ठीक है कोई बात नहीं, पर अगर किसी ने बिना उस की मर्ज़ी के लगा दिया है तो उसके लिए यह रखा है । अगर किसी ने बिना उसकी मर्ज़ी के लगा दिया है तो वह क्या कर सकता

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) .

है, इसलिए यह प्रोविज़न रखा है। कन्सेन्ट लिये बिना ऐसा करता है तो उसको रोकने के लिये मना करने के लिये यह रखा है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह कि ...

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : On a point of clarification Sir...

श्री उपाध्यक्ष: There is no point of clarification please.

श्री मदनसिंह: एक बड़ी मुसीबत आने वाली है, बेचारे स्कूलों के बच्चे नहीं जानते वे लिख देते हैं पोस्टर चिपका देते हैं....

श्री उपाध्यक्ष: Yes. Hon'ble Member please to resume his seat.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६२ पर जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६२ संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६२ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

श्री उपाध्यक्ष: क्लॉज़ १६३,

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: यह मेरा एमेंडमेंट माननीय उपाध्यक्ष, लेंग्वेज को करेक्ट करने के लिये है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १६३ पर श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६३ संशोधित रूप से स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६३ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना।

क्लॉज १६४

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एमेन्डमेंट लेंग्वेज करेक्शन के लिये है, इसको स्वीकार किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पी. के. चौधरी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो एमेन्डमेंट श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६४ संशोधित रूप से स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६४ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

क्लॉज १६५।

श्री पी. के. चौधरी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १६५ स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६५ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज १६६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: इसमें उपाध्यक्ष महोदय, जो एमेन्डमेंट है वह कोई मेटीरियल एमेन्डमेंट नहीं है यह तो लैंग्वेज को करेक्ट करने के लिये है। इसको स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६६ संशोधित रूप से स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६६ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

क्लॉज़ १६७,

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : I will speak on this Sir.

श्री उपाध्यक्ष : This 97 is un-auspicious number. There was an argument on clause 97, and now 197 has come.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें "Obstruction and encroachment upon public streets and open space" इसमें नोटिस का प्रोविज़न कहीं भी नहीं है।

"(1) Whoever in any place after it has become a municipality shall have built or set up, or shall build or set up any wall or fence, rail-post, stall, verandah, platform plinth, step or any projecting structure or thing, or other encroachment or obstruction except steps over drains in any public street, or shall deposit or cause to be placed or deposited any box, bale package or merchandise or any other thing in such street, or in or over or upon any open drain gutter, sewer or aqueduct in such street, shall be punished with fine which may extend to twenty five rupees."

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और इस तरह से फरदर एन्क्रोचमेंट के रिमूवल के बारे में लिखा है कि उनको हटा दिया जावेगा। मगर मैं यह कहूंगा कि आपको उनको इस बात को सिद्ध करने के लिये अपौर्चुनिटी तो देनी चाहिये कि जो एन्क्रोचमेंट किया गया है वह एन्क्रोचमेंट है या नहीं। इसमें आपने कोई भी बात नहीं रखी है कि आया उसको कोई उसके लिये नोटिस दिया जावेगा या उसका सीधा चालान कर दिया जावेगा और उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जावेगा जहां पर उसको अपना सबूत देने के लिये अवसर दिया जावेगा। इस प्रकार के केसेज़ १९७ से कवर नहीं होते हैं। इसलिये जरा आप इस प्रकार का एमेन्डमेंट मूव कर दें "with previous notice of fifteen days" जिससे आदमी को यह बताने का अवसर मिले कि आया यह एन्क्रोचमेंट है या नहीं। क्योंकि यहां पर आपने डेमोलिशन के बारे में यह रखा है। मुझे याद है कि धौलपुर म्युनिसिपैलिटी में भी इस प्रकार का क्लॉज़ था और उसमें ऐसा प्रोविज़न था और उसके ज़रिये उस व्यक्ति को नोटिस देना जरूरी था। मैं यह नहीं कहता कि आप तीन महीनों का नोटिस का समय रखें। आप चाहें तो एक महीने का ही रखें या आप चाहें तो १५ दिन का ही रखें मगर जिस व्यक्ति को आप किसी प्रकार से पनिशमेंट देना चाहते हैं उसको आप इस बात को बताने का तो अवसर दें कि वास्तव में वह एन्क्रोचमेंट है या नहीं। ऐसे कई कैसेज़ हमारे सामने आते हैं और कोर्ट के सामने आते हैं जिसमें लोगों को किसी प्रकार की ऑपोरचुनिटी नहीं दी जाती और डाइरेक्ट ऑर्डर दे दिये जाते हैं। उसके लिये लोग स्टे ऑर्डर लेते हैं। इस लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि नोटिस का प्रोविज़न तो इसमें होना चाहिये जो बहुत जरूरी है।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : आपने समाप्त कर दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं। आप बात चीत कर रहे थे, इसलिए मैंने बन्द कर दिया।

आप नोटिस का प्रोविज़न रख लें। जिससे उस व्यक्ति को यह बताने का अवसर मिलेगा कि जो भी कन्स्ट्रक्शन्स उसने किये हैं वह अपने राइट पर किये हैं। क्योंकि अमुमन ऐसा होता है कि कोई किसी के मकान को तुड़ाना चाहता है तो इससे वह तुड़वा सकेगा और ऐसी मिसालें हमारे सामने आई हैं। इस प्रकार जयपुर की मिसाल भी हमारे सामने आई कि अमुक आदमी के मकान को कोई तुड़वाना चाहता था क्योंकि उसमें जो किरायेदार रहते थे वे उस मकान को खाली नहीं कर रहे थे। चूंकि इस प्रकार के नोटिस का प्रावधान नहीं था कि १५ दिन की अवधि दी जाए। नोटिस निकाला और हरिज़न भाई जो उस दिन हड़ताल पर थे फिर भी हड़ताल के बावजूद भी उसके घर पर पहुँच गये और उसका सारा घर तोड़ दिया और उस मकान को डेमोलिश कर दिया। इस बात को माननीय मंत्री महोदय खुद भी जानते हैं। इसलिये इस प्रकार की कार्यवाही न हो इसके लिये पहले नोटिस उसको मिलना चाहिये। अगर आप इस प्रकार नहीं करना चाहते है तो आप मुझे किसी प्रकार से सेटिसफाई कर दें कि दूसरा क्या रास्ता है। किसी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

भी व्यक्ति को पनिशमेंट देने से पहले उसको अपना सुबूत देने के लिये अवसर तो दिया जाए। इस प्रकार की कोई व्यवस्था हो तो माननीय मंत्री महोदय मुझे बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, दरअसल में माननीय सदस्य ने बताया कि जयपुर का केस आया। ओनर को नोटिस दिया था। मगर म्युनिसिपल लैन्ड पर अगर कोई एन्क्रोचमेंट करता है तो उसके लिये क्या करना चाहिये। अगर कोई अपनी ज़मीन पर कोई दीवार खड़ी करता है तो किसी को भी किसी तरह का एतराज़ नहीं है। मगर कोई व्यक्ति सरकारी ज़मीन पर कोई दीवार खड़ी करता है या स्टाल रख देता है और उसको अगर १५ दिन का नोटिस दिया जावेगा तो उसका मतलब यह होगा कि होगा कि १५ दिन तक तो वह स्टाल वहां पर ही रहेगा और उसको उस स्टाल को वहां पर रखा रहने का हक होगा। या किसी ने दीवार बना ली है तो वह दीवार जो अधूरी बनी हुई है १५ दिन में पूरी बना लेगा और १५ दिन में तो वह मकान खड़ा करा सकता है। यह दलील जो दी जा रही है इसके लिये मैं भी अनुभव करता हूं...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप उसको गिरवा सकते हैं। अगर आप १५ दिन का समय नहीं रखना चाहते नोटिस के लिये तो आप एक सप्ताह का रखिये। keep one week. । जैसा आप जानते हैं कि सांगानेरी गेट पर हुआ वैसा न हो। आप दो दिन का रख सकते हैं आप तीन दिन का समय रख सकते हैं। ७ दिन का रखिये, you keep three days, two days, I don't mind it, but there should be some sort of notice.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, the Hon'ble Minister has grasped the idea.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं इस डिफिकल्टी को जानता हूं। नोटिस का समय जरूर होना चाहिये। मैं खुद इसको महसूस करता था लेकिन म्युनिसिपल लैन्ड पर जिस समय एन्क्रोचमेंट होता है और कोई कर लेता है तो उसके बाद ही कार्यवाही शुरू होती है इस बात को तो आप रियलाइज़ करते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट की लैन्ड पर एन्क्रोचमेंट करता है तो मैं समझता हूं कि उसमें नोटिस की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। अगर कोई बाज़ार में या पब्लिक स्ट्रीट्स में बाधा पैदा करता है तो....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप उसको कोर्ट के फैसले के बाद अगर फैसला उसके खिलाफ होता है तो उसको डिमोलिश करा सकते हैं। आपने २० रुपये सब क्लॉज २ में रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : Order, order please.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोर्ट की कार्यवाही में तो ६ महीने लग सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : That means the suggestion is not acceptable.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आराम से बिल को पास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि यहां पर किसी तरह की सुनवाई

Page No.106

(श्री मदनसिंह)

नहीं होती है ।

We are not satisfied with the explanation.

हम इस उत्तर से सेटिसफाइड नहीं हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं माननीय उपाध्यक्ष, से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने क्लॉजेज़ हमको आज पारित करने हैं वे पूरे पारित हो जावेंगे । मैं इसका आपको विश्वास दिलाता हूं और हम पूरा सहयोग देंगे । इसके लिये हम गवर्नमेंट होस्टल में जाते हैं, मिनिस्टर के साथ बैठ कर सारे प्रोविज़नों को देखते हैं कि क्या क्या इनकोरपोरेट किया जावे । हमें तो कभी इस प्रकार की आशा नहीं थी कि हम इस प्रकार क्लॉजेज़ पास करते हुए यहां तक पहुँच जायेंगे । हम 'चेयर' के साथ पूरा कोऑपरेट करने के लिये तैयार हैं आज जितने भी प्रोविज़न पास करने हैं उतने हम पास करके ही उठेंगे । इसके साथ साथ कम से कम जो ऐसी बातें हों जो फार्मल अमेन्डमेंट न होने के बाद भी मन्जूर करने लायक हैं उनको मन्जूर किया जाना चाहिये माननीय मंत्री महोदय के समझने में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो वे तो दोनों के लिये होता है We shall not be able to do full justice with the Bill. आज हमें २१० क्लॉज़ तक पास कर लेना चाहिये । सिर्फ १३ क्लॉजेज़ हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम यह पास करके ही उठेंगे हम किसी प्रकार से भी इन क्लॉजेज़ ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : I will not object if the Hon'ble Minister wants to clarify the position more.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इसमें केवल यह रख दीजिये कोर्ट का डिसीज़न होने तक वह फरदर किसी प्रकार का कन्स्ट्रक्शन नहीं करेगा । आप इन्जेक्शन इश्यू कर दें कि जब तक कोर्ट का डिसीज़न न हो जाय आप किसी प्रकार का कन्स्ट्रक्शन नहीं कर सकेंगे । डिमोलिशन का जहां तक ताल्लुक है बिना कोर्ट के डिसीज़न के नहीं होना चाहिये । यह रिज़नेबल बात है आप इसे स्वीकार कर लें ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा था लेकिन इस बारे में कोई रास्ता निकाल नहीं सका । नोटिस देने का तो मतलब यह होगा कि हम उसको लिगेलाइज़ करते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सारे झगड़े डिमोलिशन में होते हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्लॉज़ १६७ को डेफ़र कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ १६७ डेफर की जाती है । Now we come to clauses 198 to 206.

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ १६८ से २०६ तक स्वीकार की जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १६८ से २०६ तक विधेयक के अंग बने ।

क्लॉज़ २०७

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है—omit the words and figures 'except in accordance with the provisions of section 206.'

यह बहुत छोटा सा अमेन्डमेन्ट है इसको स्वीकार कर लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २०७ पर जो अमेन्डमेन्ट श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ २०७ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २०७ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना।

क्लॉज़ २०८

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मेरा अमेन्डमेन्ट सर्कुलेट किया गया है उसमें एक सब-क्लॉज़ का मेन्शन नहीं है My amendment was for sub-clauses (2), (3), (4) and (5), whereas in the amendments circulated Nos. (3), (4) and (5) have been recorded but (2) has been omitted. So it should be sub-clauses (2) to (5).

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो क्लॉज़ है इसमें पनीशमेंट के लिये इस प्रकार कहा गया है "208. Punishment of customary sweepers for negligence—(1) Should a sweeper who has a customary right to do the scavenging of a house or building (herein after called the customary sweeper) fails to perform such house scavenging in a proper way and at reasonable intervals, the occupier of the house or building may complain to the executive officer, or where no such officer has been appointed, to the Secretary of the board.

(2) Such executive officer or secretary, as the case may be, shall, on receiving such complaint, hold an enquiry and, should it appear, to him that the customary sweeper has failed to perform the scavenging of the house in a proper way or at reasonable intervals, he may impose upon such sweeper a penalty which may extend to twenty five rupees.

(3) Every order passed under sub-section (2) shall be subject to an appeal to the board within fifteen days of the date thereof.

(4) On a subsequent complaint against the same customary sweeper after a penalty has been imposed upon him under sub-section (2) a report shall be made to the magistrate who, after inquiry, may punish such sweeper with a fine which may extend to fifty rupees and may also order the forfeiture of the sweepers' customary right; and the board may then appoint a suitable sweeper in his place.

Page No.108

(श्री पी० के० चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कस्टमर स्वीपर है वह म्युनिसिपैलिटी का मुलाज़िम नहीं है वह इन्डीपेन्डेन्ट कार्य करता है it is trade for him जैसे आज कोई बिज़ीनेस मैन है वह व्यापार करने से इन्कार कर देता है उसके लिये इस प्रकार का प्रोविज़न नहीं है उसको कोर्ट में लाया जाय या उस पर किसी प्रकार का फाइन किया जाय । आज जैसे फूड ग्रेन्स के डीलर्स ने सारा अनाज बाज़ार से डिसएपीअर कर दिया उस पर भी सरकार ने उनको जेल की सज़ा या उन पर पेनेल्टी इम्पोज़ नहीं की । यह फन्डामेन्टल राइट्स है फोर दी इन्डिविजुअल.... "There is a direct contract between himself and the municipality... फंडामेन्टल राइट्स में यह जो अंकुश डाला जाता है वह उचित नहीं है । मेरी मर्जी है मैं कोई काम करूं या न करूं । मेरा कोई कोन्ट्रेक्ट तो म्युनिसिपैलिटी के साथ में है नहीं, देअर इज़ नोट कोन्ट्रेक्ट बिटविन म्युनिसिपैल्टी । मैं कोई उनके सर्विस रूल्स के अन्तर्गत नहीं आता । इस तरह से जो कस्टमर स्वीपर है वह इन्डीपैन्डेन्ट है Just like any other artisan. कारपेन्टर, सुनार, धोबी आदि जो लेबरर है उसी तरह से वह है, जैसे आप इन लोगों पर कोई दबाव नहीं डाल सकते कि यह काम तुम्हें करना ही होगा उसी प्रकार वह भी स्वतन्त्र है । इसलिये कस्टमर स्वीपर पर किसी तरह की पेनेल्टी इम्पोज़ करना मैं समझता हूँ यह रिट्रोगेट स्टेप है । आज हम हरिजनों के लिए इतनी हमदर्दी बताते हैं लेकिन बिल में यह देख रहे हैं There is an imposition on them. वे रिफ्यूज कर दें अगर वे काम करना नहीं चाहते तो उसमें गवर्नमेन्ट को इन्टरवीन करने की क्या जरूरत आती है । गवर्नमेन्ट को जहां इन्टरवेन्शन की जरूरत है उसमें २०८ में प्रोविज़न है :

"Should a sweeper who has a customary right to do the scavenging of a house or building (hereinafter called the customary sweeper) fails to perform such house scavenging in a proper way and at reasonable intervals, the occupier of the house or building may complain to the executive officer or, where no such officer has been appointed, to the Secretary of the Board."

यानि आज किसी के मकान पर कोई कस्टमर स्वीपर जाकर काम नहीं करता है तो उस क्लॉज में जैसा कि मैंने अमेन्डमेन्ट रखा है सब–क्लॉज़ बन रह जाता है ओनर ऑफ दी हाउस है वह म्युनिसिपैलिटी को नोटिस दे सकता है । और सेक्शन २०४ के अन्तर्गत म्युनिसिपैलिटी उस मकान का स्केवेन्जिंग वर्क ले सकती हैं । There is other provision in this clause also. मकान ओनर से उसके चार्जेज़ म्युनिसिपेल बोर्ड रिकवर कर सकता है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो अमेन्डमेन्ट है वह क्लॉज २, ३, ४, और ५ को डिलीट करने का है ।

श्री उपाध्यक्ष : Amendment on this clause so far as sub-clause (2) is concerned, it is disallowed.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Why Sir ?

श्री उपाध्यक्ष : Because if you omit from sub-clause (2), the words "hold an enquiry... twenty five rupees" then it does not mean anything.

श्री पी. के. चौधरी : No Sir, my amendment is that whole sub-clause may be deleted.

श्री उपाध्यक्ष : No according to you the words "hold an enquiry . . . twenty five rupees" be deleted. So under these circumstances, it makes the meaning all the more confusing.

श्री पी. के. चौधरी : No Sir, my intention is that the whole sub-clause be deleted.

श्री उपाध्यक्ष : But I am to be guided by the actual wording of your amendment. So it is disallowed. You will confine yourself to (3), (4) and (5).

श्री पी. के. चौधरी : No Sir, then (3), (4) and (5) will have no meaning. Then I will oppose the whole section.

श्री उपाध्यक्ष : It is for you.

श्री पी॰ के॰ चौधरी : Then I oppose the whole clause if my amendment to sub-clause (2) is not adopted. I oppose the whole clause.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Can we go back after you have moved your amendment? श्री में अपील है इसकी । चार पांच में सब्सीक्वेन्ट ।

श्री पी॰ के॰ चौधरी : I have moed my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : You have moved but you cannot go back...

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): But the Hon'ble Member cannot be prevented from moing an amendment and also opposing the whole clause. The Chair has disallowed the amendment and it is open for the Hon'ble Member then to speak on the clause.

श्री पी॰ के॰ चौधरी : The Chair did not disallow it in the beginning when I stated it that my amendment was for sub-clause (2) which was not there in the list circulated.

श्री उपाध्यक्ष : But I was also in a fix. I was to ascertain how much had been left behind.

श्री पी॰ के॰ चौधरी : Then if I am opposing the whole clause....

श्री उपाध्यक्ष : Alright, I relax it,

श्री पी॰ के॰ चौधरी : So I oppose the entire clause. उपाध्यक्ष महोदय. इस क्लॉज़ को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे It is an encroachment on the fundamental right of the man and it is a penal clause for the customary sweepers. Customary sweeper is nobody's servant. He is neither a Municipal servant nor a Government servant.

(श्री पी० के० चौधरी)

आज इस देश में कोई ऐसा कानून नहीं है। It is not a Communist country आज कम्यूनिस्ट कन्ट्री को हम इस बात के लिये कन्डम करते हैं कि किसी सिटीजन को कोई काम करने के लिये कहा जाय और वह इन्कार कर दे तो उसे कन्सेन्ट्रेशन कैम्प में भेजते हैं। आज चीन में ऐसा है कि जो कम्यून में जोइन नहीं होना चाहता है उनके साथ ज़बर्दस्ती की जाती है। Children and parents, they are separated. तो इसको कन्डम करता हूं। आज उपाध्यक्ष महोदय, हम इस तरीके को कन्डम करते हैं कि against the wishes of the people, they are trying to impose their own form of Government there पर इस तरह के कानून से हम उनके इस फन्डामेन्टल राइट को एन्क्रोचमेंट कर रहे हैं। We are encroaching on their fundamental rights. एक तरफ हम 'दूसरे देशों की इस तरह की चीज़ों को कन्डेम करते हैं और दूसरी तरफ़ खुद अपना उसी तरह का बिहेवियर रखते हैं, उनको चेन्ज नहीं करते हैं। If a sweeper does not want to sweep the House and the road, you have got no right to penalise him and dragging him before the court. तो यह जो है उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं सीरियस क्वेश्चन है। और जब हम हरिजन उद्धार की बात करते हैं और फिर कहते हैं कि कम्पलसरीली उनको वही काम करते रहना है। तो यह आपका रास्ता मेरी समझ में नहीं आता। आप कहते हैं। They must stick to it. Why this imposition on them that they must stick to this job? और ऐसा मैं कहता हूं कि और भी कई इन्स्टान्सेज बताई जावे जहां पर किसी इन्डिविजुअल को जो अपना इन्डिपेन्डेन्ट बिजनैस करता है, किसी आर्टिजन को, किसी ट्रेड्समैन को, लेबरर को उसकी विशेज़ के खिलाफ़ काम करने को कहा गया हो। ज्यादा से ज्यादा आप यह कर सकते हैं कि जिसने जिस मकान से एक बार काम छोड़ दिया उसको दुबारा उस मकान में काम पर मत लगाइये। ब्लैक लिस्ट कर दीजिये। पर यह कहां का जस्टिस है कि आप उसे कोर्ट में ले जावेंगे।

श्री मदनसिंह : जो गरीब नाई हैं, उनको जबर्दस्ती कोर्ट में लेजाकर हरिजनों की हजामत उनसे बनवाई जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : यहां नाइयों को कोर्ट में ले जाने का प्रश्न नहीं है।

श्री मदनसिंह : ऐसा हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : order, order please.

श्री पी० के० चौधरी : इस क्लॉज़ को मैं रिट्रोगेट करता हूं। इसको जल्दी से पास न करावें। मन्त्री महोदय, इसको डेफ़र कर दें कि हरिजन जो मेम्बर हैं उनकी संख्या भी हाउस में आज काफी कम है। काफी हरिजन मेम्बर गैर हाजिर हैं उनकी एब्सेन्स में ऐसी क्लॉज़ को पास करना जो उनके फन्डामेन्टल राइट पर कुठाराघात करता है, सही नहीं होगा। उन सबकी राय भी इस पर कम से कम आप पहले ले लें तो अच्छा है। Please find it out how do they feel about it. इसके बाद पास करिये। इसलिये कहता हूं कि इसको इस समय डेफ़र कर दीजिये। Consult your

(श्री पी० के० चौधरी)

Harijan members whether they agree to it. और इसके बाद में पास करिये ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी जो २०८ पर ऑब्जेक्शन किया गया है इसका विरोध करता हूं। २०८ वां क्लॉज़ ठीक है और पब्लिक इन्टरेस्ट में है । आज जिस व्यक्ति का पेड हरिजन है, पैसा देता है उनको प्राइवेटली वहां जाकर वह सफ़ाई करता है तो पैसा लेकर अगर सफ़ाई नहीं करता है तो ....

श्री पी. के. चौधरी : Look at 204.

श्री मदनसिंह : यहां पब्लिक इन्टरेस्ट का सवाल है। अगर वह इन्कार कर दे तो फिर क्या करे वह । इसलिए अगर उसको अदालत में ले जाने का डर रहेगा तो वह इस तरह इन्कार नहीं कर सकेगा। आज हरिजन उद्धार का नाम लेकर आप उन नागरिकों को आर्थिक हानि भी करना चाहते हैं, उनका पैसा लेकर भी काम नहीं करने की बातें करते हैं। तो यह तो खाली एक प्रोपेगन्डा है और इससे आप हरिजनों को खुश करना चाहते हैं। नहीं तो कई ऐसे ऐसे कानून भी बने हैं जो इससे भी बुरे हैं वहां तो आप कुछ नहीं बोले और यहां इतना कह रहे हैं। अगर यह नहीं हुआ तो आज शहरों में और गांवों में बहुत अधिक गन्दगी फैलेगी ।

हमारे यहां कई ऐसे कस्टम थे जो ठीक नहीं थे उनको अलग किया है समझदार लोगों ने । हरिजनों को मन्दिर में जाने की बात मानी है । ब्राह्मणों ने सरेन्डर किया है । वहां कुछ न कुछ ऐसा कानून रहना चाहिये नहीं बगैर वजह पैसा लेकर भी काम नहीं करेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, नाई हजामत बनाते हैं और अपना प्राईवेट काम करते हैं, कोई हजामत नही बनाते, दूसरा ही काम करते हैं, पर जबरन उनको कोर्ट में लाकर हरिजनों की हजामत बनवाई जाती है । यह कौनसा कानून है ।

श्री उपाध्यक्ष : Please speak to the question.

श्री मदनसिंह : मैं उदाहरण के लिए कहता हूं। तो मेरा यह कहना है कि पब्लिक इन्टरेस्ट में यह चीज लाभप्रद होगी । अब इसमे यह कहां लिखा है कि नौकरी न छोड़ो । छोड़ सकता है। वह कहीं की सफ़ाई नहीं करना चाहता तो नौकरी न करें। पर जिस व्यक्ति ने पैसा दिया है उसका काम अगर नहीं करें तो इसके लिए म्युनिसिपैलिटी रेस्पोन्सिबिल है फिर ऐसा होना चाहिये कि प्राईवेट मकान हैं वहां पर भी म्युनिसिपैलिटी वाले साफ़ करें। वी आर पेइंग टू देम । हम टैक्स देते हैं, पेमेन्ट भी करते हैं, दोनों चीजें करते हुए भी....

श्री श्रीभानसिंह:Clean your house yourself.

श्री मदनसिंह : यह तो ऊंचे दिमाग और ऊंचे सिद्धान्तों की बातें करते हैं। जहां घर की बात आजावेगी वहां सब भूल जावेंगे। मैं समझता हूं कि यह तो पुरानी आदतें नेताओं की पड़ी हुई हैं इसलिये बोलते हैं कि हरिजन भाई काम नहीं करेंगे ।

(श्री मदनसिंह)

म्युनिसिपेलिटी में जब वे सफाई का काम कर सकते हैं तो जहां प्राईवेट एरिया में भी जहां कि उनको पैसा दिया जाता है काम कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह प्रोविज़न ठीक है और इस धारा को रहना चाहिये। अन्यथा गांव और शहर सड़ जावेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर नगर) : यह जो धाराओं का विरोध किया गया है उसको मैं भी ठीक नहीं मानता। यह धारा रहनी चाहिये इसका मैं भी समर्थन करता हूं। हमारे यहां की वस्तु स्थिति ऐसी है जिस पर कहना चाहता हूं कि सही माने में देखा जावे तो राजस्थान में कई ऐसे स्थान हैं जहां इस प्रकार के कस्टमरी स्वीपर काम करते हैं। जैसे बीकानेर में हज़ार में से पांच सौ करीब ऐसे होंगे जो मोहल्लों या घरों में जाकर या उनके आसपास सफ़ाई का काम करते हैं और मोहल्ले वाले कोई दो रुपया महीना कोई कम कोई अधिक देते हैं उनको इस तरह एक आदमी की करीब २५, ३० रुपया मासिक आमदनी इसमे हो जाती है। उनका उन्होंने एक संगठन भी बना लिया है और वहां कानून भी बना है उनको हटा नहीं सकते। बीकानेर का कानून देखा जावे तो उनको हटा नहीं सकते। ऐसी स्थिति में होता क्या है, वे लोग निश्चिन्त हो गये हैं और चूंकि उनका संगठन भी है इसलिये कभी कभी आठ आठ दिन और कभी कई दिन काम पर नहीं आते और इससे लोग बड़े परेशान हैं। अब काम के लिए दूसरों को बुलाते हैं तो उनका वह संगठन दूसरों को वहां नहीं आने देता, लड़ाई झगड़े पर आमादा रहता है। तो यह जो वस्तु स्थिति है इससे बहुत लोग परेशान हैं। अगर इसके लिए ऐसा अधिकार रहता है तो इस तरह के सिलसिले में कुछ अन्तर आवेगा और इस तरह से नाहक में जनता को वे हैरान नहीं कर सकेंगे मैं मानता हूं जुर्माना ज्यादा रखा है। पांच रुपया और दस रुपया भी रख दें तो चल सकेगा। इस प्रकार का अंकुश अगर रहता है तो इस स्थिति में सुधार हो सकता है। तो इस दृष्टिकोण से जो क्लॉजेज हैं वे वैसी की वैसी ही रहनी चाहिये।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य फुलेरा से आने वाले ने जो विरोध किया है इसके विरोध में मैं अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय आज प्रजातंत्र है। मैं समझता हूँ कि कोई भी यह कहने के लिए तैयार नहीं होगा कि किसी भी व्यक्ति को या सर्व साधारण को स्वतंत्रता नहीं दी जाये। किन्तु जहां यह क्लॉज़ २०८ का प्रश्न आता है वहां यदि हम सोचें तो उपाध्यक्ष महोदय, यहां जहां एक तरफ़ हम हरिज़नों को थोड़ी आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता दे रहे हैं। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इसका विरोध किया है और हरिज़नों के प्रति सहानुभूति बताई है वहां दूसरी तरफ़ आम जनता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। यह ठीक है कि हम किसी को मज़बूर नहीं कर सकते लेकिन जब वह अपने धन्धे को कराता है और एक व्यक्ति विशेष के लिए या किसी एक घर विशेष या कुटुम्ब विशेष के लिए इन्कारी करता है छोटी मोटी लड़ाई के कारण से या दूसरे कारणों से तो वह उस लड़ाई को दूसरी तरह से भी रफ़ा कर सकता है लेकिन वह उस धन्धे को नहीं करे और

(श्री शिवचरणदास)

दूसरी जगह उस धन्धे को करता रहे तो मैं समझता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, कि यह तो बहुत अनुचित होगा। हां, वह इस तरह से तो मना कर सकता है कि वह उस धन्धे को ही करना छोड़ दे। और फिर धन्धे को छोड़ने के बाद में कोई भी सरकार या कोई भी शक्ति इस बात पर उसको मज़बूर नहीं कर सकती कि उससे स्वीपर का काम लिया जाये। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, वह स्वीपर का काम दूसरी जगह करता है और लेनदेन में कोई झगड़ा नहीं है और खांमखां झगड़ा करके किसी को परेशान करना चाहता है उस मुहल्ले में गन्दगी फैलना चाहता है तो यह कोई न्यायसंगत विचारधारा नहीं होगी कि हम उसको यह आजादी दें, उसको उच्छश्रृंखल विचारधारा में डालें कि वह मर्ज़ी आये जिसका काम करे और मर्ज़ी आये जिसका काम नहीं करे। अभी दांता से आये हुए माननीय सदस्य ने एक नज़ीर सदन के सामने रखी। बराबर एक नाई अपने धन्धे को करता है ····

श्री उपाध्यक्ष : मैंने उस नज़ीर के संबंध में अपनी व्यवस्था दे दी थी, इसलिए इसको फिर न कहा जाये।

श्री मदनसिंह (दातां रामगढ़) : आपने तो व्यवस्था दे दी लेकिन मिसाल तो दी ही जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन इस सम्बन्ध में नहीं।

श्री मदनसिंह : जो मिसाल देने की है वह तो, उपाध्यक्ष महोदय, दी ही जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, जिस संबंध में मैंने अपनी व्यवस्था दी है उसका हाउस सदा आदर करेगा।

श्री शिवचरणदास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि चेयर ने एक व्यवस्था दे दी है लेकिन इसमें संबंधित जो व्यक्ति पेशा करते हैं तो पेशा उस हालत में हम मज़बूर कर सकते हैं। मुझे एक किस्सा अपने यहां का याद है। एक रेगरों का किस्सा चला और एक दुकानदार ने रेगरों को सामान देना बंद कर दिया। उसके ऊपर सरकार की तरफ़ से व्यवस्था दी गई थी कि क्योंकि तुम दुकान चलाते हो तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए इन्कार नहीं कर सकते और या तो वह दुकानदारी बन्द कर दे नहीं तो वह किसी व्यक्ति विशेष के लिए इन्कारी नहीं कर सकता। जैसे मिठाई की दुकान वाला कन्दोई बैठा रहता है तो वहां जाकर भी सरकार की तरफ़ से और दूसरी पार्टियों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है कि वह किसी को मना न करे। तो एक तरफ जहां हम इस बात के लिए व्यवस्था करते है...

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह नाई और कन्दोई में क्या फर्क है? आपने उसकी तो व्यवस्था दे दी और इसके बारे में कुछ नहीं कहा

श्री उपाध्यक्ष : मैंने थोड़ी सी रियायत बरती तो चेयर पर आपत्ति की जाती है यह उचित नहीं है।

श्री शिवचरणदास : तो उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

हरिजनों के लिए कि यदि वह अपने

Page No.114

(श्री शिवचरणदास)

धंधे की दूसरी जगह भी करते हैं और एक घर में काम करते आ रहे हैं और लेनदेन में कोई रुकावट नहीं होती है तो उसके लिए यह व्यवस्था देनी होगी कि वह उससे इन्कारी नहीं कर सकता। इसलिए मैं समझता हूं कि जो फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इसमें आपत्ति उठाई है वह उचित नहीं है और जो धारा २०८ है वह पारित हो जानी चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, दफा २०८ में जो प्रोविजन रखा गया गया है वह सिर्फ उन स्वीपर्स के लिए है जिनका कि कस्टेमरी राइट है। उसमें साफ लिखा है: "Should a sweeper who has a inacustomary right to do the scavenging of a house or building fails to per form such house scavenging in proper way……" और जो इसका क्लॉज २०४ है उसमें बोर्ड को आख्तियार दिया गया है कि उसमें भी कस्टमरी राइट को माना गया है। उसके सब-क्लाज़ वन में है:

(1) Sudject to the provisions hereind after contined withrespect to the rights of customary sweepers, the board may at any time undertake the house scavenging of any house……"

इन दोनों क्लॉज़ को पढ़ने से मालूम होगा कि बोर्ड को किसी मकान की सफाई करने का कार्य अपने स्टाफ से कराने का अधिकार जब ही है कि जब कि कस्टमरी स्वीपर उस काम को छोड़ देता है। और दफ़ा २०८ का प्रोविज़न उन्हीं के लिए है जो कि अपना कस्टमरी राइट क्लेम करते है अगर कोई स्वीपर कहे कि मेरा कस्टमरी राइट नहीं है और बोर्ड इन्तज़ाम ले ले तो १०८ एप्लाई नहीं होगा और उस समय में जुर्माना होना या किसी प्रकार की और सज़ा मिलने का सवाल पैदा नहीं लेकिन यदि कोई स्वीपर होगा। कस्टेमरी राइट को तो क्लेम करता है लेकिन सफाई नहीं करता तो क्या करें? मैं खुद महसूस करता हूं कि मेहतरों को ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन वह तो खुद ही कहते हैं कि मेरा राइट है। अगर वह अपने राइट को पत्र परफार्म नहीं करे तो यह क्लॉज़ जैसा है उसको रखना ही पड़ेगा और इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि किसी भी मकान का स्वीपर पांच सात रोज के लिए छोड़कर चला जाये तो वह दूसरे को भी तो नहीं आने देता है। वह कहता है कि मेरा राइट है। अगर फिर भी नहीं आये तो जैसी हमारी परिस्थितियां हैं उसमें बड़ा मुश्किल होजाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि जैसा यह क्लॉज़ है उसको बहुत सोच समझकर रखा गया है और इस तरह का प्रोविजन यू० पी० के एक्ट में भी है। मैं समझता हूं कि एक बार उसको मौका मिलना चाहिए। बोर्ड को उसकी शिकायत होती तो मालिक से पैसे भी दिला देते अगर ड्यूज़ होते तो। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपने संशोधनों को वापिस लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: अमेन्डमेन्ट्स तो हैं ही नहीं।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २०८ और २०६ स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २०८ व २०६ विधेयक के अंग बने।

क्लॉज़ २१०

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता: मेरा अमेंडमेंट तो सिर्फ मोडीफ़ाई के पीछे 'एनी' लगा दिया जाये प्रोवीइज़ो के अन्दर है। यह लेंग्वेज़ के करेक्शन के लिए अमेंडमेंट है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशोधन २१० में श्री बद्रीप्रसादजी गुप्ता ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

(संशोधन स्वीकार किया गया)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१० संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २१० संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

क्लॉज़ २११

श्री मदनसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, आज तो २१० तक ही लेने को था।

श्री उपाध्यक्ष: There is no amendment on 211

श्री मदनसिंह: हमने पढ़ा ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: We now adjourn to meet tomorrow at 11 A.M.

(तदन्तर सदन की कार्यवाही ४ बजकर ५० मिनट पर मंगलवार दिनांक ७ अप्रेल, १६५६ के ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार ६ अप्रैल, १६५६)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर		कोटा डिविज़न में खनिज संरक्षण ।	
टैक्सटाइल मर्चेन्ट्स कमेटी बीकानेर के सभापति का स्मृतिपत्र ।		तहसील कोलायत के तहसीलदार ।	
ग्राम कोटडा तहसील बड़ोद में अग्निकांड ।		कोटा रबर फैक्टरी को कर्ज़ा ।	
जसवन्त कॉलेज जोधपुर के वर्तमान प्रिन्सिपल ।		जागीर कर्मचारियों का बकाया वेतन ।	
इमिटेशन गोटे पर बिक्री कर ।		ग्राम बभेड़ा, तहसील अजमेर के हरिजन काश्तकारों के नाम खसरा टीप ।	
गवर्नमेंट इन्टर कॉलेज, दौसा ।			
गांव कतरियासर तहसील बीकानेर का नकशा ।		प्राइमरी स्कूल जोबनेर में अपर्याप्त भवन ।	
जागीरदारों, मुआफीदारों इत्यादि से हकदारी सर्टिफिकेट ।		ग्राम गजनीपुरा तहसील देसूरी के किसानों का म्यूटेशन ।	
हनुमानगढ़ स्टेशन के पास जागीरदारों को आबाद करने हेतु ज़मीन ।		मांडारेंज मिडिल स्कूल का हायर सेकण्डरी स्कूल में परिवर्तन ।	
लैण्ड-रेवेन्यू की बकाया रकम पर ब्याज ।		ग्राम पटेलों तथा ग्राम बलाइयों की रसूम ।	
भीलवाड़े में अभ्रक ।		पान पापड़ी का नीलाम ।	
तहसील जसवन्तपुरा में ज़मीन का अलॉटमेंट ।		विकास खण्ड वाली द्वारा बनवाये गये होज व नलों से हरिजनों को पानी भरने में कठिनाई ।	
तहसील कोटपुतली में सड़क से दबी भूमि के लगान की वसूली ।		एस.डी.ओ. जयपुर का रिक्त स्थान ।	

Page No.117

अध्यापकों का फिक्सेशन।

बाली सब-डिविज़न में कुंवे खुदवाने व बैल इत्यादि खरीद के लिये तकावी।

स्थगन प्रस्ताव

(१) कतिपयराजकीय विभागों द्वारा ३१ मार्च, १६५६ के पूर्व बिना सामान की प्राप्ति के उसकी कीमत काभुगतान किये जाने से सम्बन्धित श्री भैरोंसिंह (१४) के स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई। इस विषय पर सरकार की ओर से कल दिनांक, ७ अप्रेल, १६५६ को एक वक्तव्य दिया जायगा।

(२) राजस्थान औद्योगिक न्यायाधिकरण को उच्च न्यायालय द्वारा शक्ति अतीत (Ultra Vires) करार दिये जाने आदि से सम्बन्धित श्री पी.के. चौधरी एवं मोहरसिंह के स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई।

विधायी कार्य
विचारार्थ लिया गया विधेयक
राजस्थान नगरपालिका विधेयक. १६५७

उपरोक्त विधेयक पर आज भी खंडशः विचार जारी रहा।

खण्ड ६७,६८,१०१,१०८,१०६, ११३,१२१,१२३, १५४, १५५, १५६, १६४, १६२, १६३, १६४,१६६,२०७ एवं२१० संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

खण्ड ६६, १०२, १०३, १०४, १०५,१०६, १०७,११० १११, ११२, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११६, १२०, १२२, १२४, से १३२, १३४, १३५, से १५३, १५६, से १५८, १६०, से १६२, १६५, १६६, १६८, से १६१, १६५, १६८, से २०६, २०८, एवं २०६ बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए।

खण्ड १००, १३३, १६७ एवं १६७, स्थगित किये गये।

खण्ड १६३ विलोपित किया गया।

मंगलवार, ७ अप्रेल, ५६ की
कार्य सूची

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, ५७ (खंडशः-विचार-विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६१३ का उत्तर देखिये)

कृषि ग्राम तहसील कोटपुतली जिनकी भूमि सड़क निर्माण के लिये लीगई ।

नाम सड़क	नाम ग्राम		क्षेत्रफल बीघा	क्षेत्रफल बिस्वा
१. पावटा से कोटपुतली	पावटा		३५	०
२.	२. प्रयागपुरा		३५	१४
	३. किराडोद		६	८
	४. आसपुर		७	३
	५, महरमपुरा		१६	१६
	६. गोरधनपुरा		१७	१२
	७. कंवरपुरा		१६	१५
	८. कल्याणपुरा		११	१५
	६. पुतली		२४	६
	१०. खुर्दी		३	१६
	११. अमाई		६	६
	१२. बच्चाहेड़ा		२	१२
		योग:	१८०	६
२. कोटपुतली से बानसुर	१. बड़ावास		२६	१६
	२. चतरभुजपुर		०	१६
	३. बासड़ी		६	१७
		योग	३७	१२

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६१५ का उत्तर देखिये)

सूची उन तहसीलदारों के नाम, कार्य काल आदि की जो तहसील कोलायत में १-४-१९५० से ३१-१२-१९५८ तक रहे और बिकानेर जिले के निवासी थे।

क्र०सं०	नाम	कार्य काल
१.	श्री दलपतसिंह	१-४-५० से ६-४-५० तक
२.	श्री अर्जुनसिंह	७-४-५० से २५-४-५२ तक व २०-१०-५६ से १४-७-५८ तक
३.	श्री कानसिंह	३-११-५२ से २८-११-५२ तक व १४-११-५८ से अबतक
४.	जसवन्तसिंह	१५-६-५२ से २-११-५२ तक व २६-११-५३ से १३-३-५५ तक
५.	श्री गोरधनलाल	६-१२-५२ से २५-११-५३ तक

शुद्धि पत्र

(सोमवार ६, अप्रैल, ५६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
६४२३	२१	स्पष्ट	स्पष्ट
६४२५	१–२	कतरियावास	कतरियासर
६४३६	८ व २३	पर्सेन्टज	इन्ट्रेस्ट
६४३८	अन्तिम से ७	क्या यह सही	क्या यह सही है
६४५२	अन्तिमसे ५	को सवाल	के सवाल
६४५७	१५--१६	interpreration	interpretation
६४५७	अन्तिम से २	interptetation	interpretation
६४५८	२	there for	therefore
६४५८	अन्तिम से २	provied	provide
६४५९	८	This not	This is not
६४६०	१	श्री बजेन्द्रपाल	श्री ब्रजेन्द्रपाल
६४६०	२०	doos	does
६४६१	१४	havn	have
६४६२	१	(अक्लेरा-मु०)	(अकलेरा--मु०)
६४६३	८	श्री दयाकृष्ण विजय	श्री दयाकृष्ण विजय
६४६४	अन्तिमसे २	फिर	फिर
६४६७	५	बनवाये	बनवायें
६४६८	६	नहीं है	नहीं है
६४७१	४	उलझन	उलझा
६४७२	१६	ही रही है	हो रही है
६४७२	अन्तिमसे ३	अड़चम	अड़चन
६४७३	शीर्षक	तारांकित प्रश्नात्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर

१	२	३	४
६४७४	अन्तिम से २	एग्रीमेन्ट	एग्रीमेन्ट
६४७५	५	में तो कोई	तो कोई
६४७६	६	दो स्थगत प्रस्ताव	दो स्थगन प्रस्ताव
६४८३	१५	साधार व	साधारण
६४८४	१५-१६	आदमनी	आमदनी
६४८६	२५	निर्घन	निर्धन
६५०५	अन्तिम	लाग।	लागू
६५१०	१४	मैं	मैंने
६५१०	२०	ग्रामह	ग्राम
६५१०	२२	य	यह
६५१४	१३	tacation	taxation
६५१४	२६	क्यो म्युतिसिपेलिटीज	क्यों म्युनिसिपेलिटीज़
६५१६	१२	मे	ने
६५१७	४	दूसरो	दूसरा
६५१७	१२	राजस्थान	राजस्थान
६५१७	अन्तिम से २	दूसरी ओर	दूसरी ओर
६५१८	१०	स्यंम	स्वयं
६५१८	१६	में	मैं
६५१८	२०	पॉलोंसी	पोलिसी
६५२०	अन्तिम से ६	की	कि
६५२०	अन्तिम	लिया चहे	लिया जाये
६५२१	अन्तिम से ५	इलेक्डेट म्युनिसिपेलिटीज़	इलेक्टेड म्युनिसिपैलिटीज़
६५३२	अन्तिम से ८	चलवें	चलावें
६५३२	अन्तिम से २	प्रजातान्त्रि	प्रजातान्त्रिक
६५४०	२४	एकजम्प्ट	एग्ज़म्पट
६५४५	६	been to much	been too much
६५५१	२८	ओर्नर आर	ओनर ओर

(३)

१	२	३	४
६५५२	२२	मैं	में
६५५३	४-५	actualamount	actual amount
६५५३	६	में	मैं
६५५३	१४	नुकशान	नुकसान
६५५६	१	The bcard	The Board
६५५६	१६ व २०	संशोघन	संशोधन
६५६३	५	करप्शन	करप्शन
६५६३	अन्तिमसे१०	twcr	two
६५६५	१०	श्री दयाकृष्ण विजय	श्री दयाकृष्ण विजय
६५६५	१८ व १६	कम्पलीशन	कम्प्लीशन
६५६८	अन्तिमसे ६	instalement	instalment
६५६६	१७	टीक	ठीक
६५७०	१७-१८	न सको	तो इसको
६५७०	अन्तिम से ८	पोपर्टी	प्रोपर्टी
६५७१	११	प्रोपटी	प्रोपर्टी
६५७३	अन्तिम से ३	tte	the
६५७४	७	Seperately	separatly
६५७४	११	ar both	o both
६५७४	१६	managment	management
६५७५	१८-१६	manipulation	manupulation
६५७६	१८	नया	गया
६५८६	२०	thers	there
६५८७	६	अग	आग
६४८६	६	उडा	उड़ा
६५८६	१५	order of of a board	order of a board

१	१	३	४
६५८६	१६	Seb·Sction	sub-section
६५६०	२२	writng	writing
६५६१	अन्तिमसे ११	aggrievd	aggrieved
६५६३	३	aggried	aggrievd
६५६६	१३	जकदीश प्रसाद माथुर	श्री जगदीशप्रसाद माथुर
६५६६	अन्तिम से ३	रेज्युलेशान्स	रिजाल्युशान्स
६५६८	अन्तिमसे ४	एमेडमेन्ट	एमेन्डमेन्ट
६५६८	,, ,, ३	मन्त्री महोदय जंचे	मंत्री महोदय को जंचे
६५६६	,, ,, ३	प्लादस	प्लॉट्स
६६००	१२	होतौ	होती
६६०१	१	किमत	कीमत
६६०१	२	क्लों	क्लॉज़
६६०१	१२	cluse	clause
६६०१	१४	अवधान	प्रावधान
६६०२	१२	झोपढ़ियां	झोपड़ियां
६६०२	अन्तिम से २	न्युनिसिपैलिटी	म्युनिसिपैलिटी
६६०३	२०	गडलिया	गाडोलिया
६६०३	,,	गोडोलिया	गाडोलिया
६६०४	५	घेरा	घेरा
६६०६	५	भागा	भाग
६६०६	,, ,, २	एक्वजीशन	एक्वीजीशन
६६०७	१	आपो एक्वजीशन	आपने एक्वीज़ीशन
६६०७	३-४	वापीस	वापिस

१	२	३	४
६६०८	१४	ह्ष्टि	दृष्टि
६६०८	१४	अवन	अर्बन
६६१०	८	आम	आप
६६११	२३	चहें	चाहें
६५११	अन्तिम से ३	सव	सर्व
६६१५	२६	बोड	बोर्ड
६६१६	१२-१३	क्लोरिफिकेशन	क्लोरिफिकेशन
६६१६	१७	ओर	और
६६१७	२-३	withdrwa	withdraw
६६१८	अन्तिम	I don;	I don't
६६१६	३	स्यीकर	स्वीकार
६६१६	५	विघेयक	विधेयक
६६२०	६-१०	महोदया	महोदय
६६२१	१८	मुसीबत	मुसीबत
६६३०	अन्तिम से ३	क्लॉजेज ऑब्जेक्ट	क्लॉजेज़ को ऑब्जेक्ट
६६३३	२०	mav	may
६६३७	३	moed	moved
६६३७	८	moing	moving
६६३६	अन्तिम	yonr	your
६६४६	अन्तिम से २	ल्केम	क्लेम
६६४६	अन्तिम	स्हीपर	स्वीपर
६६४७	५	क्लेस	क्लेम
६६४७	७	में	मैं

१	२	३	४
६६४६	१३	स्थिगित	स्थगित
६६५१	८	कज़ी	कर्जा
६६५३	२०	स्थगित	आस्थगित
६६५४	३	कृषि ग्रांम तहसील	ग्राम, तहसील
६६५५	३	त्रिकानेर	बीकानेर